

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

रुदु वहुषुडुडुडु

डुहलु डुडुशुन डुई 2012

कुडुत

35 रू0

लुखक

डुडुतुलुलुह सडुडुडुल डुलडुडु

सडुडुडु डुलु नकु नकुवु



रडुतु करुु :

डुनरल सुकरुडुडु

डुडुगुडु-डु-हुसुनु

(0091) 9565772492

ई-डुल : yzdgarehusaini@gmail.com

Published by :

Yadgar-e-Husaini

Lucknow (U.P.) India

खुलासा व इज़हारे तशक्कुर

ज़ेरे नज़र किताब “रद्देवहाबिया” दरअस्ल अरबी किताब “कशफुल नकाब” का उर्दू एडिशन है।

और कशफुल नकाब वह नादिर व नायाब रोज़गार किताब है जो सरकार सय्यद उल उलमा मददजिल्लहू आली ने अपने ज़माने तालिबे इल्मी में ख़ाके सय्यदुशशुहदा और रौज़े नजफ़ अशरफ में कयाम फरमाकर तहरीर फरमाई थी, किताब कितनी मुस्तनद व जाम्य है इसका फैसला खुद अहले इल्म व अहले नज़र फरमायेगे।

इज़हार बूरे मुशक गज़ालों के सामने।

उस नायाबे ज़माना किताब का एक नुस्खा मुम्बई में आकाए रज़ी मददजिल्लहू (पेश नमाज़ मस्जिद इरानियोन अल्मारूफ बा मुगल मस्जिद) के पास मौजूद था जो मौसूफ ने मेरे कहने पर जनाब मुहम्मद सादिक के ज़रिये इस ख़्वाहिश के साथ मुझे मरहमत फरमाया कि इस की इशाअत उर्दू के अलावा अरबी ज़बान में दोबारा हो।

और जब मेरी ख़्वाहिश और ज़िद के पेशेनज़र सरकार सय्यद उल उलमा मदद जिल्लहू ने इज़ाराहे तलत्तुफ व ख़ुरद नवाजी अपनी अदीमु अल-फुर्सती, पीराना साली और नासाजयी मिज़ाज के बावजूद अरबी मसौदे पर नज़र सानी फरमाकर और उर्दू किताब को अज़सरेनौ तरतीब देकर और तेहरान में मुकम्मल फरमाके मुझे इनायत फरमाया तो मैंने अरबी मतन की एक ज़िराक्स कापी आकाए रज़ी के पास भेजी ताकि वह आका अलहाज सय्यद मुहम्मद मूसवी (वकील आयतुल्ला अलखुई मदद जिल्लहू अल आली मुकीम मुम्बई) से अपने खासुल्खास रवासिम के बिना पर इसकी इशाअत के लिये मदद लें, लेकिन आका मूसवी ने बर-बिनाये मसलिहत, या बर बनाये मजबूरी या बर-बिनाये “नाकाबिले अशाअत” उसको दर खोरे ऐतना न समझा, हलांकि “कशफुअन्नकाब” वह किताब है जिस के दलायल व बराहीन का मुतालेआ फरमा कर खुद आलमे दौराने आयतुल्ला अलखुई मददजिल्लहू अल आली ने इसके पहले ऐडिशन पर तकरीज़ तहरीर फरमायी है, बहरहाल यह अक्स मूसवी साहब के पास अब तक मौजूद है।

गो कि मैंने इन किताबों की तबाअत व इशाअत का बेड़ा तने-तनहा उठाया था लेकिन बाद में सरकार सय्यद उल उलमा मददजिल्लहू के बाज़ परस्तारों और मुहेब्बीन ने भी इस कारे ख़ैर में शिरकत का इज़हार फरमाया तो मैं इंकार न कर सका।

चुनानचे मेरे शुक्रिये के मुस्तहिक हैं।

अलहाज काज़ी सय्यद मोहम्मद अहमद साहब जिन्होंने सहम इमाम अलयहिस्सलाम में से पाँच हज़ार रूपये की ख़तीर रक़म मरहमत फरमायी।

जनाब सलामत रिज़वी जिन्होंने उर्दू किताब की किताबत फरमायी और एक पैसा बतौर उजरत नहीं लिया।

जनाब मीर अहमद अली रिज़वी और जनाब सरफराज़ हुसैन छब्बर का जिन्होंने किताब की तदवीन व तबाअत की जिम्मेदारी अपने सर ली।

जनाब एम.एम. गुलाम हुसैन और जनाब गुलाम हुसैन ज़ैदी का जिन्होंने उर्दू किताब की तसहीय में तआउन किया और जनाब मौलाना सय्यद हसन साहब किब्ला मद्दजिल्लहू का जिन्होंने इन हर दो हज़रात की तसहीय के सिलसिले में मदद फरमाई।

अब रहा सवाल हज़रात सैय्यद अल-उलमा मद्दजिल्लहू अलआली के शुक्रिये का तो मेरे नज़दीक यह ज़ासरत बेजा और एक किस्म की खुद नुमायी है।

यह बात दोपहर के सूरज की तरह रौशन है कि मज़हब हक्का इसना अशर पर जो हमले कम अज़कम इस सदी के दौरान हुए हैं उनका मुसकित और दनदानशिकन दिफा अक्सर सैय्यद-अल-उलमा ही फरमाते रहे हैं, इसके लिए मैं तो क्या सारी शिया कौम सरकारे आली के ज़ेरे बार एहसान रहेगी, और जब-जब इस किस्म के हमले दुनियाए शिख्यत पर किये जायेंगे, अँजनाब ही के तहकीकात व निगारशात के हथियारों से उनका मुकाबला होता रहेगा और उनकी काट की जाती रहेगी।

मेरी दुआ है कि खुदावन्द-आलम ब-तुफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद उनको तंदरूस्त व तवाना रखे और उनका साया हमारे सरों पर बाकी रखे।
'आमीन'

फकीर दरे अहलेबैत
जाफर अली असील

मुकदमए नाशिर

रद्दे वहाबिया के सिलसिले में सरकार सय्यद उल उलमा की यह मअरका आरा किताब जैसा कि इस के असल किताब के असल दिबाचय से ज़ाहिर होगा नजफ अशरफ़ (इराक़) में लिखी गयी थी, और वही आज से निस्फ सदी से ज़्यादा पहले तबअ हुई थी, इसलिये ज़रफ़े मकान और ज़रफ़े जमान दोनों की दूरी की वजह से अब वह मिस्ल कलमी किताबों के जो गैर मतबुआ हो कमयाब नहीं बल्कि नायाब हो गयी थी, इसलिये हमने सरकार मुसन्निफ़ दाम ज़िल्लहू से इस्तदा की कि वह इस पर दोबारा नज़रे सानी फरमाकर इशाअत के लिये मरहमत फरमा दें और चूँकि अस्ल किताब अरबी ज़बान में है जिससे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के अफराद उमूमी तौर पर इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते, इसलिये वह इन्हें मुनासिब इज़ाफ़ों के साथ उर्दू में भी तहरीर फर्मा दें चुनानचे! हमारी खुश नसीबी से हमारे यह दोनों मारूज़े पाये कुबूल तक पहुँचे और अब अलावा अरबी किताब की दोबारा इशाअत के लिये यह उर्दू किताब भी हम मन्ज़रे आम पर लाने की सआदत हासिल कर रहे हैं।

वरसलाम

पेश लफ्ज अज-मुसन्नफ

बिस्मिल्लाही-अर-रहमानिर्हीम,
अल्हमदुल्लाही रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सैय्यदुल मुर्सलीन व
आलिही अत्ताहिरीन

निस्फ किताब का पसे मन्ज़र :-

मेरा लखनऊ में वाकई बचपन तो नहीं, आगाज़ जवानी का दौर था जिस में आदमी को हमारे हिन्दुस्तान के अर्फ आम में "बच्चा" ही कहा जाता है, जब हिजाज़ में सऊदी सल्तनत कायम हुई और वहाबी तसव्वुरात पूरी शिद्दत के साथ मन्ज़रे आम पर आये और उन के इल्मी मुज़ाहिरात यूँ हुए कि पहले जन्तुलमुअल्ला (मक्का मोअज़्ज़मा) के मोहतरम मज़ारात मुनहदिम किये गये और फिर काज़ी उल-कुज़ा नजद इब्न बलीद ने एक नुमायशी इस्तफ़ता के साथ बज़ाहिर उलमाए मदीना के फतवे से जन्तुलबकी के मज़ाराते मुकद्दसा मिसमार कराये, जिस से आलमे इस्लाम के बड़े हिस्से में और दुनियाये तशीय में कुलयतन तलातुम हो गया, इसलिये कि यहाँ शियों के चार इमाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुलआबेदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैही अस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैही अस्सलाम के रौज़े भी थे और इनके अलावा हज़रत सैय्यद उन निसाये आलमीन फ़ातमा ज़हरा सलामुल्ला अलैहा की कब्रे मुताहर भी थी और दूसरे कुबूर भी ऐसे थे जिनसे दूसरे मुसलमानों की वाबस्तगी है।

हिन्दुस्तान में शाह वलीउल्लाह देहलवी के वक्त से एक जमाअत नजदी अकाएद की परस्तार रही थी, मगर यह जमाअत मुसलमानों में घुली मिली हुई थी, अब हिजाज़ के इन्कलाब के बाद उसने खुलकर इब्न सऊद की हिमायत शुरू कर दी। ज़फर अली ख़ाँ का मशहूर अख़बार ज़मीनदार

(लाहौर) इस जमाअत का ख़ास आरगन था, मशायख सूफिया और लखनऊ के उलमाए फिरंगी महल शियों के साथ मिलकर इस जमाअत के मुकाबले में सफ आरा हुए, चुःनानचे फिरंगी महल में अन्जुमन "खुद्दाँ-अलहरमैन" कायम हुई जिसके सरपरस्त इस वक्त के सरबराह आवरदाह फिरंगी महल के आलम मौलाना कयामुद्दीन मोहम्मद अब्दुल बारी साहब थे और आल इण्डिया शिया कान्फ्रेन्स लखनऊ के ज़ेरे साये अन्जुमन "तहफज़ू माआसरा मुतबररका" कायम हुई।

बिला तफ़रकाय शिया व सुन्नी रिफाहे आम लखनऊ में जलसए आम हुआ और फिर कैसरबाग में हिजाज़ कांफ्रेन्स मुनअकिद हुई, जिसमें अलावा उल्माये शिया और उल्माये फिरंगी महल के तमाम हिन्दुस्तान के अकाबिर उल्मा व मशायख और कुछ अहम् लीडर मुसलमानों के शरीक हुए। उनमें जिन शखसियतों के नाम और सूरते मुझे याद हैं वह मौलाना अब्दुल माजिद बदायूनी, शाह फाख़िर इलाहाबादी और मौलाना मज़हरुद्दीन ऐडिटर अल-अमान और सब से पेश-पेश मौलाना मोहम्मद सुलेमान फुलबारवि थे।

मुसलमान मशहूर लीडरों में अली बरादरान शुरू में इब्न सऊद के हामी थे और अक्सर वाक्यात को झुठलाते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद जाकर हिजाज़ के हालात देखे तो उन के रवैय्ये में तब्दीली पैदा हुई और हिजाज़ कांफ्रेन्स में वो भी शरीक हुए।

इस जलसे ने उल्माये शिया में से जनाब नज्म उल मिल्लत और जनाब नासिर उल मिल्लत और दीगर उल्मा के साथ उल्माये अहले सुन्नत में से मौलाना अब्दुल बारी साहब वगैरह के इत्तेफाके राय से अल्लतवाये हज़ की तहरीक पेश हुई और हज़रात उल्मा के अलावा फखरे कौम मौलवी सैय्यद कल्बे अब्बास साहब ने इसकी ताईद में धन गरज तकरीर की और जहाँ तक याद है मज़हरुद्दीन साहब ऐडिटर अल-अमान ने भी ताईद की, मगर अली बरादरान मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस तजवीज़ की मुखालिफ़त की और मौलाना मोहम्मद अली ने अपनी स्यासी

सूझ-बूझ जाहिर करते हुए यह मिसरा पढ़ा :-

“उम्र गुज़री है इसी दशत की सय्याही में”

उनकी तकरीर खत्म होते ही शाह मोहम्मद सुलेमान साहब फुलवारवी खड़े हुए और उन्होंने उनकी रद्द करते हुए कहा कि सिर्फ सियासी सूझ-बूझ कोई चीज़ नहीं उसके साथ दीनी बसीरत की भी ज़रूरत है। मैं इस मिसरे को अकेला नहीं पढ़ूँगा, मुझे हक है कि मैं इसका दूसरा मिसरा पढ़ूँ।

“पाँचवी पुस्त है शब्बीर की मददाही में!”

चुःनानचे तजवीज़ कसरते राये से मंज़ूर हुई।

चूँकि दीगर उल्मा के साथ इस जिहाद में हमारे वालिद बुजुर्गवार जनाब मुमताज़ उल-उल्मा सैय्यद अबुल हसन उर्फ मुन्नन साहब किब्ला आल-अल्लाह मकामहू बड़े जोश व खरोश के साथ शरीक थे। इसलिए मैं जिसके अन्फवाने शबाब के साथ जौलानी कलम का दौर था। अपने कलम को लिये इस में उतर पड़ा, जिसमें पहली मरतबा बिला तफरीक शिया व सुन्नी आलमे इस्लाम से मुतअरिफ़ हुआ, इस ज़ेल में चूँकि सबसे अहम मसला “इमारते कुबूर” का था इसलिये अख़बार “ज़मीनदार” के एक मज़मून की रद्द में “अलबैतुल मामूर की इमारतिलकुबूर” किताब लिखी जो उस वक्त के मुम्ताज़ शेयी मतबा “नूरु-अलमताबय” में शाय हुई और ब-कसरत इस्लामी जरायेद में इस पर तबसिरे शाय हुए और दूर-दूर से इसकी माँग आयी और यह किताब बहुत कम अरसे के अन्दर अतराफ़े मुल्क में मुन्तशिर हो गयी। फिर अख़बारों ने ब-कसरत मज़ामीन के अलावा अल्लवाये हज के मसले पर शिया और सुन्नी दोनों के नुक्तए नज़र से बहस करते हुए एक बसीत मज़मून लिखा जिसे इदारह “खुददामुअल हरमैन” ने कुछ दूसरे हज़रात के मज़ामीन के साथ शाय किया, जनाब नज़मुल मिल्लत आल-अल्लाह मकामहू के पास ईराक व शाम वगैरह के उल्मा के जो मन्सूर इस मौजू पर आये थे उनके हुक्म से उनका उर्दू तर्जुमा और अपनी तरफ से आलमे इस्लाम के नाम एक अरबी अपील तर्जुमे के साथ शामिल करके “फरयादे मुसलमानाने आलम” के नाम

से एक कॉलम अरबी और दूसरे पहलू के कालम में उर्दू इस तरह एक मजमुआ मुरत्तब किया जिसे अन्जुमन “मुबैय्यदुल उलूम” मदरसतुल वाएज़ीन लखनऊ ने शाय किया।

अब मैंने इस मौजू पर अरबी में एक मुकम्मल किताब लिखने का इरादा किया जिसमें वहाबियत की तारीख़ और नजदियों के तमाम अकायद पर सेर हासिल तबसिरा हो। इसलिये माख़ज़ों की तलाश में मुख़्तलिफ़ किताबख़ानों की सैर करनी पड़ी, और काफी मवाद मुकम्मल हवालों के साथ फराहम हो गया। लेकिन अभी इस की तरतीब के साथ जमा आवरी और किताब की तहरीर का काम शुरू नहीं हुआ था कि शाबान 1345 हिजरी में तकमीले इलम के लिये मेरा ईराक का सफ़र हो गया, इत्तेफ़ाक से इसी दिन सैय्यद उल फुक़हा जनाब मुफ़ती सैय्यद अहमद अली किब्ला मए मुत्अल्लकीन ज़्यारत अतबात आलयात के लिये रवाना हुए और रेल और जहाज़ दोनों में उनका साथ रहा। कर्बलाये मुअल्ला में हरमे हुसैनी के करीब एक मकान ताज महल मरहूमा का था, जिसमें अक्सर हिन्दुस्तानी ज़ायरीन ठहरते थे, यहाँ कयाम हुआ।

फितरी तौर पर जो शख़्स ज़्यारत को जायेगा मगर रवानगी के वक्त जब पूछा जाये कहाँ जा रहे हो? तो कहेगा “करबलाये मुअल्ला” और जो शख़्स तहसील इल्म के लिये जा रहा हो, वह भी अगर चे: इन तमाम मुशाहिद मुशरफ़ा की ज़्यारत करेगा मगर इस से जब पूछा जाए कहाँ जा रहे हो? तो कहेगा “नजफ़े अशरफ़” चुःनानचा जनाब मुफ़ती साहब किब्ला चूँकि ज़्यारत के लिए गये थे तो कर्बला पहुँचकर उनका एहसास यह था कि मन्ज़िले मकसूद पर पहुँच गये, लिहाज़ा कुछ मुद्दत के लिये वहाँ रह गये और दो-चार दिन वहाँ मुशरफ़ रह कर नजफ़े अशरफ़ चला गया। और चन्द दिन ख़ादिम के यहाँ कयाम करके मदरसये हिन्दी में जो लाहौर के ख़ानदान कज़िलबाश का बनवाया हुआ था इसलिये “मदरसा नवाब” कहलाता था, मुकीम हो गया। ईराक व ईरान में मदरसे के माने होते हैं बोर्डिंग हाउस यानी

तलबा के लिये दारूलअकामा, वरना दर्स तो मस्जिदों में या उल्मा के मकानात पर होते है।

अब पहुँच तो गये मगर तदरीस का काम अभी शुरू न हो सकता था क्योंकि माह रमज़ान की वजह से दर्स बन्द हो चुके थे, और 9 शव्वाल तक छुट्टी थी लिहाज़ा हमने इस दरमियानी मुद्दत को बा मसरफ़ बनाने के लिये ये काम हाथ में लिया कि रद्दे वहाबिया का वह मवाद जो हिन्दुस्तान में जमा किया था उसे किताबी शकल में अरबी में लिखना शुरू कर दिया। इस इल्तिज़ाम के साथ कि दस सफ़े रोज़ मसूदे के लिखे जाये चु:नान्चा दस दिन में सौ सफ़हात की किताब का मसूदा तैयार हुआ और इसी इल्तिज़ाम के साथ दस दिन में उसे साफ़ किया।

नज़फ़ अशरफ़ में एक जलीलुलकदर साहिबे इल्म व इत्ला, अलावा उलूमे दीनिया के अरबी के बुलन्द पाया अदीब व शायर और गैरत दीनी व एहसासे इस्लामी रखने वाले अल्लामा मीरज़ा मुहम्मद अली औरदबादी थे और वह बगैर ज़र्रा भर मुल्क व कौमी तअस्सुब के ख़ालिस इल्मी और दीनी इक़दार के ज़बरदस्त कदरदाँ थे। इन्हें न मालूम क्योंकर मेरा हाल मालूम हो गया और वह पूछते हुए इसी इब्तिदायी दौर में मदरसे के हुजरे में मेरे पास पहुँच गये, और एक दम उन्हें मुझसे एसी मोहब्बत पैदा हुई जिसमें इज़ाफ़ा होता चला गया, और बाद में हमारी इस “एक जान दो कालिब” वाले इत्तिहाद में अल्लामा सैय्यद मोहम्मद सादिक बहर उल-उलूम शरीक हो गये तो हम (बिला तशबीह) “अकालीम सलासा” ऐसे हो गये कि मेरे पूरे ज़माने कयाम नज़फ़ में हमारा इत्तिहाद मिसाली हैसियत इख़्तियार कर गया। बाद में जब हम लोग जिस्मानी तौर पर मुतफ़रि़क हो गये तब भी कलबी इर्तिबात हम लोगों का गायबाना तौर पर बरकरार रहा।

बहरहाल पहली मुलाकात के बाद तकरीबन हर रोज़ अल्लामा औरदबादी आने लगे और जितना-जितना यह काम होता गया वह उस पर मुत्तला होते रहे और उन्होंने नज़फ़े अशरफ़ के इल्मी हल्के में उसका चर्चा

शुरू कर दिया, इस तरह तसनीफ़ मुकम्मल होने के पहले एक माने में नज़फ़े अशरफ़ में इस किताब की इशाअत हो गयी, और अब हम शबे-कदर की मख़सूसी में ज़्यारते कर्बलाये मुअल्ला के लिये गये तो यह किताब साफ़ शुदह शकल में साथ मौजूद थी।

चूँकि जनाब मुफ़ती साहब मुझ पर ख़ास शफ़क़त फरमाते थे, इसलिये मैं इस दफा भी उन्हीं के पास ताजमहल में जाकर ठहरा और उनके पास कदीमी तअल्लुकात के बिना पर कर्बलाये मुअल्ला के उलमा व अफ़ज़िल तशरीफ़ लाया करते थे, अब मैं मौजूद था तो हर महफ़िल में हाज़िर रहता था और जनाब मुफ़ती साहब तआरुफ़ में मेरी इसी तसनीफ़ का ज़िक्र फरमाते थे।

चूँकि वहाबी मज़ालिम और वहाबी नज़रयात का चर्चा हर जगह शिद्दत के साथ था इसलिए मुतअदिद हज़रात रद्दे वहाबिया में किताब लिख रहे थे, और मेरे सिन व साल को देखकर इस किताब का ज़िक्र सुनते हुए मुतअज्जिबाना तौर पर उसके देखने का इश्तियाक़ ज़ाहिर फरमाते थे। अब मैं हर एक को यह तहरीर देखने के लिए कहाँ देता पढ़कर सुनाने लगता था। जिससे उन्हें मज़ीद मुंदरजात किताब के सुन्ने का शौक पैदा होता था, यूँ चन्द मगरिबैन के बाद काफी रात तक मेरा एक मुस्तकिल मशगला किताब ख़्वानी का हो गया, और रोज़ उन हज़रात के साथ कुछ नये अफ़राद जिन तक यह तज़किरा पहुँचता था मुश्ताक़ होकर तशरीफ़ लाते थे। ज़ाहिर है कि वहाँ के लिहाज़ से मैं उस वक्त इब्तिदायी दर्जे का तालिबे इल्म था और यह हज़रात वहाँ के तल्बा नहीं बल्कि उलमा की हैसियत रखते थे मगर उनकी वुसअते क़्लब थी कि हर एक ने इस मौजू पर इस किताब को एक नादिर चीज़ समझा, यहाँ तक कि आका शेख़ मोहम्मद अली कुम्मी जो इस वक्त के अकाबिर उलमा कर्बलाये मुअल्ला में थे साठ साल से बज़ाहिर उमर मुताजाविज़ थी और किफ़ाया पर उनका हाशिया दो जिल्दों में नज़फ़े अशरफ़ में तबा हुआ बाद में जब मैं इराक़ ही में था तो वह ईरान तशरीफ़ ले गये तो आयतुल्ला अल्उज़मा हाज शेख़ अब्दुल करीम यजदी हायरी के बाद कुम में

सफे अब्बल के उलमा में उनका शुमार हुआ, वह भी चूँकि रद्दे वहाबिया में एक रिसाला तहरीर फरमा रहे थे, तो इस किताब का जिक्र सुनकर वह तशरीफ लाये और ख्वाहिश फरमायी कि वह दो तीन दिन के लिए उसे साथ ले जायें मैंने उनकी जलालत व बुजुर्गी से मुतासिर होकर इस किताब को उन्हें दे देना गवारा कर लिया, वह उसे अपने साथ ले गये और हस्ब वादा तीन दिन बाद तशरीफ लाकर उसे वापस कर दिया चुनान्चे उसके बाद मम्दूह का रिसाला इस मौजू पर शाय हुआ और दूसरी किताब अल्लामा शेख मोहम्मद अली सनकरी की जिस का नाम था "अल-मशाहिदुल्मुशरफाति वल वहाबियून" तीसरी किताब हुज्जतुल इस्लाम आका सैय्यद हसन कजवीनी की निकली।

हमारे मूरिसे आला हज़रत गुफ़रान मआब ताब सराह के उस्ताद सहिबे रियाज़ की औलाद में आका सैय्यद मोहम्मद अली तबातबाई एक बड़े ग़ैरत दीनी रखने वाले हस्सास बुजुर्ग थे जो सरकार आका मिर्जा मोहम्मद तकी शीराज़ी और आकाये शरीय्यत वगैरा की सरकारदगी में पहली जंगे अज़ीम के बाद अंग्रेज़ों के तसल्लुत से इराक़ को आज़ाद रखने के जिहाद में शरीक रह चुके थे, उन्हें मेरी किताब से इन्तिहाई गिरवीदगी पैदा हो गई और मैं चन्द रोज़ के बाद नजफे अशरफ वापस हुआ तो अल्लामा औरदबादी ने अपने हल्कये अहबाब में नजफे अशरफ़ के अन्दर और आका सैय्यद मोहम्मद तबातबाई ने कर्बलाये मुअल्ला में यह तहरीक चलाई कि इस किताब को छपना चाहिये चुनान्चे, मतबा हैदरया नजफे अशरफ़ में यह किताब तबा हुई।

इस जमाने में खुद मेरी ज़हनियत रवादाराना न थी इसलिए किताब का नाम रखा गया :-

"सौते अज़ाबा अला इत्तिबाई इब्न अब्दुलवहहाब" जो मुझे बहुत पसन्द था मगर तबाअत के वक्त इन हज़रात ने कहा कि यह नाम बहुत सख्त है और बदलवाकर "कशफुन्नकाब अन अकाइद इब्न अब्दुल वहहाब" नाम रखने पर मजबूर किया जिसका उस वक्त बहुत दुख हुआ फिर आखिर

किताब में एक इख़ितामी तबिसरा था वह उन लोगों ने निकलवा दिया कि उसका लब व लहज़ा बहुत सख्त है, इस मुल्क की फिज़ा इसकी, मुतहम्मिल नहीं है, मजबूरन वह भी निकाल दिया और सिर्फ चन्द सत्तों का इज़ाफा कर के खत्म कर दिया। जिस का मजीद सदमा हुआ।

इसके बाद रफ़ता-रफ़ता मेरी ज़हनियत खुद रवादाराना हो गयी जिसकी हिन्दुस्तान में सज़ा भुगतनी पड़ी।

इस किताब के मुसविदे के इब्तिदायी सफे पर मेरे इस वक्त के इब्तिदायी उस्ताद असरे हाज़िर के मर्जे तकलीद आयुतुल्ला अलहाज सैय्यद अबुलकासिम खोई दाम जिल्लहू ने जो उस वक्त दर्स सतही के मुदर्रिस थे चन्द सतरे भी बतौर तकरीज़ लिखी थी, फिर छपने के बाद किताब अतराफ व अकनाफ में मुन्तशिर हो गयी, तो हिन्दुस्तान के बुजुर्ग मर्तबा आलम मौलाना सैय्यद जुहूर हुसैन साहब किबला ने एक अरबी तकरीज़ लिखकर भेजी और अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलम और शेखे तरीक़त मौलाना शाह मुहम्मद फुलवारवी ने नज़म और नसर अरबी में तकरीज़े भेजी और ज़बानी ऐसे अल्फाज़ फरमाये जो वालिद अल्लाम मुम्ताजुल उल्मा ताब सराह ने अपने इज़ाजे में जो मेरे लिए चन्द साल बाद लिखा था दर्ज फरमाये।

शाम के बुर्जग मर्तबा आलम जनाब सैय्यद मोहसिन अमीन आलमी ताब सराह ने जो मशहूर बड़ी किताब "आयानुशशिया" के मुसन्निफ थे दो साल बाद एक ज़खीम किताब इस मौजू पर "कशफुलइरतियाबा" तहरीर फरमाई तो मेरी इस किताब के दो सफे इस तरह अख़ज़ फरमाये जिसमे कहरी तौर पर एक बड़े मसामहे की सूरत पैदा हो गयी और वह यह कि मैंने "तारीख़ नजद" इब्न अलालूसी से वहाबी तहरीक के इब्तिदायी नशवोनुमा के हालात लिखे हैं, तो फुट नोट में लिख दिया है कि नकलनाहाबिमानहामिन तज़ाईफा तारीख़ नजद इब्न अल-अलूसी, इस का मतलब यह है कि इबारत तारीख़ नजद में किसी जगह नहीं है। मौसूफ ने इस नोट और इस मफ़हूम पर तवज्जो नहीं फ़रमायी और इस इबारत को तारीख़े नजद इब्न

अल-आलालूसी के हवाले से दर्ज फरमा दिया। हाँलाकि वह इबारत मेरी है, इब्न आलालूसी की नहीं है। अब अगर कोई तलाश करे तो तारीखे नजद में किसी जगह भी वह इबारत नहीं मिल सकती, जब यह किताब मेरी नज़र से गुज़री तो मैंने एक ख़त के ज़रिए ममदूह को इस मसामहे की तरफ़ तवज्जो दिलायी, मुम्किन है नज़रे सानी में मौसूफ़ इस की इस्लाह फ़रमा देते मगर जहाँ तक मुझे इल्म है वह किताब दोबारा तबा नहीं हुई।

मेरी किताब “कशफुन्नकाब” चूँकि अल्लामा अवरदबादी के एहतमाम से छपी थी तो इस का मरकज़ तबाअत के बाद उन का मकान ही रहा, वहीं से फ़रोख़्त हुई और जो हज़रात उल्मा इरान वग़ैरह से आते थे उन्हें तोहफ़ा भी देते थे, हिन्दुस्तान में सिर्फ़ चन्द कापियाँ आयी थी जो मैंने कुछ उल्माये आलम को तोहफ़ा भेजी थी, मेरे पास सिर्फ़ एक कापी थी जो लखनऊ के फिरकावाराना फ़साद के ज़ेल में जो चन्द साल कब्ल चेहल्लुम (20 सफ़र) के दिन हुआ था मेरे मकान और कुतुबख़ाने की आतिश ज़दगी में नेस्त व नाबूद हो गई।

अब हबीब मोहतरम जनाब जाफ़र अली असील साहब (बम्बई) ने जो उस की दोबारा तबाअत का ख़्याल ज़ाहिर किया और उर्दू में भी इस की इशाअत के लिये कहा तो मेरे लिये इसकी तामील मुमकिन न थी मगर मौसूफ़ ने खुद बम्बई में तलाश करके एक कापी दस्तयाब की और उस का अक्स मेरे पास भेज दिया, ज़ाहिर है कि इसके बाद मुझ पर हुज्जत तमाम हो गयी जिसके बाद अगर मैं पहलु तही करूँ तो इस अम्रे ख़ैर के अन्जाम पाने में मेरी तकसीर सदराह करार पाये लिहाज़ा बावजूद शदीद मवाने और मसरूफ़ियतों के काफ़ी ताख़रि के साथ सही, मैं इस मकसद के लिये “कलम बानग़शत” हो गया, और अब इतने अरसे में खुद हिन्दुस्तान में इस मौजू पर जो मजीद मवाद फ़राहम शुदह मेरे पास मौजूद था, उस में कुछ जो अरबी के लिये मौजू था उसका अस्ल अरबी में भी इज़ाफ़ा कर दिया और जो हिन्दुस्तान ही के लिये मौजू है, उसे उस उर्दू किताब में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि उन

शख़िसयतों से जिन के तरावशात कलमी से काम लिया गया है। हिन्दुस्तान ही के इस्लामी हलके ही मतारुफ़ है। नेज़ जो मुकदमा लिखा जा रहा है उसके भी कुछ मज़ामीन मुसल्मानाने हिन्द से तअल्लुक रखते हैं लिहाज़ा उनको भी अरबी में शामिल नहीं किया गया। इस तरह मेरा अन्दाज़ा यह है कि उर्दू किताब का हजम अरबी वाली किताब से कुछ ज़्यादा होगा, इसलिए मजमूयी तौर पर उसे अरबी किताब “कशफुन्नकाब” का तर्जुमा नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस के पूरे तर्जुमे पर मुशतमिल उर्दू में उसे एक मुस्तकिल तसनीफ़ की हैसियत हासिल है। वस्सलाम

अली नकी अल-नकवी
10 जीकादा 1404 हिजरी
(अलीगढ़)

खुलासा दिबाचा अरबी कशफुन्नकाब

बिस्मिल्लाहि-अररहमानिर्हीम,

बाद हम्द खालिके मुताआल वस्सलातु वस्सलाम बर मोहम्मद व आल :

यह किताब "कशफुन्नकाब" अन अकायद इब्न अब्दुल वहाब अली नकी अल-नकवी के कलम से मारिजे जुहूर में आ रही है इस वक्त जब तौफीक इलाही ने सरजमीन नजफ अशरफ पर पहुँचने की सआदत अता फरमायी है बस सामान सफर मन्जिले कयाम पर उतारने के बाद जो अर्से से मेरे ज़हन में ख्याल था कि किताब ऐसी तहरीर हो जिस में वहाबी जमाअत के अकायद का ज़रा तफसील के साथ बयान हो। इसलिए कि बहुत से अफराद इस फिरके के अकायद से पूरे तौर पर वाकिफ नहीं है। चुनान्चे बहुत कम दिनों में इसकी तकमील हो गई और इस किताब को मैंने एक मुकदमे और चन्द अबवाब पर तकसीम किया है -

मुकद्दमा :- तारीख़ इब्न अब्दुल वहाब और उनकी नशवोनुमा और तरक्की की कैफियत।

पहला बाब :- उनका अकीदा हज़रत अक़दसे इलाही के बाब में।

दूसरा बाब :- उनका अकीदा हज़रत पैगम्बरे खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम के बारे में।

तीसरा बाब :- उन का अकीदा औलिया व स्वालिहीन के बारे में।

चौथा बाब :- उन का अकीदा तमाम रूये ज़मीन के मुसलमानों के बारे में।

पाँचवाँ बाब :- उन का अकीदा अम्बिया व स्वालिहीन के मज़ारात और कुब्बों के बारे में।

छठा बाब :- उन अहादीस व अख़बार में जो अहले नजद के बारे में रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही व सल्लम से वारिद हुए हैं।

सातवाँ बाब :- वहाबी जमाअत की इल्मी सरगरमियाँ इसके नुमायाँ होने के वक्त से ज़मानाये हॉल तक।

नोट :

इस उर्दू किताब में मज़कूरह अनादीन से पहले दो उनवान जिन्हें इस उर्दू किताब का मुकद्दमा समझना चाहिए शुरू में इज़ाफा किया जा रहा है।

1. मुसलमानों में ऊमूमन और शियों में खुसूसन हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के अन्दर लफ़ज़ वहाबी की इस्तलाह।
2. हिन्दुस्तान में वहाबियत का फरोग और उसकी मुख़्तलिफ़ शक़्लें।

मुसल्मानों में ऊमूमन और शियों में खुसूसन हमारे यहाँ की इस्तलाह

अस्ल "वहाबी" तो इब्न अब्दुल वहहाब का पैरो, वही हिजाज़ का बरसरे इक़तिदार गिरोह है जो नजद का बाशिन्दा है, और इस लिए उनका पाया तख़्त अब भी नजद के इलाके में शहर रियाज़ है, यह फ़िका के लिहाज़ से हन्बली है यानी इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िका के पैरो है और उसूल अकायद में उनके पेशरू इब्न तैमिया और उनका शार्गिद इब्न कैय्यिम और इब्न अब्दुल हाद वगैरह है।

इन्हीं इब्न तैमिया वगैरह के तसव्वुरात को मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब ने अपनाकर चूँकि बारहवी सदी के अवाख़िर और तेरहवी सदी के आगाज़ में इलाका नजद के एक हिस्से के उस वक्त के सऊदी ख़ानदान के रास-दर-रईस मोहम्मद बिन सऊद की मदद से फ़ैलाया जिसकी तारीख़ इस किताब के अरबी मुक़ददमे के तर्जुमे में बयान होगी, इसलिए अगर चे: उनके बाप अब्दुल वहहाब उनके साथ मुत्तहद न थे बल्कि आख़िर में बाप-बेटे की मुख़ालिफ़त बहुत नुमाया हो गयी थी मगर वह मसलक बेटे के नाम पर नहीं बल्कि बेचारे बाप के नाम पर जो उसके ख़िलाफ़ थे मनसूब होकर "वहाबी" कहलाया।

और फिर चूँकि उनकी तालीम का अहम जुज़ दर्गाहों और रौज़ों पर हाज़री की मुख़ालिफ़त और अवलिया व मुकर्रबीन बारगाहे इलाही और बिल्खुसूस रसूल व आले रसूल स0 से तवस्सुल को शिर्क करार देना और नज़र व न्याज़ और फातिहा वगैरह से मुमानियत थी, लिहाज़ा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के अन्दर अहले सुन्नत में यह इस्तलाह हो गयी कि बरेलवी हज़रात जो इन बातों के कायल है, वह अपने को "सुन्नी" कहते हैं और देवबन्दी हज़रात को जो अक्सर इन चीज़ों के मुनकिर है "वहाबी" कहते हैं।

यु:नान्चा कुछ बरेलवी मुकर्ररीन और बाज़ साहबे कलम भी जब देवबन्दी हज़रात का ज़िक्र करते हैं तो मसलन यूँ कहते हैं कि मौलवी नम्बर 24 ने यूँ कहा चूँकि "वहाबी" के अदद चौबीस हैं।

हिन्दुस्तान के शियों का यह मुहावरा हो गया है कि वह अहले सुन्नत के इस तबके को जो इन बातों का कायल है और अक्सर शियों के साथ रवादारी का बर्ताव करते हैं या अज़ादारी वगैरह में शरीक होते हैं 'हनफी' कहते हैं, और इन उमूर के मुनकरीन और बिल्खुसूस अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख़ालिफ़ अफ़राद को वहाबी कहते हैं, हालाँकि वाक्या यह है कि देवबन्दी हज़रात मसलक फिकही के हिसाब से हनफी हैं, वहाबियों के हम मसलक यानी हम्बली नहीं है और शियों के इस्तलाह में 'वहाबी' सुन्नियों की जो सब से बड़ी मिसाल हो सकती है मसलन मौलवी अब्दुर शकूर साहब अपने वक्त के मुदीरुन्नज़म वह भी मसलकन हनफी थे वहाबियों की तरह हन्बली नहीं थे।

हमारी इस किताब का नाम जो "रददे वहाबिया" है इसमें हमारा नसबुल ऐन उसी ख़ास गिरोह की रद् है, जो इब्न अब्दुल वहहाब का पैरू है, लेकिन बहैसियत मौजू जबकि तवस्सुल वगैरह मुबाहस पर फ़ैस्लाक़ून बहस की जायेगी तो जो उन लोगों के इन तसव्वुरात में हम मसलक हों सब की रद हो जायेगी चाहे वह किसी भी माने में 'वहाबी' करार पाते हो या नहीं।



हिन्दुस्तान में वहाबियत की दर आमद और उसका इरतका

जहाँ तक हमे मालूम है हिन्दुस्तान में वहाबी तसव्वुरात की दर आमद जनाब शाह वली उल्लाह मुहदिदस देहलवी के ज़रिये से हुई वह चाहे कुल्लियतन इन अकायद के अलम्बरदार न हो जिसकी तायीद इस से होती है कि वह खुद तसव्वुफ़ के कायल हैं। बल्कि उनका मशायख़ सूफी में शुमार है और उनके साहबजादगान जनाब शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी मुसन्नफ़ तोहफये इस्ना अशरया वगैरह इस बाब में नुमाया नहीं हुए, मगर उनके बाद शाह इस्माईल जिनके नाम के साथ उमूमन “शहीद” की लफ़ज़ इस्तेमाल होती है इस मसलक के बड़े अलम्बरदार बन गये, और इस जमाअत के सरगरदा सैय्यद अहमद हुए कि उनके नाम का भी तकरीबन जुज़ लफ़ज़ “शहीद” है।

उलमाये देवबन्द अगर चे: जैसा कि पहले आ चुका हनफी है और तसव्वुफ़ के भी कायल है और इसके सिलसिलों में मुनसलिक हैं, मगर उनके इल्मी हैसियत से मूरिसे आला मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के यहाँ इस किस्म के तसव्वुरात इतनी शिद्दत के साथ हैं कि उनके अलफाज़ से शान रिसालत माआब स0 में गुस्ताख़ी के पहलू पैदा होते हैं, बहरहाल ये लोग बिल्कुल वहाबी हो या न हो मगर इनसे वहाबियत को तकवीयत ज़रूर हुई।

बाज़ अफराद जिन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पेश-पेश है जो यकीनन वहाबी मसलक के पैरो नहीं थे, और न तंग नज़री व असबियत का शिकार थे यहाँ तक कि इम्तियाज़ी नज़रिया “तर्बरा” की हिमायत में “तवल्ला व तबर्रा” ही सुर्खी से वह एक ऐसे मज़मून के ख़ालिक है जिसे, इमामिया मिशन लखनऊ ने ख़िलाफ़त व इमामत के किसी हिस्से का जुज़ बनाकर शाय किया इस मज़मून में खुसूसियत के साथ चन्द अल्फाज़ तो इतने मानीखेज़ और दिल आवेज़ हैं कि हिफ़ज़ करने के काबिल हैं, वह यह है, “अगर हम यह उसूल बना लें कि बुरो को भी अच्छा कहेंगे तो जो वाकई अच्छे

हैं उनके लिए हमारे पास क्या रह जायेगा ?”

मगर इल्मी तौर पर वह शेख़ इब्न तैमिया के ऐसे मद्दाह है जैसे वह उनकी जलालते इल्मी से इन्तिहायी मरऊब व मुतासिर हैं, उनके बाद से जैसे सवाद आज़म के सहिबे कलम अफराद की वज़ा बन गयी है कि वह इब्न तैमिया की तारीफ़ ज़रूर करें जो बज़ाहिर तकलीदी हैसियत रखती है, यानी उन लोगों ने जनाब इब्न तैमिया की तसानीफ़ की सूरत भी नहीं देखी है। बहरहाल इस से भी बिल्वास्ता वहाबी ख़्यालात को तकवीयत हासिल होती है, और अब सऊदी हुकूमत अगर बैनलअकवामी दबाव से मज़हबी तौर पर बहुत हद तक “तकय्या” में है, और यह “तकय्या” शुरू ही से “कुब्बए नबवी” की बका में तो रहा ही है जो कि उनके नुक्तये नज़र से (मआज़ अल्लाह) “सनमेअकबर” होने की वजह से ज़्यादा मुस्तहिक इन्हिदाम था। इसके अलावा मुसलमानाने आलम यहाँ तक कि हम शियों को हज से नहीं रोकते, बल्कि बहुत हद तक सहूलते फराहम करते हैं, जब कि उनके मज़हब की रू से उन सबका मुशरिकीन में दाख़िल होने की बिना पर मस्जिदे हराम के करीब जाना नजायज़ है, मगर इन बातों में तशद्दुद के कम होने के बावजूद अब उनकी दौलत जो तेल की बदौलत इन्तिहायी अफरात से हासिल हो गयी है ममालिके इस्लामिया में वहाबियत की तबलीग़ पर शिद्दत के साथ सर्फ़ हो रही है जिससे ज़हनी तौर पर शियों को तो बस अज़ीयत हो सकती है मगर उनका असर मोअतकिदात के लिहाज़ से अहले सुन्नत की अकसरियत पर पड़ना न गुज़ीर है।

मुकद्दमा

इब्न अब्दुल वहाब की तारीख़ जिन्दगी और नशवोनुमा की कैफियत

इब्न अब्दुल वहाब का नाम व नसब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान तैमी है। उनकी नशवोनुमा इलाकाये नजद के शहर ऐनिया में हुई और उन्होंने हंबली फ़िका अपने वालिद से पढ़ी और ज़मानये सिगर सिनी ही से वह मिल्लत इस्लामिया के आम रुजहान के ख़िलाफ़ बाते कहने लगे और बहुत सी बातों पर जो मुसलमानों में रायज थीं एतराज़ करने लगे मगर अर्से तक उन्हें कोई हम नवा नहीं मिला उसके बाद उन्होंने मक्का-ऐ-मुअज़्ज़मा का सफर किया और फिर मदीना-ऐ-मुनव्वरा गये, और शेख़ अब्दुल्ला बिन इबराहीम बिन सैफ़ के शार्गिद हो गये और वहाँ उन्होंने रौज़ाए रसूल स0 पर दुआएँ करने पर शिद्दत से बर्हमी का इज़हार किया फिर नजद गये वहाँ से शाम के इरादे से बसरा गये और वहाँ शेख़ मोहम्मद मजमूयी से दर्स लिया, और अब बसरा के मुसलमानों की बातों पर एतराज़ करने लगे। तो वहाँ के मुसलमान बरअफ़रोख़ता हो गये वहाँ तक कि उन्हें बसूरते फ़रार वहाँ से निकलना पड़ा बिल आख़िर वह नजद के शहर हरीमा पहुँचे जहाँ उनके वालिद का क़याम था और अर्से तक उनसे तालीम हासिल करते रहे मगर वहाँ उन्होंने अहले नजद के अक्सर अफ़आल व आमाल पर “शिक़-शिक़” की आवाज़े बुलन्द की, और उनके वालिद ने उनको इससे मना किया तो वह उनकी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए बल्कि उनसे बरसरे जंग हो गये और कुछ लोग उनकी पार्टी में शामिल हो गये जिससे उनमें और अहले हरीमा में जंग व जिदाल की नौबत आयी। अब उनके वालिद शेख़ अब्दुल वहाब का 1153 हिजरी में इन्तिकाल हो गया तो उन्होंने और ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने अकायद का ऐलान शुरू कर दिया जिसके बाद अहल हरीमा उनके कत्ल पर तैयार हो गये तो वहाँ से अनीया की तरफ़ मुन्तकिल हो गये, वहाँ का हाकिम उस ज़माने में उस्मान बिन मोहम्मद बिन मामर था जिसे इब्न

अब्दुल वहाब ने वह सबज़ बाग़ दिखाया कि वह अगर उनका साथ दे तो तमाम नजद का हुकमरां हो जायेगा उसने उनकी मदद का बेड़ा उठाया और अब उस माददी ताकत का सहारा लेकर उन्होंने ज़ोर व शोर के साथ अपनी तबलीग़ जारी कर दी और जब अनीया के काफी आदमी उनके साथ हो गये तो उन्होंने ज़ैद बिन ख़त्ताब के मज़ार का कुब्बा जो इस नवाह में था मुहंदिम करा दिया मगर यह ख़बर अहसा और कतीफ़ के हुकमरा सुलेमान इब्न मोहम्मद बिन अजीज़ हमीदी को पहुँची तो उन्होंने बड़ा सख़्त नाराज़गी का ख़त अनीया के हाकिम उस्मान के पास भेजा कि उस शख़्स को कत्ल करा दो उस्मान को इब्न अब्दुल वहाब से गिरवीदगी तो थी मगर सुलेमान वाली अहसा के मुख़ालिफ़त की ताव न थी, इसलिए उसने खुफ़िया तरीके पर इब्न अब्दुल वहाब के पास पैगाम भिजवाया कि आप फ़ौरन यहाँ से चले जाइये उन्होंने उसे बहुत पामर्दी की दावत दी और पूरे नजद का हुकमरा बनने की उम्मीदें दिलायी मगर वह उनके कहने में नहीं आये और सख़्ती के साथ फ़ौरन चले जाने की ताकीद की, मजबूरन 1160 हिजरी में वह वहाँ से निकल कर दरयिया पहुँचे, यह सरज़मीन हमेशा से शैतानी तहरीकों का मरकज़ बनी रही थे, ये वही यमामा की सरज़मी है जहाँ से मुसलमा कज़्ज़ाब उठा था और उसने नबूवत का दावा किया था, वहाँ का हुकमरा मौजूदा सऊदी हुकूमत का मोरसे आला कबीलये अनीज़ा में से मोहम्मद बिन सऊद था।

इब्न अब्दुल वहाब ने किसी ज़रिये से उसकी बीवी से राबता कायम किया और उसे तमाम नजद की हुक़मरानी का ख़्बाब दिखाया, यह मोहम्मद बिन सऊद उनकी बातों में आ गया और तन-मन-धन से उसका साथ देने पर आमामा हो गया और मुसलमानों को मुशरिक़ करार देकर बनाम “जिहाद” उनके जान व माल और इज़्ज़त के अतलाफ़ के लिए इब्न अब्दुलवहाब के हाथ पर बैअत कर ली। मोहम्मद बिन सऊद से अहद व पैमान की तकमील के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शहर के अन्दर दाख़िल हुए और इब्न सऊद ने एक बहुत बड़ा लश्कर मुर्तब करके अतराफ़ व जवानिब के मज़ारात को मुनहदिम करने और जो मुसलमान सददेराह हो उनका खून बहाने के

लिए भेज दिया जिन्होंने पूरी तौर पर इस हुक्म की तामील की और क़त्ल व ग़ारत का बाज़ार शिद्दत के साथ गरम कर दिया।

जब यहाँ पूरी कामयाबी हासिल हो गयी तो अतराफ व जवानिब के हुक्काम के पास अताअत व इनकियाद के लिए खुतूत लिखे जिनमें से बाज़ ने मरऊब होकर ब-आसानी इताअत कुबूल कर ली और जिन्होंने तवज्जोह नहीं की, दरईया के लोगों को उनसे जंग करने पर मामूर किया गया चुनान्चे अतराफ नजद और उसके आगे बढ़ कर अहसा में खूनरेज़ मअर्के हुए जिनके बाद पूरी नजद और उसके तमाम कबीलों पर क़हर व ग़ल्बे के साथ आले सऊद की हुक्मरानी हो गयी, यहाँ तक कि 1206 हिजरी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द की मगर आले सऊद नस्ल दर नस्ल उस मसलक की इशाअत में असकरी ताकत के साथ मसरूफ रही।

चुनान्चे मोहम्मद बिन सऊद के बाद उसका बेटा अब्दुल अज़ीज़ हुआ यह भी अतराफ व जवानिब में फौजी मुहिमे भेजता रहा और अब्दुल अज़ीज़ के बाद सऊद हुआ, यह अपने बाप से ज़्यादा सख्त था, उसने मुसलमानों को हज से रोक दिया और सुल्तान तुर्की के खिलाफ खुरूज किया मगर उसके बाद सरगरमियाँ ज़्यादातर इलाका नजद में महदूद थी, यहाँ तक की जब जंगे अज़ीम में हुक्मत तुर्की जर्मनी का साथ देने की वजह से अंग्रेज़ों के गैज़ व गज़ब का शिकार बनी और जर्मनी की शिकस्त से कमज़ोर भी हो गयी तो पहले अंग्रेज़ों ने शरीफ मक्का हुक्मत तुर्की के खिलाफ खुद-मुखतारी का अलम बलन्द कराया फिर शरीफे मक्का से नाराज़ होकर उस वक्त के सऊदी हुक्मरॉं से जिसका नाम भी अब्दुल अज़ीज़ था मक्का पर हमला कराके शरीफ मक्का को जज़ीरह कबरस में ले जाकर नज़रबन्द कर दिया और हिजाज पर भी आले सऊद का कब्ज़ा करा दिया जिसके बाद से अब तक सऊदी हुक्मरानों का दारूल सल्तनत अगर च: नजद में है मगर वह मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा समेत तमाम हिजाज के हुक्मरॉं हैं।

मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा जनाब बारी अज्जा इसमा के बॉब में।

सब को मालूम है कि वहाबी हज़रात ऊमूमन अपने पेशवा की पैरवी में खालिस तौहीद के दावेदार हैं और अपने सिवा तमाम मुसलमानों को मुशरिक समझते हैं। लेकिन जब खुद इब्न अब्दुल वहाब की किताबों पर नज़र डाली जाती है तो पता चलता है कि यह शख्स ख़ालिक मुताआल के बारे में अपने पेशरव इब्ने तैमिया की पैरवी में ऐसा अकीदा रखता है जिससे ख़ालिक का जलाल व कमाल मजरूह होता है और उसकी यकताई जो तौहीद हकीकी का तकाज़ा है, मजरूह हो जाती है। वह इस तरह की कुआन मजीद के वह आयात जिनके बाज़ अल्फाज़ अपने ज़ाहिरी एक लुगवी माने के लिहाज़ से जिस्मियत का तसव्वुर पैदा करते हैं, जैसे :- यदाहुमबसुततान” जिसके एक लफ़्ज़ी माने यह हैं कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, और “अला अर्शीसतवा” जिसका एक मफहूम यह है कि वह अर्श पर सीधा हो के बैठा। इनमें उलमाये हक का मसलक यह है कि चूँकि उनका यह मफहूम शाने इलाही के खिलाफ और अक्लन उसके लिए गैर मुमकिन है इसलिए उनका ऐसा मफहूम समझना चाहिए जिसका महावरात अरबी के लिहाज़ से उन अल्फाज़ में गुंजाइश भी है, और वह शाने इलाही के खिलाफ भी नहीं जैसे यद के माने कुदरत और इस्तवा के माने गलबा व इक्तिदार, मगर इब्न तैमिया और उनके पैरो जिन के पेशरू अब आखिर में यही शेख इब्न अब्दुल वहाब हुए उन सब अल्फाज़ को उनके ज़ाहिरी लुगवी माने पर मुहम्मिल करते हैं, और उनमें से किसी में भी तावील के मुख़ालिफ है इस तरह उनका तसव्वुर यह है कि वह वाकई अर्श पर बैठा है उसके हाथ हैं, पैर हैं, पहलू हैं, आँखें हैं, चेहरा

हैं, ज़बान है, नफस है और यह सब चीज़े हकीकतन, वह आवाज़ के साथ बात करता है और चढ़ता, उतरता, आता, जाता, हँसता, रोता है।

यह बिल्कुल वह तजसीम है जिसके कुपर होने पर उम्मतुल मुस्लिमीन मुत्तफ़िक हैं, मगर उन उलमाये वहाबिया की किताबें इन बातों से भरी पड़ी हैं, चुनान्चे, खुद इब्न अब्दुल वहाब की एक किताब है, “अत्तौहीदी अल्लज़ी हुअल हक्कुल्लाही अलल बईद” इसमें इस आयत कुर्आन के ज़ैल में कि: हत्ता इज़ाफुज्जिआ अन कुलूबिहिम कालूमाजा काल बुकुम कालुल हक वहुवल अलियुल कबीर” लिखा है (सूरऐ हसबा आयत-23)

“बीसवी बात :- सफात (यानी ज़बान, दहन और अल्फाज़ के साथ कलाम वगैरह) का सुबूत है, फिकर् अशाइरह (मुसल्मानों की अक्सरीयत) जो तातील (यानी उस तरह के सिफात की नफी) का कायल है, इसके ख़िलाफ है” शरह ने इसके जेली हाशिये (फुट नोट) में लिखा है।

“यह अशारिया फिकर् अबुलहसन अशअरी की तरफ मनसूब है और इस फिकर् ने अक्सर सिफात का इंकार किया है जैसे अल्लाह का ऊँचा होना और तमाम अपने मख़लूक से अलग होकर अर्श पर बैठना और उसका मोहब्बत करना अपने बंदो से और उसका रहम उन पर और उसकी रज़ामन्दी उनसे और उसका गज़ब वगैरह वगैरह, मुख़ालिफत में इसकी जो उन चीज़ों के बारे में रसूले खुदा और उनके असहाब और दीगर असलाफ सालिहीन से वारिद हुआ है।”

इसके बाद आख़िर किताब में एक बाब है इस मतलब पर उन अहादीस से इस्तदलाल के लिए जिनसे उनके मसलक की मुवाफिकत समझ में आती है चुनान्चे लिखा है-

“यह बाब उन अहादीस में है जो इस इरशादे इलाही के मुताअल्लिक है कि उन्होने अल्लाह की असल शान को नहीं समझा है और तमाम ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी कयामत के दिन”

इब्न मसऊद की रिवायत है कि एक यहूदी आलिम रसूले खुदा के

पास आया और कहा “ऐ मोहम्मद, हम (अपनी किताबों में) ऐसा पाते हैं कि अल्लाह तमाम आसमानों को एक उँगली में लेगा और ज़मीनों को एक उँगली में और दरख़्तों को एक उँगली में और पानी को एक उँगली में और ज़मीन को एक उँगली में और बाकी तमाम मख़लूक को एक उँगली और उन सब को इस तरह लेकर कहेगा मैं अस्ल बादशाह हूँ”

इस पर पैगम्बर स0 हँसने लगे ऐसा की दाढ़े तक आपकी नमूदार हो गयीं, इस यहूदी आलिम की बात की तसदीक के तौर पर फिर आपने यह आयत पढ़ी! (वमा कदरुल्लाहा हक्का कदरिही वल अर्जू जमीअन कबजतुहू यौमल कयामत) (ता आख़िर आयत) सूरऐ रम्ज़ (आयत-67) मुसलिम की एक रिवायत में यह है कि पहाड़ और दरख़त एक उँगली में फिर वह उन सब को जुम्बिश देकर कहेगा मैं बादशाह हूँ मैं अल्लाह हूँ।

बुख़ारी की एक रिवायत में है कि आसमानों को एक उँगली पर, पानी और ज़मीन को एक उँगली पर और दीगर तमाम मख़लूक को एक उँगली पर उसे दोनों (बुख़ारी व मुसलिम) ने दर्ज किया है और मुस्लिम की रिवायत इब्न उमर से है कि अल्लाह आसमानों को रोज़े कयामत लपेट देगा फिर उन्हें अपने बाँये हाथ में लेगा फिर वही कहेगा मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं सरकश लोग? कहाँ है अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने वाले? और इब्न अब्बास से रवायत है कि सातों आसमान और सातों ज़मीने खुदा की हथेली पर ऐसी होगी जैसे राई का दाना तुम में से किसी के हाथ में और

इब्न ज़रीर का बयान है कि मुझ से यूनुस बिन वहीब ने बयान किया वह कहते हैं कि अबु ज़ैद ने कहा कि मुझ से मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि रसूले खुदा ने फरमाया कि सातों आसमान कुसी में बस ऐसे हैं जैसे सात दिरहम (चाँदी के सिक्के) किसी सपर (दाल) में और अबु ज़ैद ने यह भी कहा कि मैंने पैगम्बर खुदा को फरमाते सुना कि कुर्सी अर्श के अन्दर

नोट : ज़मीने तो एक उँगली में आ चुकी हैं, अब मालूम नहीं यह कैसी ज़मीन है जो एक और उँगली में है ?

ऐसी है जैसे लोहे का छल्ला एक बड़े जंगल की पुश्त पर लुड़क रहा हो और इब्न मसऊद से रिवायत है कि आसमान दुनिया और उससे मिले हुए आसमान के दरमियान पाँच सौ बरस की राह है और इसी तरह पर आसमान का फासला पाँच सौ बरस की राह का है, और फिर सातवे आसमान और कुर्सी के दरमियान पाँच सौ बरस की राह और कुर्सी और पानी के दरमियान पाँच सौ बरस की राह और अर्शपानी के ऊपर है और अल्लाह अर्श पर है। फिर भी तुम्हारे आमाल में से कुछ उस पर पोशीदा नहीं रहता इसकी इब्न मेहंदी ने रवायत की है हिमाद बिन मुस्लिमा से उन्होंने आसिम से उन्होंने ज़र से उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसऊद से और इसी से मिलती जुलती रवायत की है मसऊद ने आसिम से उन्होंने अबु वायल से उन्होंने अब्दुल्ला से हाफिज़ ज़हबी ने कहा है कि यह हदीस कई तरीके से वारिद हुई है। और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी० से रवायत है कि रसूले खुदा ने फरमाया :-

तुम जानते हो आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फासला है, लोगो ने कहा कि अल्लाह और उसका पैगम्बर ज़्यादा वाकिफ है, फरमाया उनके दरमियान पाँच सौ बरस की राह है और हर आसमान का दूसरे आसमान से फासला पाँच सौ बरस का है, और हर आसमान की जख़ामत पाँच सौ बरस की राह के बराबर है और साँतवे आसमान और अर्श के दरमियान एक समुन्दर है उसके नीचे और ऊपर की सतह के दरमियान वैसा ही फासला है जैसा आसमान और ज़मीन के दरमियान है और अल्लाह ताला उसके ऊपर है, और फिर भी उस पर आदमियों के आमाल में कोई बात पोशीदा नहीं रहती है।

इसकी अबु दाऊद ने तखरीज़ की है और इस में चन्द मसले हैं :-

पहले इस आयत की तफ़सीर की :- “वल अर्ज़ जमीन कबज़त न यौमल कियामा” ज़मीन सब उसकी मुट्ठी में होगी कयामत के दिन।

दूसरे ये कि ये और ऐसे ही मालूमात उन यहूदियों के पास बाकी थे जो हज़रत स० के ज़माने में थे न उन्होंने उन्हे गलत समझा था और न उनकी

तावील की थी।

तीसरे ये कि उस यहूदी आलिम ने जब पैगम्बर स० के सामने उसका ज़िक्र किया तो आपने उसकी तसदीक फरमायी और कुर्आनी आयत उसकी मुताबिकत में नाज़िल हुई।

चौथे यहूदी आलिम के इस बड़े इल्म को बयान करने के बाद पैगम्बर खुदा स० का हँसना।

पाँचवे सराहत दोनों हाथों की और ये की आसमान दाहिने हाथ में होंगे और ज़मीने बायें हाथ में।

महमूद शकरी आलूसी जो खुद वहाबी मसलक थे “तारीख नजद” में दीन अहले नजद और उनके अफआल व आमाल के ज़ेल में लिखा है कि वह सफात (यानी हाथ, मूँह वगैरह) वाले आयात और अहादीस को उनके ज़ाहिरी मफहूम पर बरकरार रखते हैं और उनके मतलब को अल्लाह के हवाले करते हैं।

लेकिन अगर वह मतलब को अल्लाह के हवाले करते तो उनके ज़ाहिरी मफहूम पर बरकरार रहने का फैसला न करते।

गौर करने के बाद हर साहबे वसीरत शख्स महसूस कर सकता है कि उन अल्फाज़ को ज़ाहिरी मफहूम पर महमूल करना इस्लामी तालीम से मुताबिकत नहीं रखता इसलिए की इससे ख़ालिके मुताआल की जिस्मियत लाज़िम आती है और मुजरस्समा के कुफर पर तमाम मुसलमान मुत्तफिक है इसलिए कि वह उसूले तौहीद के ख़िलाफ है, इमामुल इलाहीन हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहज अलबलागा के पहले ही खुत्बे में फरमाते हैं।

तौहीद का मुकम्मल होना यह है कि उससे सिफात की नफी की जाय इसलिए की हर मौसूफ इसका गवाह है कि वह सिफत के अलावा कुछ है और हर सिफत उसकी गवाह है कि वह मौसूफ के अलावा कुछ है तो जिसने उसके अवसाफ माने उसने उसे एक से ज़्यादा मान लिया और जिसने उसे एक से ज़्यादा माना उसने उसके अज़ज़ा मान लिए”

ज़ाहिर है कि अगर ख़ालिक के लिए अज़ज़ा मान लिए जायें तो वह अज़ज़ा या वाजिबुल वजूद और कदीम होंगे, या हादिस, अगर हादिस हों तो ख़ालिक की ज़ात हादिस हो जायेगी, इसलिए की हादिस चीज़ों से मुक्कब चीज़ लाज़मन हादिस होगी और अगर वाजिबुल वजूद माने तो वाजिबुल वजूद और कदीम बिज़ज़ात होने में ख़ालिक के हमसर दूसरे हो जायेगे, जो शिर्क है। इसके अलावा वाजिबुल वजूद का होना आलात और अज़ज़ा की तरफ लाज़िम आयेगा और मोहताज होने का लाज़मा हुदूस व इमकान है।

रह गये वह आयात व अहादीस जिनसे इस गलत अक़ीदे पर इस्तदलाल किया जाता है तो ज़ाहिर है कि हर ज़बान में और बिल्खुसूस अरबी में एक-एक लफ़्ज़ के कई-कई मायने होते हैं, लिहाज़ा हर लफ़्ज़ के वह मायने करार दिये जाना चाहिए जो अक़ल व नक़ल के लिहाज़ से सही करार पाते हो मसलन! इस्तवा की लफ़्ज़ का एक सतही मफहूम सीधे बैठने का है लेकिन नहल के लिहाज़ से उस का बिल्कुल दुरुस्त मफहूम कुदरत व गलबे के साथ कायम व बरकरार होना है जो बिल्कुल उसूल मुहावरा के मुताबिक है, और शायानशाने इलाही इसी तरह 'वजहु' के माने वह आसारे कुदरत है जो मारिफते इलाही का ज़रिया होते हैं, जिस की नज़ीरें कलामे अरब में बकसरत है। यूँही यद के माने तसल्लुत व अख़्तियारे कामिल के हैं।

वह यहूदी आलिम वाली रवायत जो बयान की गयी है दर हकीकत इस अक़ीदे के गलत होने की दलील है उस रवायत में यहूदी के कौल पर हज़रत स० के हँसने के साथ यह जुमला हलांकि "उस यहूदी की बात की तसदीक के तौर पर" यह न कोई रसूल स० का कौल है, न अमल जिसे जुज़े हदीस समझा जाए बल्कि यह इस रवायत के बयान करने वाले का तसव्वुर है जो उसकी नाफहमी की दलील है, करीने अक़ल यह है कि हज़रत स० इस यहूदी की हिमाकत पर इतनी शिद्दत के साथ हँसे और यह आयत उसकी रद में पढ़ी कि उन्होंने अल्लाह को उस की हकीकी शान के साथ नहीं समझा, कायनात सब रोज़े कयामत उसके कब्ज़ये कुदरत में होगी, न यह की

कायनात की एक-एक चीज़ को वह अपनी एक-एक उँगली पर लेकर उसे हरकत देने का करतब दिखाए।

इस ख़्याल और इसके अलावा दूसरे ख़्यालात में जिनका बाद में ज़िक्र आयेगा, इब्न अब्दुल वहाब के मुक्तदा अबुल अब्बास अहमद बिन तैमिया हरानी मुतूफी 28 हि० है जिन्होंने सबसे पहले उन बातों पर ज़ोर दिया और इस बारे में मुस्तकिल रिसाले लिखे, जैसे अकीदये हमूबिया और वासतिया वगैरह और उनके शागिर्द इब्न कैथिम जोज़िया और इब्न अब्दुल हाद वगैरह उनके कदम बकदम चले, उल्माये इस्लाम ने इनके कुफ़र का फतवा सादिर किया और बाज़ ने उनके जवाज़ कत्ल का हुक्म दिया ताहम वह एक तवील मुद्दत तक कैद रहे।

इस महल पर ज़रूरत महसूस होती है कि इब्न तैमिया के बारे में जो वहाबी अक़ायद के बानी मुबानी है उल्माये इस्लाम के तसरीहात दर्ज किये जाये जिन से पता चले कि जब पेशवा की हैसियत यह है तो पैरवों की हैसियत क्या हो सकती है?

अल्लामा इब्न हज़र मक्की ने अपनी किताब "जौहरे मन्जम की ज़्यारते कबरूननबीयिल मुकर्रम" में लिखा है कि :

इब्न तैमिया की लगज़िश ऐसी है जिसका तदारुक नहीं हो सकता और ऐसी मुसीबत है कि जिसका वबाल-जवाल पजीर नहीं, इस शख्स को नफसानी ख़्वाहिश ने आमादा किया कि वह अलमे इजतिहाद बुलन्द करके तमाम उल्माये सल्फ के ख़िलाफ बहुत से मसायल में उनके इजमा की मुख़ालिफत करे और पेशवयाने दीन यहाँ तक खुलफाये राशदीन पर रकीक एतराज़ात करे, यहाँ तक कि बारगाहे इलाही में भी गुस्ताखियाँ करे, इसने खुदा की शान, जलाल व जबरूत को सदमा पहुँचाया कि अवाम के सामने बालाये मिनबर साफ-साफ उसके जिस्म होने और सिम्ते ख़ास में होने का ऐलान किया और जो इसका इनकार करे 'उसे गुमराह करार दिया, यहाँ तक कि तमाम उल्माये ज़माना ने मुत्तफिक होकर बादशाह वक़्त को उसके कत्ल

या कैद करने पर मजबूर किया चु:नान्चा उसने आखिर उम्र तक कैद हस्ती से रिहा होने तक उसे कैद रखा और उसके बाद यह आग ज़रा खामोश हुई और अंधेरे छट गये मगर फिर कुछ उसके हामी वक्तन फ-वक्तन पैदा होते रहे लेकिन उन्हें कोई ताकत हासिल नहीं हुई बल्कि हमेशा जलील व रुसवा और गज़ब इलाही में गिरफ्तार रहे।”

उन्होंने अपनी दूसरी किताब “अशरफुल वसायल इला फहमीश शमायल” में लिखा है अमामे को दोनों कान्धों के बीच लटकाने के बारे में कि इब्न कैथिम ने अपने उस्ताद इब्न तैमिया के लिए कहा है कि उन्होंने एक नादिर बात कही है और वह यह कि जब आंहज़रत स0 ने अपने परवरदिगार को अपना हाथ उनके कांधों के बीच में रखे हुए देखा तो उस जगह को यह इम्तियाज़ अता किया, इराकी ने कहा कि हमें इसकी कोई अस्ल नहीं मिली, मैं कहता हूँ कि यह इन दोनों (इब्न तैमिया और इब्न कैथिम) के दूसरे ख्यालात की तरह की चीज़ है जो मबनी है उस तसव्वुर पर जो उनका है, और जिसके साबित करने में उन्होंने बहुत तूल कलाम से काम लिया है, और अहले सुन्नत पर तान व तशनीय की है कि वह इसके मुनकर हैं और अल्लाह के लिए जिहत और जिस्म का तजवीज़ करना है।

(बाला तर है उसकी ज़ात उन ज़ालिमों के ख्यालात से) और उनके यहाँ इस मकाम पर इतनी खराब और बद ऐतकादी की बातें हैं, जिनसे कानों को अज़ियत होती है और फ़ैसला यही होता है कि यह गलत, झूठ, गुमराही और बुहतान की बातें हैं। अल्लाह उनका बुरा करे और बुरा उसका जो उनके अकवाल का मोतकिद हो और इमाम अहमद बिन हंबल और उनके मसलक के बुजुर्ग मरतबा उलमा इस बुराई के दाग से बरी है और क्यूँ कर ऐसा न हो कि यह बहुत सों के नज़दीक कुफ़्र है।”

यह जुज़ गैर यकीनी है इसलिए कि मैं बाद में एक दूसरे मुसन्निफ का ब्यान आयेगा कि दोबारा वह रिहा हुए और बाद में जान बहक तस्लीम हुए।

हमारे लखनऊ के मौलाना अब्दुल हलीम फिरंगी महली “हल्ललमआकिद हाशिया शरहा अकाएद” लिखते हैं कि :।

“तकीयुद्दीन इब्न तैमिया हंबली शख्स था मगर वह हद से आगे बढ़ गया और ऐसी बातों के साबित करने का दर पे हुआ जो अज़मत व जलाल खुदा वन्द आलम के खिलाफ है कि उसके लिए सिम्त जिहत और जिस्म मान लिया और बहुत से उस शख्स के हफवात है मसलन हज़रत उस्मान के लिए कहा कि वह माल से मुहब्बत रखते थे और हज़रत अली के लिए कहा कि उनका इमान दुरुस्त न था, इसलिए कि बचपन में इमान लाये थे और अहले बैत पैगम्बर स0 के लिए ऐसी बातें कही जो कोई मोमिन ज़बान पर नहीं ला सकता। हाँलांकि सही अहादीस उनके मुनाकिब में कुतुब सहाह में वारिद हुए हैं और एक जलसा किलाये जबील में हुआ और वहाँ अकाबिर उल्मा उस वक्त के जमा हुए जिनके रास व रईस काजीइल कुजा जैनुद्दीन मालकी थे, और वहाँ इब्न तैमिया को भी हाज़िर किया गया और तूलानी गुफ्तगू के बाद काजील कुजात ने उसे कैद करने का हुक्म दिया और यह 705 हिजरी का वाक्या है। फिर दमिश्क वगैरा में ऐलान हुआ कि जो शख्स इब्न तैमिया के अकीदे पर हुआ उसका जान व माल हलाल है और उसका ज़िक्र मरातल जिनायाफयी में मौजूद है, फिर उसने तौबा की और 707 हिजरी में कैद से रिहायी पायी और कहा मैं “अशअरी” मसलक का पाबन्द रहूँगा फिर उस अहद को तोड़ा और अपने अकायद का इज़हार किया तो दोबारा कैद सख्त की सज़ा हुई फिर तौबा की और कैद से रिहाई हुई और शाम में कयाम किया वहाँ बहुत से वाक्यात इस सिलसिले में पेश हुए जो कुतुबे तारीख में मज़कूर हैं”

अल्लामा इब्न हज़र मक्की ने “दर्दकामना” जिल्द अब्वल में और ज़हबी ने अपनी तारीख में इसके अकवाल व हालात का तज़क़िरा किया है यह बयान तो दरमियान में जिमनन आ गया, अस्ल मतलब यह है कि इब्न तैमिया ने चूँकि खुदा की जिस्मियत को अख़्तियार किया लिहाज़ा कहा कि

इसके लिए मकान है इसलिए कि हर जिस्म के लिए मकान ज़रूरी है, और चूँकि कुर्आन में है “अर्रहमान अलल अर्शी इसत्वा” इसलिए कहा कि अर्श ही इसका मकान है और चूँकि खुदा वन्द आलम अज़ल से है और आलम के तमाम अजज़ा हादिस है इसलिए इसे मजबूरन कहना पड़ा कि जिन्स अर्श अजली और कदीम है लेकिन इसकी ला मुतनाही शख्सियतें एक के बाद दीगर वजूद में आती रहती हैं तो मकान में होने की सिफ़त खुदा की कदीम है मकान के तैय्युनात हादिस है।

मरात अल-जनान याफ़ई में इब्न तैमिया के फ़ितने के ज़िक्र में है कि मिस्र में जो उन पर इल्ज़ाम आयद हुआ वह यह कि वह कहते हैं कि खुदा हकीकतन अर्श पर बैठा है और वह हुरूफ़ और आवाज़ के साथ कलाम करता है और इसी के बाद दमिश्क वगैरह में ऐलान किया गया कि जो इब्न तैमिया के अकीदे पर हो उसका जान व माल हलाल है।

अबुल फ़िदा ने अपनी तारीख़ में 705 हिजरी के हालात में लिखा है कि इसमें तक़ीयुद्दीन अहमद इब्न तैमिया को दमिश्क से मिस्र बुलाया गया और एक जलसा हुआ जिसमें बहस मुबाहिसे के बाद तय हुआ कि वह इन ऐतकादात के सबब जेल में डाल दिया जाए इसलिए कि वह जिस्मीयत का कायल है।

इसके अलावा हमारी नज़र से इस इशतिहार की कुछ इबारतें भी गुज़री है जो बादशाह की तरफ से इस शख्स के बारे में शाय किया गया था उनका खुलासा यह है कि इस बदनसीब इब्न तैमिया ने इस मुद्दत में अपने कलम की ज़बान को बढ़ा रखा था और अपने अल्फाज़ की बाग़ ढीली कर रखी थी और कुर्आन इलाही के मसायल में बहस उठायी और अपने कलाम में बहुत सी गलत बातों की सराहत की और ऐसी बातों में गुफ्तुगू की जिन से सहाबा व ताबेईन ने खामोशी इख़्तियार की और वह बातें ज़बान पर लाया जो सल्फ़े सालिहीन के लिए नाकाबिले कुबूल थी, और वह ऐतकादात ज़ाहिर किये जिन्हें अइम्मा इस्लाम ने गलत करार दिया है, और जिनके ख़िलाफ़

तमाम उलमाये इस्लाम का इजमां है, और अतराफ़े मुल्क में इसके ऐसे फतवों की इशाअत हो रही है जिनसे अवाम गुमराह हो रही है, और इस बारे में उसने तमाम उलमाये असर और फुकहाये शाम व मिस्र की मुख़ालिफ़त की है। जब हम तक यह ख़बरें पहुँची और मालूम हुआ कि एक गिरोह उसका भी पैरू हो गया है और वह लोग अल्लाह के बारे में हुरूफ़ और आवाज़ और जिस्मियत की सराहत करते हैं, तो हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए मजबूर हुए”

यह मन्सूर काफी तूलानी हैं जिसके कुछ जुमलों का मतलब लिखा गया है।

इस सब से मालूम हुआ कि इस तरह सिफाते इलाही और जिस्मियत का ऐतकाद वह है जिसके कुफ़ होने पर उल्माये इस्लाम मुत्तफिक है। अब इससे इब्न अब्दुल वहाब और उनके पैरुओं के मुताल्लिक राय कायम की जा सकती है जो इन्हीं बातों के कायल हैं।

साबिक में जो कुछ दर्ज हुआ है वह अहले सुन्नत के तसरीहात थे और उल्माये शिया के तसरीहात मुजस्समा के कुफर के मुताल्लिक शरह लम्बा “रियाजुल मसायेल, मसालिक और जौहरे कलाम तकरीबन तमाम फिका जाफरी की किताबों में देखे जा सकते हैं। इस तरह पूरी उम्मत का इज़मा उनके कुफर पर साबित व मतहक्क हो जाता है।

वल्लाहु अदुत्तु लिलकाफिरीन

वहाबी अकीदा रसूले खुदा सल्लललाहु अलैही व आलिही वसल्लम के बारे में

इब्न अब्दुल वहाब और उनके पैरू यह अकीदा रखते हैं कि रसूले खुदा स0 दुनिया से उठ जाने के बाद अपनी कब्र में मिस्ल आम मरने वालों के हो गये कि न सुनते हैं और न जवाब दे सकते हैं, न आपको इसका अख़्तियार है कि मशरिक व मगरिब में जहाँ चाहे जाए और इसके अलावा आपकी कब्र मुतहर की ज़ियारत के लिए सफर करके जाना इनके नज़दीक हराम है और आपके साथ तवस्सुल और आप की कब्र के पास दुआ माँगना जायज़ नहीं है और या रसूल अल्लाह कहकर पुकारना शिर्क है। जो वफात के बाद आपसे मुख़ातिब होकर कोई हाजत तलब करे वह मुशरिक हैं कि उसका जान व माल हलाल है, उसको बख़्याल खुद साबित करने के लिए वह आयात व अहादीस से इस्तदलात करते हैं, जो दरहकीक़त इस पर दलालत नहीं करते और तमाम मुस्लमान मुत्तफिक हैं कि हज़रत स0 बाद वफात जिन्दा हैं, न ऐसी ज़िन्दगी जो बनस्से कुर्आन शोहदा के लिए भी साबित है बल्कि उससे बदरजहा ज़्यादा मुकम्मल ज़िन्दगी।

यह तसब्बुर कि हज़रत स0 की कब्र मुतहर की ज़ियारत के लिए सफर करना मन्नु है, इसकी बुनियाद एक हदीस पर है जो अहले सुन्नत के यहाँ वारिद है कि पैगम्बर खुदा सल्लललाहु अलैही व आलिही वसल्लम ने फरमाया कि सिवा तीन मस्जिदों के किसी जगह के लिए शिद्दे रिहाल यानी सफर करके जाना जायेज़ नहीं है, इसे जो अपने मक़सद की

दलील बनाकर पेश किया जाता है यह गलत है इसलिए कि ज़रा भी जो अरबी से वाकिफ है व समझ सकता है कि इस हदीस का मतलब यह है कि मस्जिदों में बस यह तीन मस्जिदें हैं जिनके लिए खास तौर पर सफर करना चाहिए इसलिए कि मुसतसना मुँह का मुसतसना की जिन्स से होना एक खुली हुई बात है, मसलन अगर कोई कहे कि मैंने उमर भर में बस वह मस्जिद देखी है उसके सिवा कोई नहीं तो हर एक यही समझेगा कि मस्जिद कोई और नहीं देखी, यह थोड़ी कि कोई इमारत दूसरी या कोई चीज़ दूसरी नहीं देखी, इसी तरह इससे कि सिवा तीन मस्जिदों के और किसी के लिए सफर न किया जाए, मस्जिदों में इनहिजार साबित होगा, लिहाज़ा यह नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं कि रौज़ये रसूल के लिए सफर करना जाएज़ नहीं है, वरना फिर एक शहर से दूसरे शहर तिजारत वगैरह के लिए भी सफर जायेज़ न होना चाहिए जिसका गलत होना ज़ाहिर है और कई मर्तबा खुद पैगम्बरे खुदा स0 ने बसिलसिला तिजारत शाम का सफर फरमाया और इसका सबूत मिलता है। इमाम अहमद बिन हंबल की रवायत का मज़मून यह कि किसी मस्जिद की तरफ जहाँ ज़िक्रे इलाही होता है। सफर करके जाना नहीं होगा सिवा तीन मस्जिदों के, इसे सैय्यद मुस्तफा नूरुद्दीन हुसैनी ने अपनी किताब "खुलासातुल मिकाल फी शिद्दीररिहाल" में दर्ज किया है, और हकीकत यह है कि हदीसों ने एक दूसरे की तशरीह करती हैं, और हुक्म मुतलक की वज़ाहत मुकैय्यद से होती है और बराबर तमाम मुसलमान और हर दौर के उल्मा रौज़ये रसूल की ज़ियारत के लिए सफर करते रहे हैं, और किसी ने भी उस पर ऐतराज़ नहीं किया इससे तमाम मुसलमानों का इजमा व इत्तिफाक साबित होता है, और जिन लोगों ने बाद में इसके मुख़ालिफ राह अख़्तियार की वह जमाअत से निकल गये और इजमायी रास्ते से मुनहरिफ हो गये।

बाज़ अहादीस से भी ज़्यारते के लिए सफर का सुबूत मिलता है, जैसा कि अली बिन बरहानुद्दीन शाफयी की किताब “इंसानुलऊयून” में है कि जब जनाब रसूले खुदा (स0) की वफात हो गयी तो बिलाल रजी0 अन्हा शाम की तरफ चले गये और कहा अब रसूल सल्ललाहु अलैही व आलिही वसल्लम के बाद मदीने की सूरत नहीं देखूँगा, अर्से तक वहाँ रहे मगर एक शब रसूलल्लाह स0 को ख्वाब में देखा कि फरमाते हैं कि ऐ बिलाल! तुमने हमारा जवार छोड़ दिया और शाम में कयाम कर लिया तो क्या अब हमारी ज़्यारत के लिए भी नहीं आते? बस जूँही वह बेदार हुए उन्होंने सफर की तैयारी कर दी और मदीना आये और कब्र पैगम्बर स0 की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए।”

और यह अहादीस सहाह से साबित है कि जिसने रसूल अल्लाह स0 को ख्वाब में देखा उसने हज़रत स0 ही को देखा है इसलिए कि शैतान हज़रत स0 की सूरत में नहीं आ सकता, इससे सफर करना ज़ियारते कब्रे रसूल स0 के लिए खुद हुक्मे रसूल से साबित हो जाता है, जिससे इन्कार की किसी को गुंजाइश नहीं है।

इब्न अब्दुल वहाब ने इस कौल को भी अपने पेशरू इब्न तैमिया और इब्न कैथिम से लिया है कि इन दोनों ने सबसे पहले यह सदा बुलन्द की और इसे साबित करने में तूल कलाम से काम लिया और उल्माये इस्लाम ने उसकी रद में मुस्तकिल किताबें तहरीर की जैसे-शिफाउस्सकाम फी ज़ियारती खैरुलअनाम” जो आठवीं सदी के काजीलकुजात शेख़ हाफिज़ तकीयुद्दीन हसन सबकी की तसनीफ है और “जौहरे मुनज्जम फी ज़ियारतें कब्र नबीयिल मुकर्रम” अज अल्लामा इब्न हजर मक्की हैत्मी और “मुनतहल मकाली फी शरह हदीसी ला तशद्दल रिजाल” अज मुफ़्ती सदरुद्दीन और “खुलासतुल मिक्ाल

फी शदिदर रिजाल” अज़ सैय्यद मुस्तफा नुरुद्दीन हुसैनी वगैरह-वगैरह।

यहाँ कुछ इन किताबों के इकतिबासात और कुछ दीगर उलमा के इरशादात जो जिमनन दूसरी किताबों में इस मौजू से मुताल्लिक हैं दर्ज किये जाते हैं, अल्लामा सब्की ने अपनी किताब के मुकद्दमे में लिखा है कि बारगाहे इलाही में तकररुब के बेहतरीन असबाब में से हज़रत सरवरे कायनात स0 की कब्र मुतहर की ज़ियारत और अतराफे आलम से इसके लिए सफर है जैसा कि शर्क व गर्व के तमाम मुसलमानों में सालहासाल से जारी व सारी है और इन बातों में जो शैतान ने इस ज़माने में बाज़ बदनसीबों के जुबान पर जारी की है। इसमें शक पैदा करना है और यह शक उनके दिल में हर्गिज़ नहीं आ सकता जो सच्चे मुसलमान हों, और यह एक वसवसा है ऐसे बदनसीब का पैदा किया हुआ जिसका वबाल उस पर आयेगा और उस पर वही अहकाम जारी होंगे जो कानून इलाही ने साफ तौर पर ऐसे अशखास के लिए नाफिज़ किये हैं और बातिल शुब्हे फना होकर रहते हैं।

दूसरी जगह इस किताब में लिखा है।

“इब्न तैमिया के पास इसकी कोई दलील नहीं और दीनी उसूल और इसलाफे सालीहीन की सीरत से मालूम होता है कि वह बहुत से नेकोकार व परहेज़गार अमवात के आसार को मुतबरिक समझते रहे हैं चे जायके अँबिया व मुरसलीन और जो इसका दावा करे कि अँबिया के मुकद्दस कुबूर और आम मुसलमानों की कब्रे यकसा हैं उसने इन्तिहायी गलत दावा किया जिसके बातिल होने का हम यकीन रखते हैं। और इसमें रसूले खुदा स0 के मरतबे को आम मुसलमानों की सतह तक घटाना है और यह यकीनन दाखिले कुफ़्र है। इसलिए कि जो रसूल स0

के मरतबे को उसकी शायानेशान सतह से गिराये वह काफिर है और अगर वह कहे कि यह मानना नहीं है बल्कि उनके मुनासिब दर्जे से उनकी अज़मत को बढ़ाने से रोकना है तो यह भी जिहालत और गुस्ताखी है और हमें यकीन है कि पैगम्बर खुदा इससे भी ज़्यादा ताज़ीम व तकरीम के मुस्तहक हैं, जिन्दगी में भी और अपनी वफात के बाद भी और इसमें शक नहीं कर सकता वह जिसके दिल में ज़रा भी ईमान हो” अल्लामा इब्न हजर जौहर मुनज्जम में लिखते हैं :-

अगर तुम कहो कि हम ज़ियारते कब्र मुतहर और इसके लिए सफर के मुताबिक शरह होने पर इजमा क्योंकर मान सकते हैं हालांकि हंबली जमाअत में से इब्न तैमिया इस सबके मवाफिक शरा होने के मुनकिर हैं जैसा कि सुबकी ने ब्यान किया है और कहा है कि इब्न तैमिया ने इस पर बहुत तुलानी इस्तदलाल किया है, बल्कि उन्होंने ये दावा किया है कि सफर इस ज़ियारत के लिए इजमाअन हराम है, और इसमें नमाज़ कस्र न होगी और यह जितनी हदीसे इसकी फज़ीलत में हैं सब वजयी हैं और बाद में भी कुछ उल्मा ने इस कौल की पैरवी की है। तो मैं कहूँगा कि इब्न तैमिया कौन है जिसकी तरफ नज़र डाली जाए और दीन के मामलात में से किसी में उस पर भरोसा किया जाए और वह तो जैसा कि एक जमाअत ने जैसे गर बिन जमा, उसके अकवाल और बेकीमत दलायल का जायज़ा लिया है और इसके तवोहुमात और गलतियों का इज़हार किया है, एक ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह ने गुमराहों में दाखिल किया है और उसे रुसवाई की चादर उढ़ा दी है और हलाकत का मुसतहिक करार दिया है और इन्तिहायी अफज़ा परवाज़ी और दरोग ब्यानी से उसने अपने लिए वह जगह बनायी है जो उसकी सुबकी और रहमते खुदा से महरूमी का सबब है और शेखुल इल्लाम

तकी सुबकी ने जिनकी बुजुर्गी, इजतिहाद, परहेज़गारी और पेशवायी मुसल्लम है उसकी रद में एक मुस्तकिल किताब तहरीर की है और उसमें मुस्तहकम दलायल से सही रास्ते को वाज़ेह किया है।”

मुपती सदरूद्दीन ने मुनतहल मकाल में लिखा है कि :-

बुजुर्ग मर्तबा आलिम मुतबहिर, मुहद्दसीन के महल इस्तनाद शेख मोहम्मद बरेसी ने अपनी किताब “इत्तएहलफुल इरफान बरूयतल अबिया वल मलाइकलजान” में लिखा है कि इब्न तैमिया हंबली ने जुरात व जसारत से काम लिया है और दावा किया है कि हज़रत पैगम्बर खुदा स० की कब्र मुतहर की ज़ियारत के लिए सफर हराम है और यह कि नमाज़ इस सफर में कस्र न होगी, इसलिए कि यह सफरे मासियत है और इसमें ऐसे तूल कलाम से काम लिया है जिसके सुनने से कान इंकारी है और तबीअते मुतनफिफर होती है और इस कलाम की नहूसत उसके शामिले हाल रही यहाँ तक कि उसकी जसारत बारगाह अज़ज़ो जलाल हज़रत बारी तक पहुँच गयी और इसने अज़मते ख़ालिक के परदे को शिगाफता कर दिया और ऐसी बातों को साबित करने की कोशिश की जो उसकी शने अज़मत व कमाल के खिलाफ हैं कि खुदा के लिए सिम्त जेहत और जिस्मियत का दावा किया और जो उसे न माने उसे गुमराह और गुनहगार करार दिया और इसका मिम्बरों पर ऐलान किया और इसका चर्चा हर तरफ फैला और उल्माये मुजतहिदीन की जो इसके पहले हुए हैं बहुत से मसलों में मुख़ालिफत की और खुलफाये राशिदीन पर लचर और पोंच ऐतराज़ात किये जिसका नतीजा यह है कि वह शख्स इस दौर के तमाम उलमा की नज़र से गिर गया और अवाम व ख़्वास सबको उस पर अगुशत नुमाई हुई और उलमा ने उसके गलत अकवाल का जायेज़ा लिया और उसके दलायल की रद की और उसकी

लग्जिशों को नुमाया किया और उसके तवोहुमात और गलतियों को वाजेह किया।”

अहमद बिन शहाबुद्दीन खफ़ाज़ी ने “नसीमुर्रियाज शरहु शिफाअकाजी अयाज़” में इस हदीसे रसूल स० के दर्ज करने के बाद कि अल्लाह लानत करे यहूदी व नसारा पर कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को महल्ले सजदा बना दिया” लिखा है।

“मालूम होना चाहिए कि इस हदीस की वजह से इब्न तैमिया और उसके ताबईन जैसे इब्न कैथिम ने अपना वह रुसवाये ज़माना तसव्वुर कायम किया जिसकी वजह से सबने उन्हें काफिर करार दिया और सुब्की ने एक मुस्तकिल किताब उस पर लिखी और वह ज़ियारते कब्र रसूल स० और उसके लिए सफर को ममनू करार देना है। उन्होंने बख़्ख़ाल खुद तौहीद के पहलू का तहफ़ुज़ किया ऐसे मुहमिलात के साथ जिनका ज़िक्र भी मुनासिब नहीं है क्योंकि वह किसी साहबे अक्ल की जुबान पर नहीं आ सकते चेजायेके के किसी फ़ाज़िल आदमी की जुबान पर।

मुल्ला अली कारी ने शरहशिफा की दूसरी जिल्द में लिखा है कि :-

हंबलियों में से इब्न तैमिया ने तफरीत से काम लिया कि ज़ियारते रसूल (स०) के लिए सफर को हराम करार दिया जिस तरह दूसरों ने अफरात से काम लिया कि उन्होंने कहा कि ज़ियारत का दाख़िल इबादत होना ज़रूरियाते दीन में से है और इस के मुनकर पर हुक्म कुफ़्र जारी है और गालिबन यह दूसरा तसव्वुर हकीकत से ज़्यादा करीब है। इसलिए कि जिस चीज़ के मुस्तहब होने पर इजमाये उल्मा हो इसका हराम कहना कुफ़्र होगा इसलिए कि यह बाला तर है इसकी किसी मुततफिका तौर पर मुबाह चीज़ को हराम कहा जाये जिसके कुफ़्र

होने पर इत्तिफाक है।”

कशफुज्जुनून में है कि उल्मा ने इब्न तैमिया के बारे में बड़े इफरात से काम लिया है कि सराहतन लिखा है कि

“जो इब्न तैमिया को शेखुल इस्लाम” कहे वह भी काफिर है” इन तमाम इबारतों से मालूम हुआ कि बहुत से उल्मा इब्न तैमिया के कुफ़्र पर इस कौल की वजह से मुत्तफिक हैं।

शेख़ इब्न हजर मक्की ने “दर्द कामना” में लिखा है कि :- “लोग इब्न तैमिया के बारे में कई किस्म के हैं। कुछ तो उसे मुजस्समों में दाख़िल करते हैं। चूँकि अकीदा हमूमिया और वास्तीया वगैरह में लिखा है कि हाथ और पैर और पिण्डली और चेहरा सब हकीकतन अल्लाह के लिए साबित है और वह बजात खुद अर्श पर बैठा हुआ है कहा कि इससे मकान ख़ास में होना और इसका अजज़ा पर तक्सीम होना जिस्म के खुसूसियात में से है तो कहा गया कि बहरहाल यह शख़्स खुदा को लामकान नहीं मानता और इसके लिए जुज़्बे मकान का कायल है और कुछ लोग उसे बेदीन इसलिए मानते हैं कि उसका कौल है कि पैगम्बरे खुदा सल्लललाहु अलैही वसल्लम से फरयाद नहीं की जा सकती, इसमें रसूल खुदा सल्लललाहु अलैही व आलिही वसल्लम की तनकीस है और आप की ताज़ीम से रोकना है। सबसे ज़्यादा तशद्दुद इस बारे में नूर बकरी को था कि जब इस बारे में इज्तिमा हुआ तो बाज़ हाज़रीन ने कहा कि इस शख़्स को ताज़ीर लाज़िम है तो उन्होंने कहा कि इसके कोई माने नहीं इसलिए कि अगर उससे रसूल स० की तन्कीस होती है तो हुक्म कत्ल होना चाहिए और अगर तन्कीस नहीं होती तो हुक्म ताज़ीर भी क्यों हो? कुछ लोग मुनाफिक का हुक्म जारी करते हैं हज़रत अली के बारे में यह कहने से कि उन्होंने जिधर भी रुख़ किया वह नाकाम व

नामुराद रहे और उन्होंने कई दफा खिलाफत हासिल करने की कोशिश की मगर नहीं पा सके और उन्होंने जंगे सिर्फ इक्तिदार के लिए की, न कि दीन के लिए और वह इक्तिदार के ख्वाहिश मंद थे और उसमान माले दुनिया से बड़ी मोहब्बत रखते थे, और उसका यह कौल है कि अबू-बकर बूढ़े थे, समझते थे क्या कह रहे हैं, और अली बचपन में ईमान लाये और बच्चे का इस्लाम काबिले कुबूल नहीं, और दुख्तर अबु-जेहल की ख्वास्गारी के सिलसिले में जो कुछ कहा है। इस सब में हज़रत अली (अलै0) के खिलाफ तान व तशनीय है और पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम की हदीस है जो हज़रत अली से मुख़ातब होकर इरशाद फरमायी थी कि तुम्हे दुश्मन नहीं रखेगा कोई सिवा मुनाफिक के।

कुछ लोग ख्याल करते हैं कि यह शख्स इमामे उम्मत बनने का ख्वाब देखता था इसलिए कि वह इब्न तोमरात का बहुत ज़िक्र करता था और उसकी तारीफे करता था इन सब बातों की वजह से व तूलानी मुद्दत तक कैद में रखा गया और इस सिलसिले में बहुत से वाक्यात हैं जो मशहूर हैं और वह जब कायल किया जाता था तो कह देता था कि मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा मतलब दूसरा था और फिर एक बहुत दूर दराज़ का मफहूम ब्यान कर देता।”

इन तमाम उल्मा के अक्वाल से साबित हो गया कि ज़ियारते रसूल स0 के लिए सफर के इस्तेहसान पर मुसल्मानों का इत्तफाक व इजमा है, और जो इसका मुनकर है वह जरूरियातेदीन में से एक चीज़ का मुनकर है।

बहसे तवस्सुल

तवस्सुल रसूले खुदा स0 के ज़रिये से अल्लाह की बारगाह में इसके

लिए कुर्आन मजीद से भी सुबूत मौजूद है और बकसरत अहादीस भी है और सहाबा व ताबईन के आसार भी और फिर तबे तबाईन और तमाम उम्मते इस्लामिया का अलमदरआमद भी है जिनमें से हर एक यके बाद दीगरे ज़ैल में दर्ज है।

कुर्आन मजीद से तवस्सुल का सुबूत

रसूल स0 से खिताब करके कुर्आन मजीद में इरशाद हज़रते अहदीयत है कि “क्यों नहीं हुआ ऐसा कि जब उन्होंने (गुनाहों के इर्तिकाब से) अपने ऊपर जुल्म किया था तो वह आप के पास आते और आकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते और पैगम्बर उनके लिए अस्तगफ़ार करते तो अल्लाह को तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान पाते” (आयत)

अब हर शख्स समझ सकता है कि अगर पैगम्बर से तवस्सुल मतलूब न होता तो बजाय खुद उनका अस्तगफ़ार काफी था, यह हुक्म न दिया जाता कि वह रसूल स0 के पास जायें और आपके पास आकर अस्तगफ़ार करें और इसकी ज़रूरत न होती कि रसूल स0 उनके लिए अस्तगफ़ार करें, ज़ाहिर है कि खुदावन्द आलम बजाते खुद “तौवाबुर्हीम” है मगर यहाँ उसने अपने तौवाबुर्हीम होने की शर्त के साथ मशरूत कर दिया है, इससे बढ़कर तवस्सुल के मतलूब इलाही होने की दलील क्या हो सकती है ?

अहादीस व आसारे सहाबा व ताबईन

(1)

जनाबे आदम का तवस्सुल

इसका ज़िक्र मुतअदिद अहादीस में है, मिनजुमला उनके वह है

जिसे हाकिम ने मुस्तदरिक में दर्ज किया है और उसे सही करार दिया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से “तर्क औला” हुआ तो उन्होंने कहा परवरदिगार! मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफा स० के हक का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि तू मुझे बख़्शा दे, इरशादे इलाही हुआ कि ऐ आदम! तुम ने उन्हें क्योंकर पहचाना? अर्ज़ किया कि इस वजह से कि जब तूने मुझे ख़ल्क किया तो मैंने अर्श पर नज़र डाली तो उसमें लिखा हुआ देखा “ला-इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह” उनका नाम मैंने तेरे नाम के साथ देखा तो समझा कि वह तमाम ख़ल्क में तुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं।

(2)

बतौर नमूना अमल खुद रसूल खुदा स० का तवस्सुल

तबरानी की रवायत है मोज़म कबीर और अवसत में ‘नेज़ इब्न हयान और हाकिम ने सही होने की तसदीक के साथ अनस बिन मालिक की ज़बानी दर्ज किया है कि जब जनाब फातिमा बिनत असद रजी० की वफात हुई जिन्होंने हज़रत रसूल खुदा स० की परवरिश की थी तो हज़रत स० उनके सरहाने बैठे और कहा अल्लाह की रहमत आपके शामिल हाल हो ऐ मेरी मां के बाद मेरी माँ। इसके बाद जब लहद बनाने का वक़्त आया तो अपने हाथ से उसे खोदा और उसकी मिट्टी अपने हाथ से निकाली और लहद तैयार हो गयी तो हज़रत स० खुद उसमें लेटे और कहा ‘अल्लाह जो ज़िन्दा करता है और मौत देता है और वह खुद ज़िन्दा है ऐसा जिसे मौत नहीं परवरदिगार। मेरी माँ फातिमा बिनत असद की मगफिरत फरमा और उनके महल में वुस्अत अता फरमा। तुझे वास्ता अपने पैगम्बर (स०) और उन पैगम्बरों का जो मेरे पहले थे तू तमाम रहमत वालों में सबसे ज़्यादा रहमत वाला है।’

(47)

और इब्न अबी शैबा ने ऐसी ही रवायत जाबिर की ज़बानी नकल की है और इसी तरह इब्न अब्दुलबर ने इब्ने अब्बास से और अबु नईम ने हुल्लियातुलअवलिया में अनस से।

इन तमाम रवायत का ज़िक्र हाफिज़ सुयूती ने जामय कबीर में किया है।

यह ज़ाहिर है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम को खुद तवस्सुल की ज़रूरत न थी मगर अपनी उम्मत को इस तरीके के इख़्तियार करने की तालीम देना थी।

(3)

रसूल स० के वास्ते से जनाब अबु तालिब रजी० का तलबे बारों :-

अम्मे रसूल स० हज़रत अबु तालिब रजी० ने हज़रत स० को साथ ले जाकर तलब बारों किया फौरन बाराने रहमत आ गया, इस पर उन्होंने एक कसीदा कहा जिस के दो शेर इस मज़मून के थे कि :-

वह गोरा चिट्टा जिसके चेहरे के ज़रिये से अबर से बारिश हासिल की जाये, वह यतीमों का जाये पनाह ओर रांडों के लिए सबबे हिफाज़त है। पनाह लेते हैं इसकी तरफ बनी हाशिम के तबाह हाल अफराद तो उसके पास एहसानात में घिरे रहते हैं।’

इन अशआर को हज़रत पैगम्बर खुदा स० ने इतना पसन्द फरमाया कि बाद में उन अशआर को और उनके नज़्म करने वाले अबुतालिब को याद फरमाया जिसे हाफिज़ जलाल सुयूती ने खसाईसे कुबरा में दर्ज किया है

(4)

हज़रत स० के तलबे बारों पर एक शायेर के अशआर

सुयूती ने खुद हज़रत स० के तलबे बारों के बाद बारिश होने के

(48)

ज़िक्र में लिखा है कि कबीला कनाना के शायर ने इस सिलसिले में अशआर पढ़े और वह अशआर सुयूती ने दर्ज किये हैं, इनमें उस शायर ने जनाब अबु तालिब के अशआर का भी हवाला दिया है और कहा है कि पैगम्बर के चेहरे के ज़रिये से हमें बारिश नसीब हुई और वह वैसे ही साबित हुए जैसा कि उनके चचा अबु तालिब ने उनके बारे में कहा था हज़रत स० ने उस शायर की तारीफ़ फरमायी और इस तरह उसके उन अल्फाज़ की तसदीक़ फरमायी कि पैगम्बर के चेहरे की बदौलत बारिश नसीब हुई।

(5)

एक नाबीना को रसूल स० की तालीम

बुख़ारी ने अपनी तारीख़ में और बैहकी ने दलायल में सेहत की तसदीक़ करते हुए और अबु नईम ने किताबुल मारिफ़त में उसमान बिन हनीफ़ से रवायत है कि एक नबीना पैगम्बरे खुदा स० के पास आकर कहने लगा कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह मुझे बीनायी अता फरमाये आप स० ने फरमाया! चाहो तो सब्र करो दुआ न कराओ और चाहो तो दुआ कर दूँ।

इब्न माजा की रवायत में यूँ है कि चाहो तो अल्लाह से दुआ करू और चाहो तो सब्र करो कि वह तुम्हारे लिए बेहतर है।

बहरसूरत इस ने कहा आप दुआ कर दीजिए हज़रत स० ने फरमाया! अच्छा तो फिर पूरी उम्दगी के साथ वजू करो, फिर दो रकात नमाज़ पढ़ो और उसके बाद उन अल्फाज़ के साथ दुआ करो कि परवरदिगार! तुझ से सवाल करता हूँ और तेरी तरफ़ मुतवज्जा होता हूँ तेरे पैगम्बर मोहम्मद के वास्ते से जो रहमत के पैगम्बर हैं और ऐ मोहम्मद मैंने आपके वास्ते से रूख़ किया है अपने अल्लाह की तरफ़ कि

(49)

वह मेरी इस हाज़त को पूरा करे परवरदिगार तो इन की सिफ़ारिश को मेरे बारे में कुबूल फरमा, जब उस शख्स ने ऐसा ही किया तो उसकी आँखे रौशन हो गयी।

(6)

सवाद बिन कारिब के अशआर

तब्बानी ने मुअज्जम कबीर में सवाद बिन कारिब का वाक्या लिखा है उसमें है कि उन्होंने पैगम्बर खुदा स० के सामने अपना कसीदा पढ़ा उस में था कि तमाम पैगम्बरों में आप का वसीला अल्लाह के यहाँ सब से ज़्यादा करीब है और फिर यह कि आप मेरी शफ़ाअत कीजिएगा, उनमें से किसी भी बात पर हज़रत स० ने एतराज़ नहीं फरमाया।

(7)

ख़लीफ़ा अब्वल अबु-बक्र का तवस्सुल

शरह दलायल अल ख़ैरात में हज़रत अबू-बक्र के मुताअल्लिक़ है कि वह हज़रत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम की कब्र पर आये और कहा :-

“ऐ मोहम्मद मैं आप से तवस्सुल करता हूँ”

(8)

उम्मुल मोमनीन आयशा का तवस्सुल

इमामुद्दीन आमरी की किताब “बहजतुल महाफ़िल” में है कि अहल मदीना शदीद कहत में मुबतिला हुए तो उन्होंने जनाब आयशा से शिकायत की, उन्होंने कहा :-

“पैगम्बरे खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम की कब्र मुतहर पर छत में एक रौशनदान करा दो कि उसके और आसमान के

(50)

बीच में कोई चीज़ हायल न रहे, लोगों ने ऐसा ही किया तो शदीद बारिश हुई कि नबातात और हैवानात सब पर उसकी सेराबी का खुशगवार असर हुआ।”

(9)

खलीफा सानी उमर का तवस्सुल

हाफिज़ अबु नईम असफहानी ने “दलायल नबूवत” में अनस की ज़बानी लिखा है हज़रत उमर तलबे बारों के लिए निकले और इब्न अब्दुल मुत्तलिब के ज़रिये से तलबे बारों करते हुए कहा :-

“खुदावन्द : पहले जब कहत पड़ता था तो हम तेरे पैगम्बर से तवस्सुल करते थे और अब हम अपने पैगम्बर के चचा के ज़रिये से तुझ से इल्तिजा करते हैं कि हमें बारिश से सेराब फरमा।”

चु:नान्चा बारिश हुई!

इस वाक्ये को जाहिज ने “अलब्यान व बतीयीन” में दो जगह दर्ज करने के बाद लिखा है कि काबल अहबार ने हज़रत उमर से कहा कि बनी इसराईल जब कहत में मुबतिला होते थे तो पैगम्बरों के पिदरी रिश्तेदारों के ज़रिए से तलबे बारों करते थे उनके इस कहने से हज़रत उमर ने जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ज़रिए से तलबे बारों किया।

तारीख़ में है कि जब बारिश हुई तो लोग जनाब अब्बास रजी० से मुतमस्सह करने लगे, हाथ उनके जिस्म से लगाकर अपने चेहरे पर फेरने लगे और कहते थे मुबारक हो आप को ऐ हरमैन (मक्के और मदीने) को सेराब करने वाले, चूँकि जनाब अब्बास दौरे इस्लाम से कब्ल और फिर बाद इस्लाम साकीयुल हज्जीह यानी मक्का मुअज़्मा के हज्जाज को पानी पिलाने के इन्तिज़ाम के जिम्मेदार थे, इस तरह हरमे

(51)

खुदा (मक्का मुअज़्मा) के लोगों को सेराब करना उनका काम था और आज वह इस बाराने रहमत के नुजूल का सबब बनकर हरम रसूल यानी मदीने के सेराब करने वाले साबित हैं। लिहाज़ा उनको सब “साकिअल हरमैन” कह रहे थे लेकिन किसी ने उन लोगों का मूँह बन्द नहीं किया कि यह शिर्क? इसका ज़िक्र इब्न असीर जजरी ने “असदुल गायां” में किया है लिखा है कि इस बारे में हस्सान बिन साबित ने अशआर कहे जिनमें है कि “लोगों ने कहत साली की शिद्दत में सवाल किया तो अब्बास के चेहरे के वास्ते से अबर ने बारों से सेराब किया।

इस शेर में तवस्सुल भी है और सेराब करने की निस्बत खुदा की तरफ नहीं? अब्र की तरफ है वहाबी नुक्ताये नज़र से शिर्क है।

(फिर कहा है) “इनकी बदौलत अल्लाह ने इन शहरों को ज़िन्दा कर दिया और चारों तरफ शादाबी नज़र आने लगी।”

एक रवायत में है जो जनाब इब्न अब्बास रिज़वानुल्लाह अलैह की ज़बानी है कि हज़रत उमर ने कहा।

खुदावन्दा :- हम तुझसे अपने पैगम्बर स० के चचा का वास्ता देकर सेराबी तलब करते हैं और इन की सफेद दाढ़ी को सिफारिश के लिए लाए हैं। उसके बाद बारिश हुई।

(10)

कब्र रसूल स० पर जाकर रसूल स० से फरयाद

इस्तेआब इब्न अब्दुलबर में है कि ज़मानये उमर में एक दफा जो कहत पड़ा तो मुसलमानों में से एक शख्स बैहकी ने लिखा है कि वह असहाबे रसूल स० में से बिलाल बिन हारिस थे, ये कब्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम पर आये और कहा या रसूल अल्लाह : अपनी उम्मत के लिए तलबे बारा कीजिए कि यह हलाक हो

(52)

रहे हैं। उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया।

(11)

नाबगैज़ादी की कब्रें रसूल स० से फरयाद

ख़लीफा सोम उसमान के ज़माने में अम्माल हुकूमत ने नाबगाज़ादी के साथ तशद्दुद से काम लिया तो नाबगा ने कुछ अशआर नज़म किये हैं जिनमें कहा है कि-

“ऐ पैगम्बर और उनके दोनों साथियों की कब्र: हम आप से फरयाद कर रहे हैं।”

और यह नाबगा हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्ललम के बुजुर्ग मरतबा सहाबी हैं।

(12)

अब्दुल्लाह बिन उमर की रसूले खुदा स० से फरयाद

शिफाये काज़ी अयाज़ में है कि अब्दुल्लाह बिन उमर के पैर में एक दफा ख़ास तकलीफ हो गयी, किसी ने कहा जो सब से ज़्यादा आप का महबूब हो, उसे पुकारिये, उन्होंने कहा

“वा मुहम्मदाह”

बस यह कहते ही उनके पैर की तकलीफ दूर हो गयी।

(13)

उसमान बिन हनीफ की तवस्सुल के लिए हिदायत

बैहकी ने और अबु नईम ने किताब अल्मारिफत में दर्ज किया है। सुहेल बिन हनीफ का बयान है कि एक शख्स ख़लीफा सोम उसमान के पास किसी ज़रूरत से जाता था और वह उसकी तरफ तवज्जोह न करते थे, उसने उसमान बिन हनीफ से इसका ज़िक्र किया। उन्होंने कहा

(53)

जाकर वजु करो, फिर मस्जिद में जाकर दो रकात नमाज़ पढ़ो, फिर कहो खुदावन्द! मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ रूख करता हूँ, तेरे पैगम्बर मोहम्मद स० नबी रहमत के ज़रिए से, या मोहम्मद! मैं आप के ज़रिए से अपने परवरदिगार की तरफ रूख करता हूँ कि मेरी यह हाजत पूरी हो, इसके बाद अपनी हाजत का इज़हार करना, चुनानच: इसने ऐसा ही किया और फिर जनाब उसमान बिन अफ़फ़ान के दरवाजे पर गया तो दरबान आया और वह उसे उसमान के पास ले गये उन्होंने उसको ऐजाज के साथ बैठाया और कहा बताओ! तुम्हारी क्या ज़रूरत है? और उस ज़रूरत को पूरा कर दिया।

(14)

पैगम्बर के वसीले से तलबे शिफा

सही मुस्लिम में अस्मा बिनत अबू-बक्र से रवायत है कि उन्होंने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम का जुब्बा निकाल कर दिखाया और कहा यह आयशा के पास था और पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम इसे पहनते थे। अब हम इसे धोकर मरीज़ों को पानी पिलाते हैं और इसके ज़रिये से शिफा हासिल करते हैं, इसे वहाबी जमाअत के मुकतदा इब्न क़ैय्यिम ने भी अपनी किताब “जादुल मआद” में दर्ज किया है।

(15)

अब्दुल्लाह बिन जुबैर का तवस्सुल

इब्न ख़लकान ने अपनी तारीख़ में शाबी की रवायत दर्ज की है कि मैंने एक अजीब वाक्या देखा। हम लोग सहने काबा में बैठे थे, मैं और अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर और मसअब बिन जुबैर

(54)

और अब्दुल मलिक बिन मरवान, नमाज़ के बाद सब लोगों ने कहा कि एक शख्स तुम में से उठे और रूकने यमानी की तरफ जाये और उसे पकड़कर खुदा से दुआ करे। अपनी हाजत तलब करे तो वह ज़रूरत पूरी होगी और फिर सबने कहा कि तुम ऐ अब्दुल्लाह बिन जुबैर उठो कि तुम हिजरत के बाद सबसे पहले माँ के पेट से पैदा होने वाले शख्स हो। इस पर वह उठे और उन्होंने रूकने यमानी को पकड़कर कहा :

खुदावन्द! तू बुजुर्ग है, हर बड़ी से बड़ी बात के लिए तुझ ही से उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है। मैं तुझ ही से सवाल करता हूँ तेरी अर्श की हुर्मत के वास्ते से और तेरे चेहरे की हुर्मत के वास्ते से, और तेरे पैगम्बर की हुर्मत के वास्ते से कि तू मुझे दुनिया से न उठाना यहाँ तक कि मैं हिजाज़ का हुक्मरा हूँ और मुझे ख़लीफा कहकर सलाम किया जाए।”

मज़कूरा बाला तवस्सुल के शवाहिद में कुछ तो हज़रत स० की वफ़ात के बाद से मुताअल्लिक हैं लिहाज़ा यह नहीं कहा जा सकता कि ज़िन्दगी में हज़रत स० के वसीले से दुआ में कोई हर्ज नहीं बाद वफ़ात नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक तो उसूलन जो शिर्क में दाख़िल हो इसमें किसी की हयात और मौत का फ़र्क कोई माने नहीं रखता और फिर ये रसूल स० की वफ़ात हकीकतन वैसी मौत नहीं जो आम अमवात की होती है बल्कि आप स० इस ज़ाहिरी मौत के बाद भी हकीकतन सुनते और जवाब देते हैं इसकी तफ़सील का ये मौका नहीं है मगर मुजमलन इतना अर्ज है कि हयात शुहदा नबस कुर्आन से साबित है। और पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम का मर्तबा पेश खुदा हकीकतन दूसरे शोहदा से बदरजहा बालातर है और अबु दाऊद की रवायत है कि रसूले खुदा स० ने फरमाया कि रोज़े जुमा मुझपर

कसरत से दुरुद भेजा करो कि इस दिन फरिशते हाज़िर होते हैं और कोई शख्स मुझपर भी दुरुद नहीं भेजेगा मगर यह कि वह उस का दुरुद मेरे सामने पेश होगा (रावी कहता है) मैंने कहा कि आप की वफ़ात के बाद भी? फरमाया हाँ मेरी वफ़ात के बाद भी, यकीनन अल्लाह ने ज़मीन पर हराम किया है कि वह पैगम्बरों के जिस्म को खायें और पैगम्बर ज़िन्दा रहता है, उसे रिज़क अता होता है।

हाफ़िज़ इब्न माज़ा ने अपने सनन में इसकी रवायत की है और इस मज़मून की कई हदीसें हैं जो खसायेस कुबरा सुयोती में और दलायल अन्नबूवता हाफ़िज़ अबु नईम अस्फ़हानी में आयी हैं। और मुहदिदस सनदी ने अपने हाशिये में जो सुनन इब्न माज़ा पर है, इस हदीस की शरह में लिखा है कि इस में शक़ नहीं होना चाहिए। इसलिए कि यह बात शोहदा के बारे में तो कुर्आन में आयी है तो फिर पैगम्बरों का क्या ज़िक्र? और ख़ास अबिया के बारे में भी कुछ हदीसे मौजूद हैं। इनमें से यह है कि अ-हज़रत स० ने जनाब मूसा अलै० को देखा कि वह अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं।

अब जब कि हयाते रसूल स० साबित हो गयी तो आपकी इस ज़िन्दगी में तो तवस्सुल की हदीसे हैं, वह सब इस वक़्त भी तवस्सुल के सही होने की दलील है।

कस्तलानी ने 'मवाहिबु लदीनिया' में लिखा है कि हज़रत स० की ज़िन्दगी में और नेज़ वफ़ात के बाद हज़रत स० से तवस्सुल के शवाहिद इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता नहीं किया जा सकता, मुहदिदसीन सल्फ़ हज़रत स० की कब्र मुतहर पर जाकर दुआ को काबिले ऐतराज़ नहीं समझते थे चुनानच: अल्लामा शम्सुद्दीन जज़री ने "नहसने हसीन" में बहुत अच्छे अल्फाज़ में लिखा है कि-

“अगर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम की कब्र मुताहर पर दुआ कुबूल न हो तो और कहाँ कुबूल होगी?”

और शाह अब्दुल हक़ देहलवी ने अपनी किताब “जज़बुलकुलूब” में लिखा है कि मकासिद के हुसूल और अजीब व गरीब फायदों के मुत्तब होने में जो वाकियात हज़रत सरवरे कायनात स0 की कब्र शरीफ़ पर फरयाद और तलब हाजत से मोहताजों और गरीबों के सामने आये हैं, बकसरत हैं।

काज़ी अयाज़ ने शिफा में इमाम मालिक का मकालमा ख़लीफा अब्बासी अबु जाफर मंसूर दवानिकी के साथ दर्ज किया है कि ख़लीफा ने उनसे पूछा कि मैं किबला की तरफ रूख करूँ या चेहरे मुबारक की तरफ रूख करके खड़ा हूँ? इमाम मालिक ने कहा कि आप हज़रत स0 की तरफ से मुँह क्यों कर मोड़ियेगा जब कि वह आपके भी वसीला हैं अल्लाह की तरफ से और आप के बाप अबुल बशर हज़रत आदम के भी।

हमारे फाज़िल हम अस्र सैय्यद इब्राहीम रावी रिफायी ने “अवराके बगदादिया” में रबली से नक़ल किया है, उन्होंने आदाबे ज़यारत में लिखा है कि फिर कब्र शरीफ़ पर आये हज़रत स0 के सर मुबारक की तरफ रूख और किबले की तरफ पुश्त किये हुए और चार हाथ के करीब की दूरी पर खड़ा हो और जिधर रूख हो, उसके नीचे के हिस्से पर नज़र रखें और सलाम पेश करें क्योंकि हदीस है कि जो मुझे सलाम करेगा, मैं उसका जवाब दूँगा, और सलाम में आवाज़ बुलन्द न करे जैसे हज़रत स0 की ज़िन्दगी में हुक्म था, फिर आख़िर में हज़रत स0 के चेहरे मुबारक की तरफ आकर हज़रत स0 से तवस्सुल करें और आपसे परवरदिगार की बारगाह में शिफाअत का खवाहा हो।

गुज़िश्ता शवाहिद में से बाज़ से साबित हो जाता है कि हज़रत

पैगम्बर खुदा स0 की तरफ निस्बत रखने वाली हर चीज़ से बरकत हासिल करना सहाबा व ताबईन और सल्फ सालिहीन के नज़दीक मुसल्लम रहा है।

अब्दुल्लाह बिन उमर की निस्बत बयान है कि वह आसार पैगम्बर खुदा स0 की जुस्तुजू में फिरते थे और जहाँ हज़रत स0 ने नमाज़ पढ़ी हो, चाहे उम्र में एक दफा, वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ते थे और उन्हीं जगहों पर फिर मस्जिद की तामीर हुई। इसका समहूदी ने वफ़ा में ज़िक्र किया है।

इबनुल कौय्यम ने अपनी किताब “जादुल मिआद” में जनाब इस्माईल और हाज़रा के ज़िक्र में हतमी तौर पर लिखा है कि “इब्राहीम अलै0 और उनके फरज़न्द इस्माईल का वतन से दूर होना और तन्हाई और कुर्बानी के लिए आमादगी, इस सबका नतीजा यह था कि इनके आसार और इनके कदमों के निशानात महल इबादत बन गये। मोमिनीन के लिए और मनासिक हज में दाख़िल हो गये क्यामत तक के लिए।” अब जब जनाब इस्माईल और हाज़रा के आसार इस वजह से कि उन्होंने राहे खुदा में इज़ाएँ उठायीं, इसके मुस्तहिक हुए कि वह महल इबादत बन जाएं, तो जो ज़ात अंबिया में अफज़ल हो और जिसका इरशाद हो कि किसी नबी को वह इज़ाये नहीं पहुँची जो ईज़ाये मुझे पहुँची हैं आप स0 के आसार किया इसके मुस्तहिक नहीं होंगे कि उनकी ताज़ीम व तकरीम की जाये? और यह कुल्लिया है कि किसी बुलन्द ज़ात की तरफ निस्बत से दूसरी चीज़ में अज़मत पैदा हो जाती है चुनानच: खसायस कुबरा सुयोती में मेराज के हाल में पैगम्बर खुदा स0 की ज़बानी है कि-

मैं चला और मेरे साथ जिबरईल थे, एक जगह पहुँच कर उन्होंने

कहा सवारी से उतरिये और नमाज़ पढ़िये, मैने ऐसा किया तो उन्होंने कहा आप जानते हैं? आपने कहाँ नमाज़ पढ़ी? यह तैयबा है जहाँ आप हिजरत करके जायेगे। इसके बाद मैं चला तो फिर उन्होंने कहा उतरिये, यहाँ नमाज़ पढ़िये, यह तूरेसेना है जहाँ अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। फिर मैं चला, और उन्होंने कहा उतरिये, नमाज़ पढ़िये, यह बैतलहम है जहाँ ईसा अलै० पैदा हुए थे”

अब हर साहबे ज़मीर फ़ैसला कर सकता है कि ईसा अलै० की विलादत का मक़ाम इस लायक हो कि वहाँ नमाज़ पढ़ी जाये तो क्या हज़रत ख़ातमुल अंबिया स० का मकाने विलादत इसका मुस्तहिक था कि वह मुनहदिम कर दिया जाये जैसा की वहाबियों ने किया?

इसके अलावा हज़रत स० की ताज़ीम व तकरीम और हज़रत की तरफ निस्बत रखने वाली चीज़ों का एहताराम व इकराम और उनको मुतबर्क समझना, इसके बकसरत शवाहिद आसार सहाबा व सल्फ सालिहीन में मौजूद हैं।

अबु उमर शैबानी की रिवायत है कि मैं इब्न मसऊद के पास एक साल उठता बैठता रहा, जिस वक़्त वह क़ाला रसूलल्लाह कहते थे, उनके जिस्म में थरथरी पड़ जाती थी।

शेख़ बदरुद्दीन बिन इब्राहीम बिन सऊदुल्लाह इब्न जमाआ कनानी मतूफी 733 हिजरी की किताब “तज़किरतुस्सामय वलमुतकल्लिम” मतबुआ दायरा तुलमआरिफ हैदराबाद 1353 हिजरी में है कि इमाम जाफ़र सादिक अलै० के सामने जब हज़रत पैगम्बर खुदा स० का ज़िक्र होता था तो आपका चेहरा ज़र्द हो जाता था।

इसी किताब में इमाम मालिक के लिए लिखा है कि जब हज़रत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम का उनके सामने

ज़िक्र होता था तो उनका रंग मुतगैरयर हो जाता था और वह झुक जाते थे।

अब्दुल करीम समआनी की किताब “अदबुलइमला व वलइसतिमला (मतबूआ बरी 1953 इसवी) में यहया बिन बकीर से रवायत हे जब मुअत्ता (मजमूआ अहादीस पैगम्बर स०) की हदीसों को पढ़-पढ़कर मालिक मुकाबला कराते थे तो पूरा लिबास अमामे के साथ पहनते थे और सर झुकाये रहते थे और जब तक उन अहादीस को लिखवाकर फारिग नहीं होते थे सर वगैरह को खुजाते भी नहीं थे, न नाक छिनकते थे, यह कैफियत उनकी इरशादाते पैगम्बर स० की ताज़ीम व तकरीम के लिहाज़ से होती थी।

इसी किताब में मअन बिन ईसा बर्क का बयान है कि मालिक जब अहादीस बयान करने बैठते थे तो गुस्ल करते थे और खुशबू लगाते थे, हाज़िरीन मजलिस में से कोई आवाज़ बुलन्द करता तो ख़फा होते थे और कहते थे कि ख़ालिक ने इरशाद फरमाया है कि पैगम्बर स० की आवाज़ पर आवाज़ बुलन्द न करो, आज रसूल खुदा स० की हदीस बयान होते वक़्त कोई आवाज़ बुलन्द करे तो वह ऐसा होगा जैसे कि उसने आप स० की आवाज़ पर आवाज़ बुलन्द की।

अलावा दूसरे हज़रात के नवाब सिद्दीक हसन ख़ाँ कन्नौजी ने भी लिखा है कि :- इमाम मालिक मदीने में पयादा चलते थे कि शायद उनके जिस्म से ख़ाक का कोई वह जुज़ मुत्तसिल हो जाये जिसपर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम रास्ता चले हैं और हज़रत स० की ताज़ीम के सबब वह मदीने से सवार होकर नहीं चलते थे और कहते थे कि मुझे शर्म आती है कि मैं सवारी पर चलूँ उस ख़ाक के ऊपर जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम दफ़न हैं।

ताज़ीम की एक किस्म यानी बोसा लेना। इसके ख़िलाफ़ वहाबी

मसलक के हज़रत बहुत तशददुद से काम लेते हैं, मगर इसके लिए खुद हज़रत पैगम्बर खुदा स० का रज़ामन्दाना सुकूत ही नहीं बल्कि सरीह इजाज़त भी मौजूद है और आप के बाद सल्फ सालिहीन का अमल भी जारी है। चुनान्चा: “अदबुल इमला व लस्तिमला” में अब्दुर रहमान बिन काब बिन मालिक की रवायत है अपने वालिद से कि मैं हज़रत की ख़िदमत में आया तो हज़रत स० के हाथों और दोनों घुटनों का बोसा लिया और शेख़ मुहरयुद्दीन इब्न अरबी की किताब “मुहाजिरतुल अबरार” में इब्न यजीद की रवायत है अपने वालिद से कि एक ऐराबी रसूल स० के पास आया और एक मोजिज़े की ख़्वाहिश की, उस मोजिज़े को देखने के बाद कहा या रसूल अल्लाह! मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके हाथों और पैरों का बोसा लूँ। आप स० ने इसकी इजाज़त दे दी। फिर उसने कहा कि अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा कर लूँ, हज़रत स० ने फरमाया नहीं, किसी को किसी का सजदा नहीं करना चाहिए।

बोसा बनज़र ताज़ीम भी होता है और बनज़र मोहब्बत भी, बहरहाल इसको शिर्क कहना या ममनू करार देना, दोनों गलत हैं।

असाबा हाफिज़ इब्न हज़र में है कि खुद पैगम्बर खुदा स० ने उस्मान बिन मज़ऊन रिज़वानुल्लाह अलैह की लाश का बोसा लिया और उस वक़्त आप की आँखें भीगी थीं।

बाद वफ़ात पैगम्बर खुदा स० हुजरये नबुवीया और रौज़ये मुकद्दसा और दूसरे मंसूबात को भी बोसा लेने पर मुसलमानों का अमल रहा और उल्मा इससे मुत्तफिक रहे, चुनानच: इमाम अहमद बिन हंबल के एक मुसाहिब ख़ास इब्राहीम हरबी के लिए शेख़ मंसूर हंबली ने हाशिया इकना में लिखा है कि उन्होंने कहा “हुजरये नबी स० का बोसा

लेना मुस्तहब है”

मेहदी अब्बासी के पास एक शख्स नालैन लाया, इस इददआ के साथ कि यह रसूले खुदा स० के पाये मुबारक तक पहुँची है। और हज़रत स० की पहनी हुई है, तो बावजूद यह कि खुद बाद में कहा मुझे यकीन है कि यह शख्स गलत कहता है। रसूल स० के पाये मुबारक से यह नाल छू भी नहीं गयी है। फिर भी इस लिए खड़े होकर बोसा लिया और आँखों से लगाया कि आम मुसलमान मुझ पर बे-अदबी का इल्ज़ाम लगायेंगे कि मेरे पास रसूल खुदा स० की नालैन लायी गयी और मैंने उसकी ताज़ीम व तकरीम नहीं की। यह वाक्या शेख़ इब्न अरबी ने “मुहाजिरतुल अबरार” में दर्ज किया है। इससे ज़ाहिर है कि मंसूबात पैगम्बर खुदा स० की ताज़ीम जम्हूरे मिल्लत इस्लामिया के दिल व दिमाग में मुर्तकिज़ थी।

ताज़ीम व तकरीम और तहसील बरकत ही की एक सूरत मस करना भी है, ख़्वाह अपने हाथ को रसूल स० के जिस्म मुबारक तक पहुँचाकर या आप स० से ख़्वाहिश करना कि आप उस पर हाथ फेर दीजिए इन दोनों बातों का वकू रसूल खुदा स० की इजाज़त और खुद आप स० के अमल से साबित है।

हाफिज़ इब्न हज़र अस्कलानी ने असाबा में लिखा है कि बनी बकार का वफ़द हज़रत पैगम्बर खुदा स० की ख़िदमत में आया, इनमें मआविया बिन सोर बिन इबादा बहैसियत सरदार के थे, जिन की एक सौ बरस की उम्र थी, यह सब मुसलमान हुए और रूख़सत होते वक़्त माविया ने हज़रत स० से ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपके जिस्म मुबारक को अपने हाथ से मस करके बरकत हासिल करना चाहता हूँ, हज़रत स० ने इसकी इजाज़त दी। फिर उन्होंने कहा मेरा यह बेटा बुशर

बड़ा सआदत मन्द है, इसके चेहरे पर हाथ फेर दीजिए, हज़रत स0 ने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया।

हज़रत स0 के मुहाये मुबारक की तकसीम के लिए सहहा अहले सुन्नत से पता चलता है कि वह खुद हज़रत स0 के हुक्म से हुई थी। जैसा कि सहीह मुस्लिम में है कि हज़रत स0 ने अबु तलहा अन्सारी से जिन्होंने सर मुबारक से बालों को साफ किया था फरमाया उन्हें लोगों में तकसीम कर दो।

“महाजिरतुल अवायेल” में है कि इन बालों को अबु तलहा ने रसूले खुदा स0 के हुक्म से तकसीम किया और आप स0 के मुहाये मुबारक इसलिए तकसीम किये गये थे कि वह सहाबा के पास बरकत के लिए बाकी रहे।

“जमा बैनससहीहेन” में अब्दुल्लाह बिन मौहिब की रवायत है कि मेरे घर वालों ने मुझे रौज़ये रसूल स0 जनाब उम्मेसलमा रजी0 के पास पानी के एक प्याले के साथ भेजा, वह चाँदी का एक ज़र्फ़ लायीं जिस में पैगम्बर खुदा स0 के कुछ मुहाये शरीफ़ थे, उनमें से कुछ बाल उन्होंने उस प्याले में डाल दिये, और जब कोई बीमार होता था तो वह उसी ज़र्फ़ से निकाल कर कुछ बाल डाल देती थीं। और वह बीमार उस पानी को पीता था, रावी का बयान है कि मैंने झुककर उस बरतन में देखा तो कुछ सुर्ख रंग के बाल थे।

काज़ी अयाज़ ने शिफा में हज़रत स0 के मोजिज़ात व बरकात में लिखा है कि हज़रत स0 के मुहाये मुबारक में से चन्द बाल ख़ालिद बिन वलीद की टोपी में थे जिनकी वजह से वह हर जंग में फतह पाते थे।

बुख़ारी की रवायत इब्न सीरी से है कि उन्होंने उबैदा से कहा कि हमारे पास कुछ मुहाय मुबारक है जो हमें अनस या उनके घर वालों

से मिले हैं। उन्होंने कहा अरे उनमें से एक बाल मेरे पास हो तो वह मेरे लिए दुनिया वमाफीहा से बेहतर है।

इसी तरह जो शै ज़रा भी रसूल खुदा स0 से ताल्लुक रखती हो, उसे हमेशा मुतबर्रिक व मुकद्दस समझा गया, चुनान्व: शिफाये काज़ी अयाज़ में है कि अब्दुल्ला बिन उमर मिम्बर रसूल स0 के उस महल पर जहाँ रसूल स0 तशरीफ़ फरमा होते थे, हाथ रखते थे और उसे तबर्रुकन अपने मुँह पर मलते थे।

असाबा हाफिज़ इब्न हज़र में है कि यजीद बिन असवद के जब एहतिज़ार का वक़्त था तो सहाबी रसूल स0 वासला बिन असका उनके पास आये तो उन्होंने उनका हाथ लेकर अपने मुँह पर मला और सीने पर रखा और कहा यह वह हाथ है जो रसूल स0 के दस्त मुबारक से मस हुआ है।

मुसनदे अहमद में है उम्मे सलीम से रवायत है कि हज़रत स0 ने एक मश्क से जो उनके यहाँ थी पानी नोश फरमाया था तो उस मश्क का दहाना जो हज़रत स0 के दहन मुबारक से मस हुआ था जुदा करके हुसूल बरकत के लिए रख लिया गया, और ऐसा ही वाक्या इब्न माज़ा और तिरमिज़ी ने कबशुल अन्सारिया के मुताअल्लिक दर्ज किया है और तिरमिज़ी ने हुसन सहीह लिखा है।

जमा बैनुलसहीहेन ने सहल बिन साद सहाबी के मुताअल्लिक रवायत है कि उन्होंने पैगम्बर खुदा स0 से एक चादर आपकी मांग कर हासिल की और जब लोगों ने इसके मुताअल्लिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे इसलिए हासिल किया कि वह मेरा कफन हो और इस तरह मैं अज़ाबे कब्र से महफूज़ रहूँ।

शिफाये काज़ी अयाज़ में है कि सहाबये पैगम्बर खुदा आपके आसारे

मुबारक को आप स0 के बाद बड़ी-बड़ी कीमतों पर हासिल करते थे।

सरे दस्त इतने शवाहिद पेश कर दिये गये हैं जो असबात मतलब के लिए काफी व वाफ़ी हैं।

बावजूद यहकि वहाबी हज़रात अपने को अहले सुन्नत में दाख़िल करते हैं और उनके हम ख़्याल जो हिन्दुस्तान में हैं, वह अक्सर अपने को "अहले हदीस" कहते हैं मगर उनका मसलक जो पैगम्बर खुदा स0 से तवस्सुल की मुख़ालिफ़त और आप स0 के आसार व मंसूबात की ताज़ीम व तकरीम के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के भी ख़िलाफ़ और हदीस की रौ से भी ग़लत है।



तीसरा बाब

वहाबी अक़ीदा अवलिया व सालिहीन के बारे में

इब्न अब्दुल वहाब को उनकी बुर्जुगी और किसी इम्तियाज़ से शिद्दत के साथ इंकार है, और उनका ऐतकाद यह था कि उनमें से किसी से भी तवस्सुल और ख़ालिक की बारगाह में शिफ़ाअत की दरखास्त उन्हें खुदा समझ लेना है और इबादत में उसके साथ दूसरे को शरीक करना है, उसे उन्होंने और उनके ताबईन ने बड़े तूल-तवील बयानात के साथ तहरीर किया है। जिनमें से बाज़ इबारतों का मज़मून उनके नुक्तये नज़र के पूरे तौर से नुमाया करने के लिए पेश किया जाता है, फिर उनके मुंदरजात को एक-एक करके बातिल किया जायेगा।

खुद इब्न अब्दुल वहाब ने अपनी किताब "अत्तौहीद" में उन आयात कुर्आन के दर्ज करने के बाद जो तौहीद के बारे में और दूसरे खुदाओं की इबादत करने वाले मुशरिकीन की रद में लिखा है।

"यह शिर्क जो इन आयतों में और ऐसी ही दूसरी आयतों में मकसूद है, इसमें दाख़िल है कब्रों को पूजने वालों और अंबिया और मलायका और नेक बंदगान इलाही की इबादत करने वालों का शिर्क यही अरब के अहले जाहिलियत का शिर्क था जिसके ख़त्म करने के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफा स0 की बेसत हुयी थी कि वह उनसे दुआएँ मांगते थे और उनकी तरफ पनाह लेते थे और उनसे सवाल करते थे, खुदा के यहाँ इनके तकर्ब को अपना वसीला करार देते थे जैसा कि कुर्आन मजीद की बहुत सी आयतों में इसका ज़िक्र है। हालांकि वह उन्हें

आसमान, ज़मीन या किसी एक ज़र्रे का भी कायनात में से ख़ालिक नहीं समझते थे, मगर चूँकि इनकी इबादत करते थे लिहाज़ा वह मुशरिक करार पाये तो इसी तरह यह लोग जो औलिया व सालिहीन का वास्ता देते हैं और उनसे दुआएँ मांगते हैं।”

इसमें बुनियादी गलती यह है कि ज़ियारते कुबूर करने वालों और औलिया व मुकर्रबीन की ताज़ीम व तकरीम करने वालों की, उनकी इबादत करने वालों की लफ़्ज़ से ताबीर की गयी है। इसके लिए यह समझने की ज़रूरत है कि इबादत के क्या माने हैं?

“इबादत” दर हकीकत किसी ख़ास काम का नाम नहीं है बल्कि यह वह काम है जो किसी को खुदा समझने की नीयत से और इस नीयत के तकाज़े से किया जाए, इसी लिए औलाद का अपने माँ बाप के सामने झुकना और जाहिल का आलिम के सामने झुकना, एक उम्मीती का सादात के सामने झुकना, किसी भी छोटे का अपने बड़े के सामने झुकना इबादत नहीं है, लेकिन मजूसियों का आग के सामने झुकना, और बुत परस्तों का बुतों के सामने झुकना इबादत है। इससे ज़ाहिर है कि शिक किसी काम की नौइयत से वाबस्ता नहीं बल्कि एतकाद उलहूहियत से वाबस्ता है, हो सकता है किसी को सजदा किया जाये मगर वह इबादत इसकी करार न पाये और हो सकता है कि सिर्फ़ आँख का इशारा हो और वह इबादत का मिस्दाक हो।

मुशरिकीन चूँकि अपने बुतों को खुदा समझते थे लिहाज़ा कहते थे कि हम इन की इबादत करते हैं (मा नाबुदहूम इल्ला लयकरबूना इलल्लाही जुल्फी) लेकिन मुसलमान जो रसूल स० या किसी तकररुब इलाही की ताज़ीम व तकरीम करते हैं, उनसे पूछा जाए तो वह कहेंगे कि हम इनकी इबादत नहीं करते, इबादत अल्लाह की करते हैं। हाँ हम

उनकी ताज़ीम तकरीम करते हैं यहीं से उन मुसलमानों में और उन मुशरिकीन में फर्क ज़ाहिर है।

इस तरह की ताज़ीम व तकरीम शिक नहीं हो सकती जबकि वालिदैन के लिए ख़ालिक ने खुद हुक्म दिया कि “इनके सामने अपने को तज़लुल व आजज़ी के साथ झुकाये रहा करो” यह ताज़ीम का हुक्म नहीं तो और क्या है? और इरशाद फरमाया कि।

“जो शआयरे ईलाहिया की ताज़ीम करे तो यह तकवा व परहेज़गारी का एक जुज़ है” और इस तरह अल्लाह की हुमतों की ताज़ीम के लिए फरमाया और हज़रत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम को हुक्म दिया कि :

“अपने बाजू झुकाइये इसके लिए जो मोमिनीन में से आप का पूरा मुतब्बे है” सबसे बालातर यह कि हक़ ताला ने मलायका मुकर्रबीन को हुक्म दिया कि वह अबुल बशर जनाब आदम अलै० को सजदा करें और इब्लीस को सजदा न करने पर मतरूद व मरदूद करार दिया और सूरह यूसुफ़ में है कि हज़रत युसूफ़ अलै० ने ख़्वाब देखा कि ग्यारह सितारे और चाँद सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं और फिर उसकी ताबीर यूँ वकू में आई कि उन्होंने अपने बाप को जो नबी खुदा हज़रत याकूब थे और अपनी वालिदा को बुलन्द तख़्त पर बैठाया तो उन दोनों ने और तमाम भाईयों ने जो ग्यारह थे, उन्हें सजदा किया।

शरीयत इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदे का रवा न होना एक हुक्म शरई है लेकिन साबिक शरियतों में इस का जाएज़ होना और वकू में आना इसकी तो दलील कतई है कि वह शिक नहीं है क्योंकि उसूल दीन में तमाम अंबिया मुत्तहिद है। जो शय दाख़िले शिक हो वह किसी भी शरीअत में जाएज़ नहीं हो सकती।

इस सब से यह अम्र पाये सुबूत तक कतई तौर पर पहुँच जाता है कि हर ताज़ीम इबादत नहीं है इबादत की बुनियाद खुदा समझने पर है और जो मुसलमान अंबिया व औलिया व मुकर्रबीन की ताज़ीम करते हैं, उनके ज़हन में हरगिज़ उनके खुदा होने का तस्ववुर नहीं होता बल्कि वह यकीनी तौर पर सिदक दिल से जानते हैं कि यह अल्लाह के बन्दे हैं जिन्होंने अपनी पूरी उमर उस की इबादत और इताअत में सर्फ की है और उसकी राह में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इसी लिए वह हमारी ताज़ीम व तकरीम के मुस्तहिक हैं तो यह ताज़ीम दर हकीकत अल्लाह की ताज़ीम है जो ऐन तौहीद है और यह ताज़ीम गैरुल्लाह की जो अल्लाह की तरफ निस्बत खास के पेश नज़र है, ताज़ीम इन अफराद की है लेकिन वह इबादत इनकी नहीं है, बल्कि उसकी इबादत है जिसकी तरफ इन्तिसाब से इनकी ताज़ीम हो रही है।

और दुआ वह बराहे रास्त इनसे नहीं होती कि हम उन्हें हाजत बरारी के लिए खुदा से बेनियाज़ होकर काफी समझते हो बल्कि मतलब यह होता है कि यह जो बारगाह इलाही में उसकी इताअत व इबादत की वजह से कुर्ब हासिल किये हुए है, हमारे लिए उसकी बारगाह में हाजत बरारी के लिए दुआ करें और यह आम मोमीनीन के लिए आपस में वारिद हुआ है कि एक की दुआ दूसरे के बारे में बसा अवकात मुस्तजाब होती है और चूँकि हम उन्हें ज़िन्दा समझते हैं जैसा कि शुहदा के बारे में सराहतन कुर्आन में है। तो हम उनसे मुख़ातिब होकर भी मदद के लिए जो कहते हैं, इसका भी मतलब यह होता है कि वह अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए अर्ज व मारूज़ करें या मर्ज़ी बारी के मातहत इसके इज्जत से खुद मदद कर दें, और इस तरह अल्लाह के फ़ेल की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ कुर्आन मजीद से साबित है, जैसे वफ़ात का देना अल्लाह का

काम है। इरशाद हुआ है कि अल्लाह नुफूस को वफ़ात देता है, उनकी मौत के वक़्त और दूसरी जगह इसकी निस्बत मलकुलमौत की तरफ है। इरशाद हुआ है :- कहिए कि तुम्हे वफ़ात देता है मौत का फरिश्ता और तीसरी जगह उसकी निस्बत इन फरिश्तों की तरफ दी गयी है जो मलकुलमौत के मातहत है।

इरशाद हुआ कि वह जिन्हें फरिश्ते वफ़ात देते हैं दर हलाँकि वह अपने नुफूस पर सित्म ढाने वाले हैं, इसी तरह अताये रिज़क या औलाद की निस्बत किसी की तरफ हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं जबकि कहने वाला अकीदा यही रखता हो कि अस्ल अता करने वाला खुदा वन्द आलम है और वह अगर अता करेंगे तो इसके हुक्म से या खुद उसकी बारगाह में सिफारिश के ज़रिये से।

सुनन अबु दाऊद में ख़बीर बिन मतअम की रवायत है कि एक ऐराबी ने हज़रत स0 के पास आकर कहतसाली का हॉल बयान किया और मक़सूद इसका यह था कि हज़रत स0 तलबे बारौं फरमाएँ मगर उसने यह कहा कि हम अल्लाह से सिफारिश कराते है आप के यहाँ और आप की शिफाअत चाहते हैं अल्लाह की बारगाह में, पहले जुमले पर हज़रत स0 ने कई दफा तसबीह इलाही फरमायी और इरशाद फरमाया कि उसकी ज़ात बरतर है इससे कि उसको किसी के पास शिफाअत के लिए पेश किया जाये। इससे ज़ाहिर है कि आप स0 ने इस फिकरे पर आप बारगाह इलाही सिफारिश कीजिए कोई एतराज़ नहीं फरमाया।

हाँ जो शख्स इन हज़रात को अल्लाह का (मआज़ अल्लाह) बराबर समझे और अल्लाह के मुकाबले में उन्हें हाजत रवा और कारसाज़ माने उसे हम भी मुशरिक समझते हैं।

इब्न अब्दुल वहाब का कौल है कि-

“जो कुछ मुसलमानों का औलिया व सालिहीन के साथ अमल है, यही बस मुशरिकीन अरब का अमल था।”

यह अजरुए कुर्आन दुरुस्त नहीं है क्योंकि कुर्आन मजीद से साबित है कि वह अपने असनाम को “अल्लाह” कहते थे यानी खुदा समझते थे और इसलिए वह खुदा की इबादत से अपने को बेनियाज़ समझते थे, चुनानच: कुर्आन में है कि “उन्होंने पैगम्बर के लिए कहा कि यह हमें हमारे खुदाओं से गुमराह किये देता है।”

सूरह: साफात में है कि वह कहते हैं कि “क्या हम एक दिवाने शायर की खातिर अपने खुदाओं को छोड़ दें?”

सूरह: स्वाद में है कि उनकी जवानी रसूल के लिए कि उसने बहुत से खुदाओं को एक खुदा बना दिया, यह अजीब बात है।”

सूरह: शोअरा में है अहले दोज़ख़ की ज़बानी कि “वह अपने माबूदों से कहेंगे कि हम खुली हुई गुमराही में थे, तुम्हें परवरदिगार आलम्या के बराबर करार देते थे।” इससे ज़ाहिर है कि वह अपने माबूदों को अल्लाह के बराबर करार देते थे।

सूरह: अहकाफ में है कि उन्होंने कहा “तुम आये हो कि हमें हमारे खुदाओं से हटाओ।”

सूरह: नूह में है कि वह मुशरिकीन कहते हैं कि अपने खुदाओं को कभी न छोड़ना, दकुआ, सुवा कू, यागौस और यउक और नसर को” (यह सब उनके बुतों के नाम हैं जिन्हें वह साफ-साफ़ खुदा कह रहे हैं)

सूरह: हूद में है कि “हम हरगिज़ इन खुदाओं को नहीं छोड़ेंगे,” फिर है कि “हम समझते हैं कि हमारे खुदाओं में से किसी ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचा दिया है।” और खुद खुदावन्द आलम ने इरशाद फरमाया है कि नहीं फायदा पहुँचाया उन्हें उनके खुदाओं ने जिन्हें वह

अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे कुछ भी।”

और सूरह: हजर में है कि “हम ने आप को बचाया उन मज़ाक उड़ाने वालों से जो अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा बनाते हैं।”

और सूरह: बनी इस्राईल में है कि “अगर उसके साथ और खुदा होते जैसा कि वह कहते हैं तो इस वक़्त वह अर्श के मालिक के मुकाबले में कोई सूरत निकाल लेते।”

और सूरह: मरयम में इरशाद हुआ है कि “इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर बहुत से खुदा बना लिये हैं ताकि वह उनके लिए बाइसगल्बा हो, हरगिज़ नहीं, बहुत जल्द वह उनकी इबादत से इंकार करेंगे और खुद उनके फरीक मुख़ालिफ़ होंगे।”

और सूरह: अंबिया में इनकी ज़बानी इरशाद हुआ है कि “क्या यही वह शख्स है जो तुम्हारे खुदाओं का ज़िक्र किया करता है?”

फिर है जब हज़रत इब्राहीम ने बुतों को तोड़ डाला।

उन्होंने कहा कि किसने हमारे खुदाओं के साथ यह सुलूक किया? यकीनन वह ज़ालिमों में से है।”

फिर है

“उन्होंने (इब्राहीम अलै0) से कहा क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ यह सुलूक किया है ऐ इब्राहीम”

“फिर इरशाद हुआ कि उन्हें आग में डाल दो और अपने खुदाओं की मदद करो”

और सूरह: फुरक़ान में है,

उन्होंने उसे छोड़कर ऐसे खुदा बनाये है जो किसी चीज़ को ख़ल्क नहीं कर सकते और वह खुद ख़ल्क किये गये हैं।”

इस सब से ज़ाहिर है कि वह मुशरिकीन अपने बुतों को बिला

तकल्लुफ इलाह यानी खुदाओं की लफ़्ज़ से ताबीर करते थे। इसके बरख़िलाफ किसी मुसलमान से जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैही व आलिही वसल्लम या औलिया व मुकर्रबीन में से किसी की ताज़ीम करता है पूछा जाये कि तुम उन्हें खुदा समझते हो और इनकी इबादत करते हो? तो वह हरगिज़ इसका इकरार न करेगा बल्कि शिद्दत के साथ इंकार करेगा, इसी से उन मुशरिकीन और मुसलमानों में फर्क ज़ाहिर हो जाता है।

मुसलमानों के लिए यह कहना “उनका नमाज़ रोज़ा वगैरह सब अवाम को धोखा देने के लिए है और अपने शिर्क को इस्लाम के दामन में छुपाना है, इसके मुकाबले में कोई शख्स इतने ही बुलन्द आहन्ग के साथ यह कह सकता है कि नजदी वहाबियों का नमाज़, रोज़ा और हज वगैरह सब नुमायशी है और इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जब कि वह उस रसूल स० की अज़मत के मुन्कर हैं जिनकी बदौलत इनको यह सब बातें याद हुई हैं।

ज़ाहिर है कि इस तरह एक दूसरे को कहना कोई इल्मी बहस का अन्दाज़ नहीं रखता इसलिए इस पर ज़्यादा लिखना तज़ीय अवकात है।



वहाबी अकीदा तमाम अत्याफ़े आलम के मुसलमानों के बारे में

वहाबी लोग अपने सिवा तमाम दुनिया के मुसलमानों को काफ़िर व मुशरिक समझते हैं। आलोसी ने "तारीख नजद" में एक अहम वहाबी आलम शेख अब्दुल लतीफ बिन अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की एक तूल तवील इबारत नकल की है- जिससे मालूम होता है कि तमाम मुसलमानाने आलम पर उनके क्या इल्जामात है जिन में से बहुत सी बातें झूठ हैं और बाज सच है मगर इनको गलत कहना गलत है मसलन यह कि वह अल्लाह से मुहब्बत के बजाय गैरुल्लाह से मुहब्बत करते हैं। हालाँकि रसूल स० और आले रसूल या दीगर अवलिया व मुतकर्बीन से जो लोग मुहब्बत करते हैं वह अल्लाह के मुकाबले में मुहब्बत नहीं है बल्कि अल्लाह की खातिर है या उस के लिए कि उन्होंने उस के दीन के खातिर कारनामों अन्जाम दिए हैं। उस की राह में कुर्बानियां पेश की हैं। ऐसी मोहब्बत एक फरीज़ा दीनी की हैसियत रखती हैं। चुनान्चे ज़ाबिल कुर्बा की मोहब्बत को आय मवद्दत में अजरे रिसालत कह के तलब किया गया है। तो जिसने इस मुहब्बत से इन्हाराफ किया, उसने रसूल स० का हक अदा नहीं किया और एक जगह इरशाद हुआ कि वह जो इमान और अमल सालेह रखते हैं, उनके लिए अल्लाह एक मोहब्बत करार देता है। यानी उस मुहब्बत को फर्ज़ करार देता है और हजरत इबराहीम अलै० की जबानी है कि-

"परवरदिगार! मैंने अपनी औलाद में से कुछ को तेरे घर के पास रखा है। परवरदिगार ! इसलिए कि वह नमाज़ कायम रखें तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे कि उनसे मोहब्बत करें।"

और सूरह बरात में है कि

"अगर तुम्हारे बाप, दादा, औलाद- वगैरह-वगैरह खुदा और रसूल स० से ज्यादा तुम्हें महबूब हों तो अजाब के मुत्तज़िर रहो।"

यहां खुदा के साथ मकाम मुहब्बत में रसूल स० का नाम लिया है।

अनस की रवायत है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।

"तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके बाप, बेटे और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हूँ।"

इसकी बुखारी और मुस्लिम दोनों ने तखरीज की है और सनन इब्नमाजा में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से रवायत है कि

"रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलीहीवसल्लम ने फरमाया कि बाखुदा किसी के दिल में इमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक मेरे अहले बैत से मुहब्बत ने करे, अल्लाह की खातिर और मेरी क़राबत के लिहाज से और हजरत स० ने हजरत अली अलै० के लिए रोज खैबर फरमाया कि मैं कल उसे अलम दूंगा, जिससे खुदा और रसूल मुहब्बत रखते हैं और वह खुदा और रसूल से मुहब्बत रखता है।"

उसे भी बुखारी व मुस्लिम दोनों ने दर्ज किया है। नेज खुद हजरत अली अलै० से खिताब कर के फरमाया!

"ऐ अली। तुम्हारी मुहब्बत इमान और तुम से बुगज कुफर व निफाक है।" और ऐसी ही बकसरत हदीसों हैं।

अब यह लोग जो मोहब्बते रसूल बगैरा को असबाब शिर्क में दखिल कर रहे हैं, तो बदीही तौर पर यह जाहिर है कि इनके दिलों में जर्रा भर रसूल और आले रसूल की मुहब्बत नहीं है। जिस के बाद

बनस्से रसूल स0 ईमान की दौलत से महरूम होना जाहिर है। लेकिन जो वाकई साहबे ईमान है, वह इनकी मोहब्बत का परवरदिगार आलम की तरफ से एक फरीज़ा समझते हैं।

और इब्न अब्दुल वहाब की किताब अत्तौहीद के शारह का यह कहना है कि यह इन से अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और यह इन की राह में इतना खर्च करते हैं जिसका अशरे अशीर भी अल्लाह के लिए सर्फ नहीं करते, बिल्कुल गलत है बल्कि यह इन से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के सबब से करते हैं और जो कुछ इनके नाम पर खर्च करते हैं वह भी अल्लाह की खुशनूदी के लिए करते हैं।

अजीब बात है कि यह लोग अमवात के कुबूर की ज्यारत और उनकी तरफ से खैर खैरात और तवस्सुल की बिना पर मुसलमानों को काफिर करार देते हैं और इनके बहुत बड़े इमाम फख़रुद्दीन राजी इन चीजों को उन बातों में करार देते हैं जिन पर तमाम मज़ाहिबे आलम के अफराद मुत्ताफिक है और जो आम फितरते इन्सानी का तकाज़ा है चुनानच: व तफसीर कबीर में इस आयत के तहत में कि लोग आपसे रूह के बारे में दरयाप्त करते हैं, बकाए रूह के दलायल के ज़ेल में लिखते हैं।

“दसवीं दलील यह है कि हिन्दू और रोम और अरब व अजम तमाम दुनिया के अहले मज़ाहिब, यहूदी हों या नसरानी या मजूसी या मुसलमान सब अपने अम्वात की तरफ से खैर खैरात करते हैं, उनके लिए खैर करते हैं और उन की कब्रों की ज्यारत को जाते हैं। अगर यह सब यह न समझते होते कि मरने के बाद भी वह किसी न किसी तरह की जिन्दगी रखते हैं तो उनका यह फेल अबस होता इन सब का मुत्ताफिक होना इस खैर खैरात पर इसकी दलील है कि यह फितरी तौर पर बिला

इख़िलाफ यह मानते हैं कि असल इन्सान इस जिस्म के अलावा कोई जुज़ है और वह जुज़ इस जिस्म के मुर्दा होने के साथ मुर्दा नहीं हो गया।”

अहादीस पैगम्बर खुदा स0 से भी इस का सुबूत मिलता है चुनानच: सहीह मुस्लिम में यह रवायत है कि

“बड़ा हुसन अमल यह है कि अपनी नमाजों के साथ अपने मां बाप के लिए नमाजें पढ़ो और अपने रोज़ों के साथ अपने माँ बाप के लिए रोज़े रखो।”

इस हदीस के मुताल्लिक इब्राहीम बिन ईसा तालकानी ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से दरयाप्त किया तो उन्होंने कहा कि इस हदीस की सनद में तो नुकस है मगर अम्वात की तरफ से तसददुक में इख़िलाफ कोई नहीं है।

“महाजिरतुलअब्बार” इब्न अरबी मो दो जगह जिल्द अव्वल व जिल्द दोम में अनस बिन मालिक की रवायत यह है कि:

“किसी मैय्यत की तरफ से जो खैरात की जाती है, उसे नेएमे इलाही की सूरत में फरिश्ते लेकर उसकी कब्र के पास जाते हैं और पुकार कर कहते हैं यह तेरे लिए तोहफा भेजा गया है।”

वहाबी तसव्वुर कि यह लोग खुदा समझ कर मोहब्बत करते हैं और झुकते हैं ओर उम्मीद वाबस्ता करते हैं, इसमें पहला जुज़ कि वह खुदा समझते हैं, बिल्कुल गलत है। हाँ मोहब्बत करते हैं जिस के मुताअल्लिक तशरीह हो चुकी है और यह कि वह झुकते हैं, दुरुस्त है लेकिन वह खुदावन्दी निस्बत के पेश नज़र रखने की वजह से झुकना, हकीकतन अल्लाह के लिए झुकना है, न कि ज़ातन इन अशखास और इन चीजों के लिए और उम्मीद अल्लाह से है, इनके वसीले से, न कि

जातन उन से। खौफ व रज़ा यानी डर और उम्मीद के बारे में इमाम अबु हनीफ़ा नोमान बिन साबित की तशरीह किताब "अलआलिम वलमुतआल्लिम" में है: मुतअल्लिम का सवाल यह है कि जो किसी से खौफ करे या उम्मीद वाबस्ता रखे तो क्या वह काफ़िर है? इस का जवाब जो अलिम ने दिया है, वह यह है कि:

"रजा और खौफ यानी उम्मीद और डर की दो सूरतें हैं एक यह कि कोई शख्स किसी से उम्मीद करे या उससे डरे यह समझते हुए कि वह खुद अल्लाह को छोड़ कर किसी ज़रर रिसानी या नफा रिसानी की कुदरत रखता है तो यह शख्स काफ़िर है और दूसरी सूरत यह है कि किसी से उम्मीद रखता हो या किसी से डर रहा हो खैर की उम्मीद या अजमाइश के खौफ की वजह से अल्लाह की तरफ से कि शायद अल्लाह इसके जरिए मुझ तक खैर पहुंचाए, या इस के हाथों मुझ पर कोई मुसीबत नाज़िल करे या किसी नेमत को सल्ब करे तो ऐसा शख्स काफ़िर नहीं होगा, इसलिए कि बाप भी बेटे से उम्मीद रखता है कि वह उसे फायदा पहुंचाएगा और कोई शख्स अपनी सवारी के जानवर से उम्मीद रखता है कि वह उसे मन्ज़िल तक पहुंचाएगा और बादशाह से उम्मीद रखता है कि वह उसकी दादरसी करेगा और इन बातों से कुफ़र लाज़िम नहीं आता। इसलिए कि इसके ज़हन में यह है कि असल मरकज नफा व ज़रर अल्लाह है मगर वह शायद इस बेटे के जरिए से मेरी मदद करादे या उस बादशाह के हाथ मेरी दादरसी करादे, इसलिए ऐसा शख्स काफ़िर नहीं है। इसी तरह खौफ़, कुरआन मज़ीद में हजरत मूसा अलै० की जुबानी है कि मुझे डर है कि कहीं यह लोग मुझे कत्ल न करें, मालूम हुआ कि असबाब ज़ाहिरी की बिना पर किसी से खौफ़ भी बाअसे से कुफ़र नहीं है।"

यह कहना कि लोग खुदा को छोड़ कर दूसरों से दुआ मांगते हैं तो यह पहले बयान हो चुका है कि दूसरों से जातन दुआ नहीं मांगते बल्कि मतलब यह होता है कि वह अल्लाह की बारगाह में इनके लिए दुआ करें या वह इजाज़त दे तो इसकी दी हुई ताक़त (खुद इसकी मदद करे, इस के अलावा इनके वसीले से खुदा वन्द आलम की बारगाह में दुआ माँगते हैं और तवस्सुल को शवाहिद पैग़म्बर खुदा स० के बारे में वहाबी अकीदों के बाब में दर्ज हो चुके हैं। कुछ मज़ीद शवाहिद यहा दर्ज किए जा रहे हैं,

सुनन इब्नमाजा में अबु सईद ख़दरी से रवायत है कि:

"हज़रत पैग़म्बर खुदा स० ने फ़रमाया कि जो अपने घर से नमाज़ के लिए निकले यह कहे, खुदावन्द! मैं तुझसे सवाल करता हूँ इन अफ़राद के हक़ का वास्ता देकर जो तेरी बारगाह के सायल हैं और तुझसे सवाल करता हूँ अपने इस रास्ता तै करने के हक़ से जो तेरी तरफ़ है इसलिए कि मैं न किसी नफसानियत की वजह से निकला हूँ, न शर और फ़साद के लिए, न दिखाने और सुनाने के लिए, मैं निकला हूँ सिर्फ़ तेरी नाराज़गी से बचने के लिए और तेरी खुशनुदी की तलब में तो मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि मुझे आतिशे दोज़ख़ से पनाह में रख और मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा कि सिवा तेरे कोई नहीं जो गुनाहो को माफ़ करे"

इसे हाफ़िज़ जलालुद्दीन सुयूती ने जामय कबीर में भी दर्ज किया है। और हाफ़िज़ अबु ग़यमि असफ़हानी ने "अमलुलयौम वल्लयल" में अबुसईद ख़दरी से रवायत दर्ज की है कि

"हज़रत रसूल खुदा स० जब नमाज़ के लिए बरआमद होते थे तो कहते थे कि खुदावन्द मैं तुझसे सवाल करता हूँ तुझसे सवाल करने

वालों के हक़ का वास्ता देकर और अपने मक़सद से निकलने के हक़ के वास्ते से कि मैं ज़ाती हवा व हवस से नहीं निकला हूँ, न दिखाने और सुनाने के लिए मैं निकला हूँ तेरी खुशनुदी की तलब में और तेरी नराज़गी से बचने के लिए तो मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि मुझे आतिशे दोज़ख़ से महफूज़ और मुझे बहेशत में दाख़िल फरमा”

और सुयूती ने भी किताब अददावात में अबु सईद खुदरी से इसकी रवायत की है।

बुजुर्गों का अमल भी मुतर्करबीन से तवस्सुल पर जारी रहा चुनाच्चे हाफ़िज़ इब्नहजर अस्कलानी ने अपनी किताब “खैराते हिसान फी मनाकिब इमाम अबु हनीफा नोमान” में पच्चीसवीं फ़सल में दर्ज किया है कि

“इमाम शाफ़ई जब बग़दाद में थे तो इमाम अबु हनीफा की ज़रीह के पास आते थे, उन्हें सलाम करते थे और अपनी हाजत के पूरा होने के लिए उन से तवस्सुल करते थे।”

अल्लामा इब्न हजर मक्की ने इमाम शाफ़यी के अशआर दर्ज किए हैं जो उन्होंने अहलेबैत रसूल स0 को मुख़ातिब करके कहे थे जिनका मज़मून यह है कि -

“आले रसूल स0 मेरा ज़रीया है और वह इस बारगाह में मेरा वसीला है। उन्हीं के वास्ते से मुझे उम्मीद है कि फ़र्दाये क़यामत में मेरे दाहिने हाथ में मेरा नामाए आमाल दिया जाएगा।”

पैग़म्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम के साथ तवस्सुल की बहस में खलीफ़ा दोम उमर का जनाब अब्बास अम्म रसूल स0 को तलबे बारान के लिए ले जाना बयान हो चुका है।

यहां इस में कुछ इज़ाफ़ा किया जाता है कि इब्न असीर जज़री

ने “असदुल गाबा” में लिखा है कि

उमर बिन खत्ताब ने कहतसाली की शिद्दत में अब्बास के ज़रिए से तलबेबारों किया और खुदा बन्द आलम ने बाराने रहमत नाज़िल किया तो उमर ने कहा बख़ुदा यह वसीला हैं अल्लाह की तरफ़ और यह मक़ाम व मर्तबा है उसकी बारगाह में और हस्सान बिन साबित ने इस मज़मून के अशआर कहें कि “जब मुसल्लसल कहतसाली रही तो सबने खुदा से सवाल किया और बादल ने अब्बास के चेहरे की बरकत से सेराबी अता की, रसूल स0 के चचा और उनके वालिद के भाई और वह जो दूसरे लोगों को छोड़कर आपके वारिस हैं इन्हीं के ज़रिए से अल्लाह ने इन शहरों को जिन्दा किया और वह खुशक होने की हालत के बाद तरोताज़ा हो गए और जब बारिश हुई तो लोग अब्बास के हाथों को मस करके अपने मुंह पर मलने लगे और कहते थे मुबारक हो आपको ऐ हरमैन के सैराब करने वाले, और हाफ़िज़ इब्न हजर की रिवायत में जो इब्न अब्बास रज़ी0 की ज़बानी है कि उमर ने दुआ में कहा खुदाबन्द: हम तुझ से तलबे बारों करते हैं अपने पैग़म्बर के चचा के ज़रिए से और उनकी सफ़ेद दाढ़ी को शफ़ाअत के लिए पेश करते हैं।”

इससे मालूम होगा कि उनको जो नेकूकार और परहेज़गार अशख़ास और मुक़र्रीबीना इलाही से तवस्सुल करें इस आयत की ज़द में लाना कि जिन्हें मुशरिकीन पुकार रहे हैं, खुद अल्लाह के यहाँ किसी वसीले की फ़िक्र में है जिसे इब्न अब्दुल वहाब ने किताब अलतौहीद में दर्ज किया है और कहा है, इसमें उन मुशरीकिन की रद है जो नेक आदमियों से दुआ करते हैं और यह बहुत बड़ा शिक़ है। हालांकि इसके मुक़ाबले से सूरह मायदा में ख़ालिक का खुद हुक्म मौजूद कि अल्लाह के यहां के लिए वसीला, हासिल करो।” उसे नज़र अन्दाज़ करके वसीला

अख़्तियार करने को शिर्क करार देने का नतीजा यह है कि उमर फारूक काफ़िर और मुशरिक हों और अपने इस कौल की वजह से जो उन्होंने जनाब अब्बास रजी० के लिए कहा कि यह बख़ुदा अल्लाह के यहाँ के लिए वसीला और इसके यहाँ मन्ज़िल और मरतबा है। हकीकत यह है कि मुशरिकीन की मज़म्मत वसीला बनाने पर इसलिए हुई है कि वह ऐसी चीज़ों को वसीला बनाते थे जो तवस्सुल के लायक नहीं हैं यानी बेजान पत्थरों के बुत को जबकि खुदाबन्द आलम ने उनकी ताज़ीम और इससे तवस्सुल का हुक्म नहीं दिया है इसलिए बाज़ जगह है कि यह ऐसों को पुकारते हैं जिनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है लेकिन इसकी बारगाह में अपने हुस्ने अमल और अताअत और इबादत से कुर्ब हासिल करने वाले, उनकी ताज़ीम व तकरीम की खुद अल्लाह की तरफ़ से हिदायत है, लिहाज़ा उनसे तवस्सुल शिर्क क्यों कर हो सकता है? चुनानच: मुसलमानों में हर दौर में सालिहीन व मुर्करीबिन के साथ तवस्सुल और उनके कुबूर पर हाज़िरी और दुआ को हाजत बरारी का ज़रिया समझना सलफ़ सालिहीन में बराबर जारी रहा।

असाबा हाफिज इब्न हजर में अब्दुररहमान बिन रबीअ बिन कअब के ज़िक्र में है कि उन्हें ख़लीफा सानी उमर ने बाब व अबवाब पर आमिल बनाया और तुर्कों से जंग के लिए भेजा और वह वहीं तुर्किस्तान में दफ़न हुए और वहाँ के लोग आज तक उनकी क़ब्र के ज़रिए तलवे बारां करते हैं।

और यज़ीद बिन असवद के ज़िक्र में है कि सलीम बिन आमिर का ब्यान है : दमिशक़ में कहत पड़ा, माविया ने यज़ीद इब्न असवद के वास्ते तलवे बारां किया जिस से बारिश हुई।

शेख़ इब्न अरबी ने 'महाजिरतलु अबरार' में लिखा है कि

अलीबिन अमरु कातिब ने कर्तबा में बयान किया कि मुझ से अबुल कासिम इब्न बश्कवाल मुहददिस ने यह अशआर अबु सईद बिन फ़ाजिल के सुनाए और उनकी क़बर कर्तबा में इसी तरह हाजतों के पूरे होने में मशहूर है जैसे मारुफ़क़र्खी की क़ब्र बग़दाद में और मुफ़ती मोहम्मद रज़ा साहब अन्सारी ने अपनी किताब "बानी दर्सनिज़ामी" में मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़िरन्गी महल के हाल में तहरीर की है लिखा है कि मौलाना इनायत अल्लाह फ़िरन्गी महल ने लिखा है :

"क़ब्रे मुबारक इस वक्त भी मुफ़ीदे खास व आम और ख़ास कर मरीज़ाने इल्म के लिए नुस्ख़ए शिफा है, मशहूर है कि जिसको मतलब किताब का समझ में न आता हो, किताब खोलकर मज़ारे अकदस पर हाजिर रहें और रुहानियत हज़रत से तवज्जोह करे फौरन मतलब समझ में आ जाएगा "वहुवा मुजर्रिब"

(तज़क़िरा उल्माए फ़िरन्गी महल मतबूआ सन् 181)

शियों में उमूमन और बाज़ अहले सुन्नत का भी अमल है कि गिरने लगते हैं तो "या अली" कहते हैं। और संभल जाते हैं, मैंने जैसा कि "सफ़रनामा हज़" में लिखा है मुझे मदीना मुनव्वरा में यह मुशाहिदा हुआ कि चलने में मुझे ठोकर लगी और गिरने लगा तो एक दुकान पर से आवाज आयी "या रसूल अल्लाह" और मैं संभल गया।

हकीकत के लिहाज़ से "या रसूलअल्लाह" और "या अली" कहने में कोई फ़र्क़ नहीं है। वहाबी मसलक के लिहाज़ से दोनों ही शिर्क है। अहले सुन्नत के एक बड़े तबके में "या शेख़ अब्दुल कादिर" का रिवाज है, मुफ़ती मुहम्मद रज़ा अन्सारी ने इसी किताब में यह बयान किया है कि मुल्ला निज़ामुद्दीन ने कुछ लोगों को जो उनके पास इल्तिमास के लिए

हाज़िर हुए थे कहा कि तुममें से जो शख्स ज़्यादा दीनदार हो "या शेख अब्दुल कादिर शूयाल्लाह" जिस कदर मुमकिन हो विर्द करे, फिर उस पर फुट नोट में लिखा है :

"इस विर्द के जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में उल्मा में एखतिलाफे राये है। बाज उल्मा इसके पढ़ने की मुमानियत करते हैं। कोई सौ साल पहले इस सिलसिले में एक साहब ने जिन उल्मा से इस्तफता किया था उनमें मौलाना रशीद अहमद नान्गोरी देवबन्दी भी थे, उन्होंने भी कुललियतन इस विर्द को ममनू नहीं करार दिया है इन उल्मा के जवाबात किताबी शकल में शाय हुए है। किताब का नाम है। "फतवा जवाज़ या शेख अब्दुल कादिर शयल्लाह" मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी इस की इजाजत दी है। इनकी तहरीरी इजाज़त मौलाना मुहम्मद वासिक अलयकीन सज्जादा नशीन कुर्सी जिला बाराबंकी और मौलाना मुहम्मद नासिर फिरंगी महल (हफीद मुल्ला निजामुद्दीन) के पास मैंने खुद देखी है।"

यह कहना कि यह मुसलमान कबरों पर अकूफ करते हैं यानी वहां जमकर बैठते हैं तो यह ज़ाहिर है कि यह जम कर बैठना अगर तिलावत कुर्आन और तसबीह व मुनाजात और नेक आमाल के लए हो या उन लोगों की मदद के लिए जो इस कबर की ज़ियारत के लिए आते हैं तो इस में हर्ज क्या है? वह कारख़ैर में एआनत की हैसियत रखता है।

उन इल्ज़ामात में से जो खुश अकीदा मुसलमानों पर है। एक बड़ी शिद्दत के साथ पेश किया जाता है कि वह इन बारगाहों की चौखट का बोसा लेते हैं मगर इस के कुफ़र शिर्क होने पर कोई दलील नहीं है जब कि ताज़ीम शायेर इलाहिया का हुक्म उमूमौ मौजूद है और यह बोसा भी अकसामे ताज़ीम में से है जिसका हुक्म हजरे असवद के

लिए मौजूद है और इसके अलावा किसी चीज को बोसा लेने की मुमानियत नहीं है तो यह ताज़ीम के उमूमौ हुक्म में दाख़िल रहेगा और पहले आ चुका है उम्मुल मोमिनिन आयशा का बयान है कि रसूल खुदा स0 ने उस्मान बिन मज़ऊन की लाश का बोसा लिया और मैंने देखा कि हज़रत स0 के आँसू रुख़सार हाये मुबारक पर जारी है। इसका शेख सुलेमान बलख़ी कन्दरोजी ने पयंनावयअलमवदत्त में ज़िक्र किया है और इब्न अब्बास और आयशा दोनों की रवायत है कि ख़लीफा अब्वल अबुबकर ने पैग़म्बर खुदा स0 की वफ़ात के बाद आप की लाश का बोसा लिया,उसे इब्न माज़ा ने अपने सुनने में दर्ज किया है और कबर का बोसा लेने के लिए हज़रत पैग़म्बर खुदा स0 की हदीस किफ़ाया शाबी और **फ़तावायु ग़राऐब** और **मतालिबुल मोमिनीन** और **ख़जानतुरवाया** में है कि अपने माँ बाप की क़ब्र का बोसा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि एक शख्स पैग़म्बरे खुदा स0 के पास आया और कहा कि या रसूल अल्लाह! मैंने क़सम ख़ाई है कि मैं बहेश्त की चौखट और हूरैन की पेशानी का बोसा लूँगा, अब मैं किया करूँ? हज़रत स0 ने फ़रमाया कि माँ के पैर और बाप की पेशानी का बोसा ले लो। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह! अगर मेरे माँ बाप ज़िन्दा न हों? फ़रमाया उनकी क़बर का बोसा ले लो, इसने कहा अगर उनकी क़बर न मालूम हो? फ़रमाया कि दो लकीरे ख़ीचों , एक माँ की क़बर के ख़्याल से और दूसरी बाप की क़बर के ख़्याल से उन दोनों का बोसा लेलो, तुम्हारी क़सम पूरी हो जाएगी।

"तमसह" के मायने है हाथ मस करके अपने मुँह पर मल लेना। उसे वहाबी लोग रूक्ने यमानी के लिए जाएज़ व मुस्तहसन समझते हैं। इसके बाद दूसरे मुक़ामात पर भी उमूम हुकम ताज़ीम और सीरत सल्फ़

सालिहीन और अदम सबूत मना शरई की बिना पर उसे जाएज़ व मुस्तहसन समझना चाहिए और पहले इस किताब में आ चुका है कि जब उमर ने अब्बास के वास्ते से तलबे बारँ किया और बारिश हुई तो लोग अब्बास के साथ तमसह कर रहे थे और कह रहे थे कि मुबारक हो आपको ऐ हरमैन को सेराब कर ने वाले ।

और शिफ़ाए काज़ी अयाज़ में है कि अब्दुला बिन उमर को देखा गया कि उन्होंने हाथ रखा मिम्बर के उस महल पर जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलीही वसल्लम बैठते थे और फिर उस हाथ को अपनी पेशानी से लगाया तो अगर तमसह कुफ़ हो तो उन तमाम सहाबा व ताबईन को काफ़िर समझना पड़ेगा ।

यह कहना कि यह लोग अपने को उन अवलिया व मकर्रबीन का मोहताज समझते हैं तो बिला शुबह हर खुदा के बन्दे के लिए लाज़िम है कि अपने को मोहताज समझे और जो अपने को बेनियाज़ समझ ले वह काफ़िर है जबकि कुर्आन में सुरह अहज़ाब में है कि “ऐ इन्सानो! तुम अल्लाह की बारगाह में मोहताज हो और अल्लाह बस है बेनियाज़ है और काबिले तारीफ़”

और सूरह मुहम्मद में है ।

“अल्लाह गनी है और तुम सब मोहताज हो”

और औलिया व सालिहीन की तरफ एहतियाज़ इसलिए है कि वह अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करें और मोमिनीन दूसरे मोमिन का दुआ ख़ैर के लिए मोहताज है चिज़ायके अवलिया व मुकर्रबीन और अन्बिया व मुर्सलिन और अइम्मा ताहीरीन की तरफ यह कहना कि “इनके ज़रिए से बारिश तलब करते हैं तो इसके मुतआलिक शवाहिद पहले आ चुके हैं कि मदीना में क़हत पड़ा और जनाब आयशा

से शिकायत की गयी तो उन्होंने तरकीब बताई कि क़ब्र पैग़म्बर खुदा स0 का एक हिस्सा ज़ेर आसमान कर दो, चुनानचा बारिश हुई और हज़रत उमर ने हज़रत अब्बास अम्म रसूल के ज़रिए से बारिश तलब की ।”

यह कि हौलनाक जंगलो में उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं इसके लिए रसूल खुदा स0 की हिदायत मौजूद है जिसे तिबरानी ने दर्ज किया है कि हज़रत स0 ने फ़रमाया जब तुममें से किसी की चीज़ खो जाये या ऐसी जगह हो जहाँ कोई मददगार नहीं है, तो कहे, “ऐ बंदगाने खुदा मेरी मदद करो ।” एक रवायत में है कि “मेरी फ़रयाद को पहुचो” इसलिए कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें तुम नहीं देखते हों ।

यह कहना कि “यह लोग लड़कियों की शादी वगैरह के लिए इनसे इत्तिजा करते हैं । बड़े-बड़े मसलों में इन पर भरोसा करते हैं तो बेशक यह उस हद तक दुरुस्त है कि यह उन से उन मक़ासिद में अपने लिए दुआ के तलबगार होते हैं । और इस मायने से उनसे मदद हासिल करना चाहते हैं मगर इसके लिए यह कहना कि “यह उनसे गुनाहों की बरिख़ाश के तालिब होते हैं । “एक जसारत आमैज़ झूठ है । कोई मोमिन गुनाहो की माफ़ी की इत्तिजा खुद उनसे नहीं करता बल्कि उनकी शिफ़ाअत का उम्मीदवार होता है, और अल्लाह सुब्हानहू की बारगाह में उनके वास्ते से तालिबे मगफ़िरत होता है । बेशक वह एतिकाद रखते हैं कि इन अइम्मा ताहीरीन और मुकर्रबीन इलाही के दामन से वाबस्ता इनकी तरफ रहमते इलाही को मुतवज्जा करेगी जैसा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस रसूल है कि

“मेरे अहले बैत की मिसाल कशती नूह की सी है जो उस पर सवार हुआ उसने निजात पा ली ।”

और अस्तगफ़ार के लिए जैसा कि रसूल स० से तवस्सुल की बहस में बयान हो चुका है खुदाबन्द आलम ने कुर्आन में हुक्म दिया है कि रसूल स० की बारगाह में हाज़िर हों और वहां आकर अस्तगफ़ार करें और फिर रसूल स० उनके लिए खुदा से अस्तगफ़ार करे तो फिर मुगफ़िरत इलाही का उन्हें उम्मीदवार होना चाहिए और खुद रसूल को हुक्म दिया कि आप मोमिन व मोमिनात के लिए अस्तगफ़ार कीजिए, और सूरह यूसुफ़ में याकूब अलै० के फ़रज़न्दों की ज़बानी है कि उन्होंने अपने वालिद बुर्जुगवार से कहा कि हमारे लिए बारगाह इलाही में अस्तगफ़ार कीजिए, और उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए अस्तगफ़ार करूंगा और हज़रत इब्राहीम अलै० ने अपने मुँह बोले बाप से वादा किया कि मैं आपके लिए अस्तगफ़ार करूँगा और फिर उस वादे की बिना पर अस्तगफ़ार किया भी और कुर्आन मजीद में सूरह नूह में जनाब नूह अलै० की दुआ है कि जो मोमिन मेरे घर में आए उसकी मगफ़िरत फ़रमा।

यह कहना कि उन मुसलमानों के दिल में जो अवलिया इलाही से दुआ मांगते हैं, खुदा का तसव्वुर बिल्कुल नहीं होता मोमिनीन के साथ सूयेज़न बल्कि इफ़तरा और बुहतान है इस शख्स को उनके दिल का हाल क्यों कर मालूम है? यकीनन ज़रा भी बसीरत रखने वाला हर साहिबे ईमान जानता है कि असल मर्कज़ हाज़ात अल्लाह सुबहानहू है और यह तमाम अवलिया व सालिहीन इसी की इबादत और इताअत से इस मर्तबे तक पहुंचे हैं। इसके खिलाफ़ और इसके सिवा हरगिज कोई दूसरा तसव्वुर नहीं होता है।

बेशक आम सूफ़िया के मुतअल्लिक हमें ज़ाती तौर पर कोई इल्म नहीं है। न हम उनकी तरफ़ से वकालत करने के मौक़िफ़ में हैं। मगर

ख़याल यह है कि वह भी अपने पीरो मुर्शिदों और अवलिया के मुतअल्लिक यह तसव्वुर नहीं रखते हैं कि वह खुदा से बेनियाज़ होकर ज़ातन नफ़ा और नुकसान पहुंचाने पर क़ादिर है। लेकिन नजदी आलिम ने उनका क़ौल बयान किया है कि अल्लाह ने हर वली के साथ एक फ़रिश्ता मुक़रर किया है जो सवाल करने वाले की हाजत को पूरा करे तो उसे एक बेबुनियाद बात तो समझा जा सकता है लेकिन कुफ़्र या शिर्क का मूजिब करार नहीं दिया जा सकता है जबकि यह बिल्कुल सही है कि खुदाबन्द आलम ने कायनात में मुख़तलिफ़ कामों के लिए फ़रिश्ते मुक़रर किए हैं मसलन जिबरईल अमीन वही है इस्राफ़ील के जिम्मे सूर फूँकना है। मालिक ख़जानादार जहन्नम है। रिज़वान खाजन जन्नत है। इस्राईल मलकुलमौत है वगैरा-वगैरा, तो अगर बिल्फ़र्ज अल्लाह कोई फ़रिश्ता लोगों की हाजत बरारी के लिए किसी महल ख़ास पर मुक़रर कर दे तो इसमें क्या ख़राबी है? और यह उन आयाते कुर्आनी के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है जिन का मज़मून यह है कि अल्लाह हाजत बरारी करता है। जैसे पहले आ चुका है कि वफ़ात देना अल्लाह का काम है लेकिन खुद कुर्आन में एक जगह इसकी निस्बत मलकुल मौत की तरफ़ दी गयी है और कई जगह फ़रिश्तों की तरफ़।

सबसे ज़्यादा उन वहाबीयो को शाक़ अहलेबैत ताहिर अलै० के अत्बाते आलियात की जो इराक में है। मरजीयत व मरकजीयत है जिसमें इस इनाद का दख़ल है जो बाद रसूल स० एक तबक़े को अहले बैत पैग़म्बर स० से हो गया। इस सिलसिले में यह लोग हवालियान अहले बैत अलै० पर तोहमत तराशी व बुहतान तराज़ी की इन्तिहा कर देते हैं हालांकि जो शख्स साफ़ दिल और बेलौस नियत के साथ इन रौजो पर आए, उसे ख़ालिके करीम की बारगाह में खुजू व खुश और

उसकी जनाब में अख़लास व इबादत के वह नमूने नज़र आएंगे जिन की नज़ीर किसी दूसरे मुक़ाम पर न मिलेगी, और इनके सलाम व ज़ियारत को सुने तो इनकी हर लफ़्ज से तौहीद इलाही और उसकी अज़मत का इक़रार नुमायां होता है। मसलन अमीरुलमोमिनीन हज़रत अली अलै० के रौज़े पर पहले ही जो इज़्ने दुख़ूल पढ़ा जाता है उसमें है।

“कोई खुदा नहीं सिवा अल्लाह के वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद स० उसके बन्दे और रसूल है जो उसकी तरफ से हक़ को लेकर आए, और उसके पैग़म्बरो की तसदीक़ की” (ता आख़िर मजमून)

ऐसे ही अल्फ़ाज़ तमाम ज्यारतों और दुआओ में है जो इन मुशाहिद मुक़दसा में पढ़े जाते हैं और ज़्यारत के बाद जो दो रकत नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके बाद कहा जाता है:

“खुदाबन्द: मैंने यह दो रकत नमाज़ पढ़ी है हृदया करने के लिए अपने मौला, तेरे वली खास, तेरे रसूल के भाई, अमीरुलमोमिनीन अलीबिन अबु तालिब के लिए, खुदाबन्द तू दुरुद भेज मुहम्मद व आले मुहम्मद स० पर और इस नमाज़ व ज्यारत को मुझसे कुबूल फ़रमा और मुझे इस पर वह जज़ा अताकर जो हुसने अमल रखने वाले को अता होती है। ऐ खुदा! मैंने तेरे लिए ही नमाज़ पढ़ी है और तेरे लिए ही रूकू किया है और तुझ ही को सजदा किया है तू एक अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, इसलिए कि नमाज़ और रूकू व सुजूद बस तेरे ही लिए हो सकता है क्योंकि सिवा तेरे कोई खुदा नहीं, खुदा वन्द। मुझे मेरा मक़सद अता फ़रमा बवास्ताये मुहम्मद व आले मुहम्मद।”

और ऐसा ही तमाम मुशाहिद मुक़दसा पर होता है।

इससे ज़ाहिर है कि इन मुशाहिद मुर्शरफ़ा पर हाज़िर होने से

तौहीद की बुनियाद ज्यादा मुस्तहक़म होती है। मुसलमानों की शीराज़ा बन्दी होती है और कुफ़्र व इल्हाद के तसव्वुरात का इस्तेहसाल होता है, इसके खिलाफ़ जो ज़हर अफ़शानी और बुहतान तराज़ी होती है उसकी सही पादाश खुदाबन्द आलम के हाथ में हैं जबकि इस बेबुनियाद तसव्वुर से कितने बेगुनाहों का ख़ून बहाया जाता रहा है और उनकी हत्तक हुरमत की जाती रही हैं जो वहाबी किरदार के मुताअल्लिक़ बतवातिर साबित है।

नवाब सिददीक़ हसन ख़ाँ कन्नौजी ने “अबजदुल उलूम” में लिखा है कि शेख़ मुहम्मद हाज़ी शार्गिद अल्लामा शोकानी ने इब्न अब्दुल वहाब के लिए लिखा है कि इब्न अब्दुल वहाब की किताबों में बाज बाते काबिले कुबूल है और बाज रद कर देने के काबिल है और सबसे ज्यादा मशहूर इनकी दो खुसूसियतें हैं।

1. एक तमाम रूयेजमीन के मुसलमानों को काफ़िर समझना,
2. दूसरा मुसलमानों का बग़ैर सुबूत और गवाह के ख़ून बहाना।

दूसरी जगह है कि वहां के जाहिल अरबों को उन्होंने समझाया कि पैग़म्बर या किसी आलिम से जो तवस्सुल करे, वह मुशरिक हो जाता है। और आगे बढ़ कर उन्होंने तमाम रूये ज़मीन के मुसलमानों को काफ़िर करार दे दिया चुनानच: मुहम्मद बिन इस्माईल अनआयी जो की बहुत बड़े आलिम थे, पहले उन्होंने इब्न अब्दुल वहाब के मुताअल्लिक़ कुछ मिले हुए इत्तलाआत की बिना पर मदह में क़सीदा कहा था जिसकी इब्तिदा नजद और अहले नजद पर सलाम से की थी बाद में जब मोतबर ज़राय से वहा के मज़ीद हालात मालूम हुए तो उन्होंने दूसरे अशआर पहले क़सीदे पर पशेमानी और तौबा के मजमून के कहे और इस तरह ऐलान किया कि मैं अपने उन अशआर को जो मैंने मदह में कहे

थे वापस लेता हूँ कि अब मुझ पर सूरते हाल उसके ख़िलाफ़ जाहिर हो गयी है और खुद अपने उन दूसरे अशआर की शरह लिखी जिसका नाम रखा "महवल है बता फी सरही अब्यातित तौबा" यानी गुनाह का मिटाना तौबा वाले अशआर की शरह में, इसने लिखा है कि पहले एक नजदी आलिम ने अकर अब्दुल वहाब की बड़ी तारीफ़ व तौसीफ़ की थी जिसकी बिना पर मैंने वह क़सीदा कहा लेकिन बाद में मुझे इब्न अब्दुल वहाब की बहुत सी काबिले एतराज़ बाते मालूम हुई जैसे खून रेज़ी और लूटमार और धोखा देकर ख़ास-ख़ास अफ़राद की जान लेना और तमाम रूये ज़मीन के मुसलमानों को काफ़िर करार देना इस में उन्होंने तमाम मुसलमानों के काफ़िर होने के बख़याल खुद दलायल तहरीर किये है तो हमने इन के हाल को ऐसा पाया कि जैसे कोई शख्स थोड़ा इल्म शरीअत का हासिल करे मगर इसने ग़ौर व फ़िक्र से काम न लिया हो और न किसी ऐसे उस्ताद से पढ़ा हो जो उसे सही रास्ता दिखाए, बल्कि इसने बतौर खुद शेख़ इब्न तैमिया और उनके शागिर्द इब्न कैथिम जौज़िया के कुछ तसानीफ़ का मुताला किया और बेसमझे हुए उनकी तकलीद कर ली हो हालांकी खुद वह दोनों तकलीद को हराम करार देते हैं।

सैय्यद मुहम्मद अमीन बिन उमरे मारूफ़ बाबिन आबिदीन ने अपनी किताब "रद्दे मुख़तार" की तीसरी जिल्द में "बगात" के ज़िक्र के जैत में लिखा है।

"जैसा कि इस ज़माने में इब्न अब्दुल वहाब के ताबईन में हुआ जिन्होंने नजद से खुर्रुज किया और हरमैन मक्का व मदीना पर कब्ज़ा कर लिया यह लोग हंबली होने के दावेदार थे लेकिन उन्होंने यह अक़ीदा ईख़तियार किया कि बस वह मुसलमान है। और उनके

मुख़ालिफ़ जितने है सब मुशरिक है और इस तरह अहले सुन्नत और उनके उल्मा के कत्ल को मुबाह समझा, यहां तक कि खुदा ने इनकी ताक़त को तोड़ा और उनके शहरों को बरबाद किया और 1233 हि0 में मुसलमान उन पर ग़ालिब आए।"

खुद वहाबी आलिम सुलेमान बिन अब्दुल्ला बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी किताब "तौज़ीह" में लिखा है कि

"अहले तौहीद के लिए उन मुसलमानों के अमवाल और औरतें सब हलाल है और वह उन्हें गुलाम व कनीज़ बना सकते हैं।"

"यह दरहकीकत इनके पहले ख़वारिज नहरवान का मज़हब रहा है जिन्होंने जनाब अमिरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब औ0 और उनके साथ तमाम मुसलमानों को काफ़िर कराकर दिया और उनके जान व माल को मुबाह समझा और ग़ौर की निगाह से देखा जाये तो बहुत बातों में यह वहाबी लोग इन्हीं ख़वारिज के हममसलक हैं, जैसे वह नारा लगाते थे कि हुक्म बस अल्लाह के लिए है"

यह जुमला हक़ था मगर मक़सद उन का बातिल था, उसी तरह इनका नारा है कि ताज़ीम सिर्फ़ अल्लाह के लिए है दुआ बस अल्लाह से मांगी जाय, मुहब्बत बस अल्लाह से रखी जाय, यह सब जुम्ले दुरुस्त है मगर मक़सूद इससे ग़लत है। जब तारीख़ का मुताला किया जाय तो पता चलता है कि ख़वारिज की अहम शख़्सिअतें सब नजदी थी, चुनान्चे उनका सिपहसालार जंग में शबस बिन रबी और एक बड़ा सरदार मसअर बिन फ़दकी दोनों तैमी थे और इब्न अब्दुल वहाब का कबीला भी बनी तमीम है और वहाबी जमाआत के फ़िर्क़ ख़वारिज में से होने का इन्किशाफ़ शेरे मुहम्दाद बिन यूसुफ़ मशहूर बलकब "काफी" ने अपनी किताब "अलहसन वल जन्नता अला अक़ीदता अहलेस्सना" में कहा है।

वह लिखते हैं:

“आज कल यह ज़हेनीयत चल पड़ी है कि अवलियाये इलाही के करामात का इन्कार किया जाता है और उनके कुबूर की ज़्यारत को मना किया जाता है और उनके साथ अल्लाह की बारगाह से तवस्सुल से इन्कार किया जाता है। यह असल में अतराफ़ बग़दाद में बाज ख़वारिज का मज़हब था उनका अकीदा यह था कि जिसने किसी क़ब्र की ज़्यारत की वह ऐसा है जैसे उसने किसी बुत की परस्तिश की और यह सब बातिल है। इसलिए कि खुद रसूल खुदा स० क़ब्रिस्तान की ज़्यारत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और तमाम उम्मत का इस पर इजमा रहा है। ऐसे लोगों से बहस करना बिल्कुल बेकार है।”

आलोसी मुसन्निफ़ “तारीख़ नजद” अगर च: खुद वहाबियत की तरफ़ मायल है जो उनके अन्दाज़े तहरीर से ज़ाहिर है लेकिन कुछ न कुछ हक़ बात उनके क़लम की जुबान पर भी जारी हो गयी है। उन्होंने सरूद बिन अब्दुल अज़ीज़ के हाल में लिखा है कि उन्होंने अपने लश्कर हर तरफ़ भेजे और तमाम बड़े-बड़े रो साये अरब का सर उनके सामने झुक गया मगर यह कि उन्होंने हज रोक दिया और ख़लिफ़ातुल मुसलिमीन के मुक़ाबले में ख़ुरूज किया और अपने मुख़ालिफ़ मुसलमानों को काफ़िर करार देने में गुलू से काम लिया और कुछ हुक्मों में बड़ा तशद्दुद किया और उन्होंने अक्सर बातों को (जैसे खुदा के हाथ, चेहरा, आँखें वगैराह) ज़ाहरी मफ़हूम पर महलूल किया, हाँ दूसरे लोग इनकी मुख़ालिफ़त में भी हद से बढ़ गए और इन्साफ़ का तकाज़ा है कि दरमियानी रास्ता ईख़्तियार किया जाए न इतना तशद्दुद होना चाहिए जैसा उल्माए नजद और उनके अवाम में है कि मुसलमानों से जंग का नाम वह “जिहाद” रखते हैं और हज को रोकते हैं और यह उस तसाहुली

से काम लेना चाहिए जो आम तौर पर शाम और इराक़ के बाशिंदों में है कि ग़ैर खुदा की क़सम खाते हैं और बड़ी सोने और चाँदी से आरास्ता और रंग बिरंग की मुनक्कश इमारते सालिहीन व मुर्करबीन के कुबूर पर बनाते हैं और उन के लिए नज़र करते हैं और ऐसी ही बातें जिनसे शारे ने मना किया है। खुलासा यह है कि दीन के बारे में अफ़रात व तफ़रीत कोई रूख़ मुसलमानों की शान के लायक़ नहीं है बल्कि मुनासिब यही है कि सल्फ़ सालिहीन की पैरवी की जाये और एक दूसरे को काफ़िर कहना ग़ज़ब इलाही का बाईस है।

जब यह साबित हो गया कि यह लोग तमाम मुसलमानाने आलिम को काफ़िर कहते हैं तो अब रसूल खुदा स० की यह हदीस देखिये जो सही बुख़ारी में है कि :

“जो किसी को काफ़िर कहे तो उस की जद में उन दोनों में से एक ज़रूर आएगा यानी अगर वह मुसलमान जिसे काफ़िर कहा है। वाकिअन काफ़िर नहीं है तो लाज़िमन काफ़िर कहने वाला पेश खुदा काफ़िर करार पाएगा।”

इसके अलावा यह पहले आ चुका है कि यह लोग मुजस्समह में दाख़िल है और मुजस्समा को तमाम उल्माये इस्लाम काफ़िर कहते हैं। फिर अहलेबैत रसूल अलै० से दुशमनी जिसे पैग़म्बरे खुदा स० ने कुफ़्र का मिस्दाक़ करार दिया है, फिर ख़वारिज के कुफ़्र पर उल्माए इस्लाम मुत्तफ़िक़ है यहाँ तक कि इब्न अब्दुल वहाब की किताब “अत्तौहीद” के शारह ने भी लिखा है

“रसूल खुदा स० ने ख़वारिज के लिए गवाही दी है कि वह कसरत से नमाज़ रोज़ा और तिलावते कुर्आन के काम अन्जाम देते होंगे। और लाइलाहाइल्लल्लाह का कल्मा पढ़ते होंगे और इसके

बावजूद वह महकूम बकुफ़ है और हजरत स० ने फरमाया कि अगर मैं इस जमाने में हूँ तो उन्हें क़त्ल कर दो जैसा की 'सहीहैन' में है।"

फिर जैसे ख़वारिज उन आयात को जो कुफ़ार व मुशरकीन के बारे में है मुस्लीमीन व मोमिनीन पर मंतबक करते थे, इसी तरह यह वहाबी हजरात तमाम आयतों को जो मुशरिकों के बारे में है, मुसलमानाने आलम पर मंतबक करते हैं। जैसा कि इब्न अब्दुल वहाब की उस इबारत से जिसे आलोसी ने नक़ल किया है। मालूम हो गया और इब्न अब्दुल वहाब ने इस बारे में मुस्तक़िल रिसाला लिखा है जिस का नाम है **"कशफ़ुशशुबहात फीतशकीका बिल्मुतशाबिहात"** जिस में बड़ी तफ़सील के साथ उन शिर्क वाली आयतों को मुसलमानों पर मंतबक करने की कोशिश की है और इसकी इत्तला भी रसूल खुदा स० ने देदी थी जैसा की बुख़ारी ने अपनी सहीह में अब्दुला बिन उमर से रवायत की है ख़वारिज के वस्फ़ में कि उन्होंने उन आयतों को जो काफ़िरों के बारे में है, मोमिनीन के बारे में क़रार दे दिया और एक रवायत में इब्न उमर की जिसे बुख़ारी के अलावा दूसरों ने नक़ल किया है हजरत स० ने फरमाया:

"सबसे ज्यादा मुझे अपनी उम्मत के लिए जो परेशानी है वह उस शख्स से जो कुर्आन की आयतों को बेमहल सर्फ़ करे"

इसका का इब्न दहलान ने ज़िक्र किया है और जिस तरह ख़वारिज ने मुसलमानों का खून मुबाह समझ लिया था और नाहक मोमीनीन की खूनरेज़ी जायज़ साझी थी, इसी तरह इन वहाबीयों ने इन बेशुमार मुसलमानों को तह तेग़ किया। चुनानच: "कशतुलआबाब" में है कि उनके हाथों जो मुसलमान कत्ल हुए उन की तादाद एक लाख से ज्यादा है और तायेफ़ में अमान देने के मुआहिदे के बाद उन्होंने क़त्ल

आम किया। हालांकि इरशाद इलाही है कि:

"जो किसी एक मोमिन को कत्ल करे, वह ऐसा है कि उसने तमाम इन्सानों को कत्ल किया।"

च: जायका वह लोग जिन्होंने हज़ारों, लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया हो और रसूल खुदा स० ने फरमाया:

"मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और उसे कत्ल करना कुफ़र है।" इसे इब्न माजा ने अपने सुनन में दर्ज किया है, नेज इरशाद इलाही है कि :

"जो एक मोमिन को कत्ल करेगा उसकी सज़ा दोज़ख़ है जिसमें वह हमेशा हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा और उसे बड़ा अज़ाब करेगा।"

वहाबी अकीदा अंबिया व सालिहीन के कुबूर के बारे में

उनका मज़हब यह है कि कुबूर पर कोई इमारत बनाना हराम है और न उनके गिर्द कोई इमारत बनाना चाहिए और वहां दुआ माँगना और नमाज़ पढ़ना, यह सब बातें हराम है। बल्कि इन सबका इन्हिदाम और इनका मिटा देना वाजिब है। यहां तक कि हज़रत ख़ातमुल अंबिया स० की कब्र मुबारक, इसका भी यही हुक्म है। इब्न अब्दुल वहाब और उनके तॉर्बईन के नज़दीक यह मशाहिद और कुबूर सब मिस्ल बुतों के हैं और रसूल स० को वह (मआज़ अल्लाह) सबसे बड़ा बुत समझते हैं।

इन तमाम अक़वाल में भी इनके पेशवा, वही इब्न तैमीया और उनके शागिर्द इब्न कैय्यंम है। चुनान्चे इब्न कैय्यंम ने अपनी किताब "जादल मिआद फ़ी हदी ख़ैरुलइबाद" में तसरीह की है कि इन रौज़ों का जो कुबूर पर बने हुए हैं, जहां तक कुदरत हो, गिराना वाजिब है और इनका एक दिन भी बाकी रखना हराम है, इसलिए कि यह लात और उज़्ज़ा (असनाम) के मिस्ल है, बल्कि उनसे बढ़कर यहां शिर्क होता है और (हाकिम वक्त पर लाज़िम है कि उन अम्वाल को जो रौज़ों के लिए लाए जाते हैं, लेकर दूसरे मसारिफ़ में सर्फ़ कर दे। जैसा कि रसूल ने लात (बुत) के अम्वाल के साथ किया था। इसी तरह इन इमारतों को गिराना वाजिब है या यह कि फ़रोख़्त करके उनकी कीमत मुसलमानों के मफ़ाद के कामों में सर्फ़ करे, इसी तरह इन अवकाफ़ को जो उनसे मुतअलिक् हैं। इसलिए कि वक्फ़ इन पर बातिल है और यह माल है और जो ज़ाया हो रहा है उसे सर्फ़ कर देना चाहिए मुसलमानों के कामों में, और जिल्द दोम में लिखा है कि रसूल अल्लाह ने मस्जिद ज़िरार को

मुनहदिम कर दिया तो यह मज़ारात भी जो इमारते हैं क्योंकर काबिले इन्हिदाम न होगी और नेक काम के खिलाफ़ कोई वक्फ़ सही नहीं है, और वह मस्जिद भी जो किसी कब्र पर हो मुन्हदिम कर देना चाहिए जिस तरह उस मय्यत को जो मस्जिद में दफन हो कबर खोदकर निकाल देना चाहिए क्योंकि दीन इस्लाम में मस्जिद और कबर दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते बल्कि जो पहले हो, वह सही है और जो बाद में है, उसे मना किया जाएगा।

अब इस महल पर मुनासिब मालूम होता है कि नजद के काजी कज़ात इब्न बल्हीद के इस्तिफता और उस जवाब को जो उल्मा मदीना की तरफ मंसूब कर के इन्हिदाम जन्नतुल बकीय के मौके पर शाय हुआ था, यहा दर्ज किया जाय जिस से उन का अकीदा इस सिलसिले में बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएगा, बाद में हम उन दोनों के मुंदराज़ात की काफ़ी व वाफ़ी रद करेंगे, अफशर

इस्तफता

कौल है उल्माये मदीना मुनव्वरा का (खुदा उनकी समझ और इल्म में ज़्यादाती करे) कब्रों पर इमारत और उन्हें मस्जिद बना लेने के बारे में, यह जायेज़ है या नहीं? और जबकि वह नाजायेज़ है बल्कि उसकी सख़्ती से मुमानियत है तो किया उनका गिराना और उनके पास नमाज़ पढ़ने को रोकना वाजिब है? और जब वह इमारत एक वक्फ़ी ज़मीन पर हो जैसे बकीय और वह मानय हो उस मिकदार में फायदा उठाने से जिस पर इमारत है तो किया यह गसब है जिस का खत्म करना ज़रूरी है ताकि दूसरे मुस्तहकीन पर जुल्म न हो और उन के हुक्क मारे न जायें।

या यह वाजिब नहीं है? और जो कुछ जाहिल लोग इन ज़रीहों के पास करते हैं कि उनसे तमस्सुह करते हैं और अल्लाह के साथ-साथ

उनसे दुआ मांगते हैं और कसदे कुर्बत करते हैं उस साहबे कब्र से और उस की नज़र मानते हैं और वहां रोशनी करते हैं यह सब जायेज़ है या नहीं? और जो यह लोग हुजरह रसूल स० के पास करते हैं कि दुआ वगैराह के वक्त उधर का सुख करते हैं और तवाफ करते हैं और बोसा लेते हैं और तमसुह करते हैं इसी तरह जो मस्जिद शरीफ में करते हैं कि तरहीम और तज़कीर करते हैं अज़ान और इक़ामत के बीच में और नमाज़ जुमे के पहले, क्या यह शरा में वारिद है या नहीं?

इस सवाल की ग़लती बल्कि ग़लत बयानी

इस सवाल में एक बड़ी ग़लत बयानी मौजूद है कि बक़ीय की ज़मीन वक्फ़ी है और यह इमारते हक़दारों को उनके हक़ से रोकती है। इसलिए उनका हटाना वाजिब है। और इसकी ताईद इस मफ़ूरजे पर शाफ़ई के कौल से होगी किताब अलआम में कि क़ब्र की इमारत अगर वक्फ़ी ज़मीन पर बनाई गयी हो तो इसका गिराना वाजिब है यह ग़लत इसलिए है कि कुतुब तारीख व सीर का मुताला बताता है कि बक़ीय की इमारते किसी वक्फ़ी ज़मीन पर नहीं है बल्कि तमाम ममलूका ज़मीनों पर बनी है चुनान्चे साहिबे वफ़ा उलवफ़ा में इब्राहीम फ़रज़ंद पैग़म्बर स० की क़ब्र के बारे में लिखा है कि यह एक घर था जो बाद में मुहम्मद बिन ज़ैद बिन अली की मिल्कीयत में आया, फिर इसी क़ब्र के पहलू में उसमान बिन मज़ऊन और फिर यहीं अब्दुर रहमान बिन औफ़ की कब्रें बनी। यह सब एक कुब्बे में थे इससे ज़ाहिर होता है कि यह कुब्बा ममलूका ज़मीन में था, फिर अज़वाजे रसूल का कुब्बा, वह मिल्कीयत था, अक़ील इब्न अबी तालिब की, इसका भी ज़िक्र वफ़ा उल उफ़ा में है, अब रहा अइम्मा अहले बैत अलै० का कुब्बा तो कुतुबे सीर से ज़ाहिर है कि यह ज़नाब

अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कुब्बा था चुनानचः सवाइक़ मेहरका अल्लामा इब्न हजर मक्की में इमाम मुहम्मद बाकिर अलै० के हाल में है कि वह अपने पिदर बुजुर्गवार के पहलू में दफन हुए, इमाम हसन अलै० और अब्बास के कुब्बे में जो बक़ीय में है। और अब्बास के कुब्बे के लिए बाख़बर मुसन्निफीन ने लिखा है कि अक़ील के मकान के गोशे में थी, चुनानचः शाह अब्दुल हक़ मोहदिस देहलवी ने अपनी किताब "जज़बुल कुलूब इला दियारिल महबूब" में लिखते हैं कि:

"अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को भी फातमा बिनत असद बिन हाशिम के कुब्बे के नजदीक मुक़ाबिर बनी हाशिम के शुरु में जो अक़ील के मकान के गोशे में है दफन किया।"

इससे साबित हुआ कि कुब्बा भी ममलूका ज़मीन में था और अल्लामा सैय्यद इब्राहीम रावी रिफायी ने अपनी किताब "अवराक़े बग़दादिया" में लिखा है कि इमाम शाफ़ई का कुब्बा इब्न अब्दुल हक़म के घर में था, रह गयी बक़ीय की सर ज़मीन इसका वक्फ़ होना साबित नहीं है।

अलावा उन तसरीहात के जो पहले इस ज़मीन के ममलूक होने के मुतअल्लिक आ चुके हैं। गुज़िशता सदियों में बराबर उल्माये इस्लाम का इस पर एतराज़ न करना भी बताता है कि उनके नजदीक इन कुब्बों में कोई शरई महजूर न था और मुसलमानों का हर दौर में इनकी तामीर व दुरुस्ती की तरफ़ मुत्वज्जा रहना इनके नजदीक उनके इस्तेहसान की दलील है और अगर वहाबीयीन इन्तिहायी धानधली से काम लेकर उन तारीख़ी तसरीहात को कुबूल न करें जो उन की ज़मीन के मुख़तलिफ़ अशख़ास की मिलकियत होने को बताते हैं हालांकि यह इन्साफ़ से बहुत दूर है। इसलिए कि तारीख़ी वाक़ियात में अहले तारीख़ के ब्यान पर

ऐत्माद के सिवा चारये कार नहीं है। फिर भी जब हदीस और तारीख में इसका पता नहीं है कि यह ज़मीन पहले किस की मिल्कियत थी और उसने उसे वक्फ़ किया तो समझना होगा कि वह इब्तिदायी हालत पर बाकी है कि तमाम ज़मीन मिल्क खुदा है और तमाम ख़ल्क के लिए मुबाह है और उसका हुक्म यह है कि जो कोई क़तआ जमीन को महदूद बनाकर उस पर कोई इमारत बना लें, वह उससे मख़सूस हो जाएगी, फिर किसी दूसरे को इसका मुन्हदिम करना जायेज़ न होगा।

यह थी वह ग़लती और ग़लत बयानी जो असल सवाल में थी और वह सवाल उल्मा से चूँकि किसी आमी जाहिल का न था बल्कि एक बड़ी वहाबी शख़सीयत यानी उनके काज़ीउल कुजात का था लिहाज़ा इस पर नज़र डालना जरूरी था, अब उस जवाब को जो उल्माये मदीना की तरफ़ मंसूब करके नजदी हुकूमत ने शाय किया था। वह मुलाहिज़ा हो :

जवाब

क़ब्रों पर इमारत बनाना इजमाअन ममनू है इसलिए कि इसकी मुमानियत में जो अहादीस है, वह सही हुस्सनद है लिहाज़ा बहुत से उल्मा ने फ़तवा दिया है कि उनका गिराना वाज़िब है और इसमें वह सनद पेश करते हैं। हज़रत अली की हदीस की कि आपने अबुललयाज़ से फरमाया कि मैं तुम्हें इस मुहिम के लिए भेजता हूँ जिस के लिए रसूल स0 ने मुझे भेजा था कि जो मूरत तुम्हें मिले उसे मिटा दो और जो क़बर ऊंची मिले उसे बराबर कर दो। इसकी मुस्लिम ने रवायत की है और क़बरों पर मस्जिदे बनाना और वहां नमाज पढ़ना मुतलक़न ममनू है और वहाँ चराग़ जलाना भी ममनू है। इब्न अब्बास की हदीस की वजह से कि

रसूल स0 ने लानत की न औरतों पर जो क़ब्रों पर ज्यारत के लिए जाये, और इन लोगों पर जो वहा मस्जिदे बनाये और चराग़ रौशन करें, इसकी अहले सुन्नत ने रवायत की है, जाहिल लोग जो ज़रीहों के साथ तमसह करते हैं और बकसदे कुर्बत जानवर ज़बह करते हैं और नज़रें देते हैं और अल्लाह के साथ इन साहिबाने कुबूर से दुआ मांगते हैं, यह सब हराम है और शरअन ममनू है जिसका करना बिल्कुल जायेज़ नहीं है और दुआ के वक़्त हुजरये पैगम्बर स0 की तरफ़ मुंह करना, उसे भी बेहतर है कि रोका जाय जैसा कि मशहूर व मारुफ़ मज़हबी मोतबर किताबों में दर्ज है और तमाम सिम्तों से बेहतर सिम्त काबा है और तवाफ़ और तमसह और तरहीम और तसलीम मज़कूरा अवकात में, यह सब बाद की ईजाद की हुई चीज़ें हैं जो मेरी नाकिस समझ में आया है। वह यह है और हर साहिबे इल्म से बाला तर एक बड़ा आलिम है।

25 रमजान 1344 ही0

जवाबे मज़कूर की रद

उल्माए मदीना के इस फ़तवे की रद अल्लामा सैय्यद हसन सदर और अल्लामा शेख़ जवाद बलागी वगैराह ऐसे बुर्जुग उल्मा ने की है मगर यहां उसके एक जुज़ की मुकम्मल रद लिखी जाती है।

मालूम होना चाहिए कि कुबूर पर तामीर का जवाब किताब इलाही और सुन्नत मुस्तफ़वी और मुसलमानों के अमल दरआमद सबसे साबित है।

किताबे इलाही में इस मौके के जिक्र में जब लोगों को इत्तिला हुई और वह लोग उस गार के पास आये जहा असहावे कहफ़ महवे आराम थे। यह आयत है कि,

“उन सबने कहा कि उन पर एक इमारत कायम करो, उन्होंने जो इनके सिलसिले में ग़ालिब आये, कहा कि हम उन पर मस्जिद तामीर करेंगे”

अन्दाज़े ब्यान से ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मुसलमानों के इस फैसले को जो उन्होंने किया बसूरते इस्तेहसान दर्ज किया है और ज़ाहिर है कि कुर्आन मजीद में अंबियाये मासल्फ़ और उममे साबका के हालात सिर्फ़ तफ़रीह तबाय के लिए दर्ज नहीं होते बल्कि इसलिए कि उनसे इस उम्मत को दर्स हासिल हो तो अगर इमारत बनाना क़बर पर अल्लाह के नजदीक इस उम्मत के लिए काबिले मज़म्मत अमर होता तो वह इस वाक़िया के दर्ज करने में उस पर मुतनब्बा फ़रमाता ताकि इस उम्मत के अफ़राद उससे परहेज करें, जब ऐसा नहीं हुआ और उसने इस वाक़ये को इस अंदाज़ में बयान फ़रमाया तो इससे इसकी ताईद हुई और यह ज़ाहिर हुआ कि यह फैसला उसकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं हुआ और वह इस लायक है कि इस उम्मत के अफ़राद इसकी पैरवी करें और हकीकत यह है कि इस आयत के अलावा अगर इस मुद्दा के लिए कोई दलील न होती तो बस यह आयत उसके सुबूत के लिए काफ़ी थी, मगर चूंकि यह वहाबियों के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है इसलिए इब्न अब्दुल वहाब की किताब ‘अत्तौहीद के शारह ने इसे दर्ज करने के बाद लिख दिया है कि

“यह इसकी दलील है कि जो उनके मामलात में ग़ालिब आए वह काफिर थे, इसलिए कि अगर वह मोमिन होते तो यह फैसला न करते कि नेक आमाल अशखास की कबरों पर मस्जिद बनाये जबकि हमारे पैगम्बर स० ने ऐसा करने वाले पर लानत की है।”

यानी उन्होंने अपने मसलक को असल करार देकर कुर्आन को

अपना ताबय बनाना चाहा है और इसके लिए हजारों मुसलमानों पर कुफ़्र के फतवों का सैलाब उनका इतना बढ़ा कि गुज़िशता दौर के सच्चे मुसलमानों पर भी वह फतवाये कुफ़्र लगाने लगे मगर अब्बल तो पूरी आयत पढ़िए तो पता लगेगा कि इमारत बनाने पर दोनों फरीक मुत्तफिक थे, इख़्तलाफ बस यह था कि इमारत किस तरह की हो? तो अगर बिल्फ़र्ज़ ग़ालिब आने वाले काफिर हों, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यह कि मुफ़स्सिरीन तसरीह करते हैं कि ग़ालिब आने वाले लोग मोमिन थे चुनानच: मुआलिमुत्तन्जील बगवी में है कि:

“मुसलमानों ने कहा हम इन पर मस्जिद की तामीर करेंगे जिसमें परवरदिगार आलमयान के लिए लोग नमाज पढ़ें।”

खाजन ने लवाबुत्तावील में लिखा है कि!

“इब्न अब्बास ने इस इमारत के बारे में फ़रमाया कि मुसलमानों ने कहा हम इन पर मस्जिद बनाएंगे जिस में लोग नमाज़ें पढ़ें, इसलिए कि यह हमारे दीन पर थे।”

इसी तरह के अल्फ़ाज तफ़सीर जलालैन और कशाफ और तफ़सीर अबुससऊद में हैं- और “तनवीरुल मकबास इब्न अब्बास” में है कि “जो ग़ालिब आए, वह मोमिन थे, उन्होंने कहा कि हम इन पर मस्जिद बनाएंगे कि यह हमारे दीन पर थे”

और नेशापूरी ने गरायेबुलकुर्आन में लिखा है कि

“जो ग़ालिब आए वह मुसलमान जमाअत थी और उनका बादशाह मुसलमान था, इसलिए उन्होंने वहा मस्जिद बनायी जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ें और उनके इस महले कयाम से बरकत हासिल करें और इन्हीं को ज्यादा हक था उन कूबूर की हिफाजत के लिए इमारत बनाने को इस सब के बाद क्या इस शख्स का कहना दुरुस्त हो

सकता है कि वह गालिब आने वाले मआज़ अल्लाह काफिर थे जबकि इतने बड़े मुफस्सिरीन जिनमें तरजुमानुल कुर्आन "जरा अल्अमातः" अब्दुल्ला बिन अब्बास भी है, उन्हें अहले इस्लाम व अहले ईमान से बता रहे हैं।

इसके बाद आइए सुन्नत पर नजर डालें, मालूम होना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू यहाँ इस जमाअत के मुकाबले में है जिनके यहां मेयार सुन्नत में एक तो वह चीज है जो हमारे और उनके दरमियान मुशतरिक है। यानी सुन्नत पैगम्बर खुदा सं० जिसमें आपका कौल, फ़ेल, और तक़रीर दाख़िल है। और एक बात में वह हमसे अलग है यानी वह सहाबा रसूल की पैरवी भी जरूरी समझते हैं और उस हदीस को मानते हैं कि मेरे असहाबे मिस्ल सितारों के हैं जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे तो अब हमें लाजिम है कि कबरों की तामीर के सिलसिले में पहले सुन्नते रसूल को पेश करें, फिर सीरते सहाबा व ताबईन कि यह सब हुज्जत कायम होने के लिए काफी है।

(1)

उसमान बिन मज़ऊन की कब्र के लिए रसूल का अमल

नूरद्दीन समहूदी ने वफा उल वफा में लिखा है कि "मुहम्मद बिन कुदामा की रिवायत है कि उनके बाप के ज़रिए उनके दादा से कि जब रसूल खुदा सं० ने उसमान बिन मज़ऊन को दफन किया तो हुक्म दिया कि उनकी कबर के सरहाने एक पत्थर रख दिया जाये कुदामा का ब्यान है कि जब अर्से के बाद हम वकीय गए तो उस पत्थर को देखा और समझे कि यह उसमान बिन मज़ऊन की कबर है।"

दूसरी रवायत में है कि

"हजरत सं० ने फरमाया कि यह पत्थर में इसलिए रखवाता हूँ

कि मेरे भाई की कबर का उससे इल्म हो और उसके पास अपने अज़ीज़ों में जिसका इन्तिकाल हो, उसे मैं दफन करूँ।"

और ज़ाहिर है कि किसी हुक्म या अमल के साथ जब वजह बता दी जाय तो वह वजह जिस सूरत से ज्यादा हासिल हो, वह हुक्म वहा बदर्जा अवला जारी होगा हजरत सं० ने पत्थर रखने की वजह यह बताई कि इससे कबर का इल्म हो और उससे उसके पास दूसरी कुबूर बनाये जा सकें, ज़ाहिर है कि जरीह या कुब्बा बनाने का मक्सद भी यही होता है जो उससे बदर्जा अतम पूरा होता है तो अमल हजरत पैगम्बर खुदा सं० का उसके इसतेहसान का सुबूत होगा।

हर शख्स समझ सकता है कि हज़रत सं० के सामने बहुत से सहाबा की वफात हुईं, मगर किसी के लिए हज़रत सं० ने यह एहतिमाम नहीं फरमाया, इससे साबित होता है कि सब दफन होने वाले यकसाँ नहीं होते और इसी लिहाज से सब कबरे यकसा नहीं होनी चाहिए बल्कि बाज को इम्तियाजे खास होता है। ख्वाह सब्कत ईमानी की वजह से या दीनी एजाज की वजह से और वह इब्तिदायी इस्लाम का दौर बेसरोसामानी का था, जो आम मेयारे ज़िन्दगी पैगम्बर खुदा सं० और फिर दूसरे मुसलमानों का था, उसके लिहाज से जरिह और कुब्बे वगैरा की तामीर मुमकिन न थी, लिहाज़ा उस वक़्त के लिहाज से इम्तियाज़ी अलामत जो हो सकती थी, उसका उसमान बिन मज़ऊन के लिए रसूल खुदा सं० ने इन्तिजाम कर दिया और जब आम मेयारे ज़िन्दगी मुसलमानों का ऊँचा हो गया तो इसी लिहाज से अंबिया व अवलिया के कुबूर के लिए इम्तियाज़ी निशान के तौर पर इमारतों में तरक्की होने लगी, जो होना चाहिए थी, और जितना मरतबा जिस का ज्यादा हो इसके लिहाज से इसमें इज़ाफा होना चाहिए।

(2)

इब्राहीम फरज़ंदे पैगम्बर स० की कब्र पर इमारत

उसी किताब वफा उलवफा में इब्न जबाला की रवायत है "सैय्यद बिन मुहम्मद बिन जबीर से कि उन्होंने इब्राहीम फरज़न्द पैगम्बर खुदा स० की कब्र देखी "ज़दरा" के पास, अब्दुल अजीब बिन मुहम्मद ने कहा यह वह घर है जो बाद में जैद इब्न अली की मिल्कियत में आया।"

अगर इमारत का होना कब्र पर जाएज़ न होता तो रसूल खुदा स० अपने फरज़न्द इब्राहीम को घर के अन्दर क्यों दफन करते और अगर हम बिल्फर्ज यह मानें कि कब्र सहन में थी, जब भी दीवारे सहन की तो कबर के गिंद होगी, हालांकि वह लोग उसे भी ममनू समझते हैं।

(3)

हज़रत खातून जन्नत की सीरत

वफा उलवफा में इमाम मुहम्मद बाकिर अलै० की रवायत है कि "जिगर गोशा रसूल खुदा स० हज़रत फतिमा ज़हरा इस्लामुउल्लाह अलैहा जनाब हमज़ा रिजवानुल्लाह की कब्र की ज़्यारत को जाती थी और उसकी मरम्मत करती थी और दुरुस्त करती थी और उन्होंने भी उसकी शनाख्त के लिए एक पत्थर रख दिया था।"

मालूम होना चाहिए कि यह अमल हज़रत फातिमा जहरा अलै० का अपने वालिद बुजुर्गवार के दौरे हयात में था और जाहिर है कि हज़रत सरवरे कायनात स० के इल्म में था, इसलिए वह तकरीर रसूल में दाखिल होकर जुज सुन्नत रसूले खुदा स० करार पाता है। और यह बिल्कुल वहाबी नजरिये के खिलाफ है इसलिए कि वह खास तौर पर ख्वातीन के लिए कब्र की ज़्यारत को कतअन ममनू समझते हैं और फिर कुबूर के इम्तियाज़ को मुतलकन मना करते हैं मगर जनाब फातिमा स०

कब्र हमज़ा की बराबर मरम्मत करती रहती थी, अगर उसकी बका जरूरी न समझती तो वक्तन फवकतन उसकी ख़बर क्यों लेतीं और जब हिफाज़त कब्र का मुस्तहसन होना इस अमल से ज़ाहिर हो गया तो कुब्बे की तामीर करना जो इस मकसद को पूरा कर सकता है क्यों मुस्तहसन न होगा?

(4)

कब्रे रसूल के लिए हज़रत अली और तमाम अहले बैत व सहाबा का अमल

हर शख्स समझ सकता है कि अगर कब्र पर इमारत बनाना ममनू हो तो इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले से हो और उसमें कब्र बनायी जाये या कब्र पहले हो और उस पर इमारत तामीर की जाए, क्योंकि मेयार दोनों में एक है और वह यह है कि लोग ज़्यारत के लिये आयें और वह इमारत उनके लिए बाइसे आराम होगी, अब अगर यह चीज ममनू हो तो खुद हज़रत पैगम्बर खुदा स० को हुजरये आयशा में क्यों दफन किया जाये जिस पर यकीनी तौर पर छत थी खुसूसियत के साथ अमीरुलमोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब अलै० इस पर इकदाम क्यों करते जबकि वहाबियों के कौल के मुताबिक उन्हीं को हज़रत पैगम्बर खुदा स० ने कब्रों की इमारत को मिसमार करने के लिए भेजा था इससे जाहिर है कि अहले बैत और सहाबा सब मुत्तफिक थे कि कब्र पर इमारत होने में कोई मुजायका नहीं।

(5)

वक्तन फवकतन रौजये रसूल के तजदीद व इस्तेहकाम की कोशिश

वफा उल वफा समहोवी में है कि "पैगम्बर खुदा स० के हुजरे की छत पहले दरख्ते खुरमा की छाल से बनी हुई थी, सबसे पहले जिसने इटों वाली छत बनवायी वह खलीफ़ा दोम उमर बिन खत्ताब थे।"

इसके बाद जैसा नोदी ने शरह सहीह मुस्लिम ने लिखा है :

“जब मुसलमानों की कसरत हुई और सहाबा और ताबईन को मस्जिद रसूल स० की तौसी की जरूरत हुई और यह तौसी अज़वाजे रसूल के मकानात तक पहुंच गयी जिसमें हुजरये आयशा भी था तो इन हज़रात ने कबरे रसूल स० के गिर्द दायरे की शकल में ऊंची दीवारे बनवा दी ताकि मस्जिद में इस तरह नुमाया न हो कि अवाम इसकी तरफ रुख कर के नमाज़ पढ़ने लगे फिर दो दीवारें कबर के दो शुमाली गोशो से मिलाकर बनायी ताकि कोई कबर की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ही न सके।”

इससे ज़ाहिर है कि कब्र पर या कब्र के गिर्द इमारत में कोई हर्ज नहीं, बस कब्र की तरफ रुख करके नमाज़ न होनी चाहिए।

इसके बराबर रौज़ये रसूल की बका और तजदीद में एहतिमाम होता रहा यहाँ तक कि बुखारी ने सहीह से रवायत की है हशाम बिन उरवा से और उन्होंने अपने बाप उरवा बिन जुबैर से कि!

“जब वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में हुजरये रसूल स० की चार दिवारी गिर गयी और उसकी तामीर शुरू हुई तो एक पैर बाहर निकल आया जिससे यह ख्याल करके लोग घबरा गए कि यह रसूल अल्लाह स० का क़दमे मुबारक न हो और कोई ऐसा न मिला जो इस के मुताआल्लिक किसी अपने इल्म का इज़हार करें। बस उरवा बिन जुबैर ने देख कर कहा कि यह बखुदा रसूल अल्लाह स० का पाये मुबारक नहीं है, हो न हो यह उमर का पैर है।”

और मालूम होना चाहिए कि वलीद की ख़िलाफत 86 हि० से 96 हि० तक थी, इस ज़माने तक सहाबा में से बाज़ अफराद मौजूद थे।

(6)

जौजये रसूल उम्मे हबीबा की कब्र पर इमारत

समहूदी ने लिखा है कि ज़ैद बिन सायेब की रवायत है अपने दादा की जबानी कि:

जब अकील बिन अबी तालिब रजी० ने अपने घर में एक कुँआ खुदवाया तो एक मुनक्कश पत्थर निकला जिस पर लिखा था कि “यह उम्मे हबीबा दुखतर बिन हरब की कबर है तो अकील ने कुँआ को पटवा दिया और उस पर इमारत बनवा दी, इब्न सायेब का बयान है कि मैं उस इमारत में दाखिल हुआ तो मैंने वह कब्र खुद देखी।”

(7)

इमारते कुबूरे अंबिया बिल्खुसूस हज़रत इब्राहीम अलै०

अल्लामा मआसिर सैय्यद इब्राहीम रावी रिफायी ने “अवरौके बगदादिया” में लिखा है कि:

“जब मुसलमानों ने शाम और बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो अंबिया की कबरों पर इमारते देखी, उन्हे मुनहदिम नहीं किया और सबसे ज्यादा मशहूर वह इमारत है जो जनाब इब्राहीम खलील अल्लाह की कबर पर है और उसे खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब ने देखा और उसे मुनहदिम नहीं किया, और शेख तकीयुद्दीन इब्नतैमिया ने अपनी किताब “सिराते मुस्तकीम” में इस इमारत के वजूद का जनाब इब्राहीम की कब्र पर फतूहात के दौर में जिक्र किया है मगर कहा है कि 400 हि० तक इस इमारत का दरवाज़ा बन्द था।”

हम कहते हैं कि सहाबा का जिनमें खलीफा दोम उमर भी थे, इस इमारत को बाकी रखना इसकी दलील है कि कब्र पर इमारत के होने में उनके नजदीक कोई हर्ज नहीं था, और इब्न तैमिया का यह कौल कि दरवाज़ा इसका 400 हि० तक बन्द था। एक इद्दआ है जिसका

कोई सुबूत नहीं बल्कि तारीख़ का बयान इसके ख़िलाफ़ है और पता चलता है कि चौथी सदी के पहले भी लोग हज़रत इब्राहीम अलै० की ज़्यारत को जाते थे चुनानचे सैय्यदा नफीसा जिनकी वफात दूसरी सदी हिजरी में है हर नमाज के बाद दुआ करती थी कि-

“खुदाबन्द: मुझे अपने खलील इब्राहीम की कब्र की ज़्यारत नसीब कर।”

इसका ज़िक्र उस्मान बिन मददोख़ शाफ़थी ने अपनी किताब “अल अदलुश शाहिद फी तहकीकुल मुशाहिद” में किया है।

(8)

जनाब फातिमा बिनते असद की कब्र पर इमारत

गुज़िश्ता शवाहिद के बाद ही इमारते कुबूर के जवाज में कोई शक न रहना चाहिए जबकि रसूल खुदा स० का अमल और तकरीर और फिर अहले बैत और सहाबा व ताबईन का अमल खैरुलकुरुन और उससे मिली हुई सदियों में बराबर जारी रहा और जो शख्स मजीद जुस्तुजू करे, उसे और ज्यादा पता चलेगा कि पहली ही सदी में कुब्बे की तामीर होने लगी थी, चुनानच: समहूदी ने वफा उलवफा में लिखा है कि:

“फातिमा बिनत असद (मादर हज़रत अली बिन अबी तालिब) की कब्र के मुतअल्लिक अब्दुल अजीज की रवायत है: जिसकी सनद मुहम्मद (हनीफा) इब्न अली बिन अबी तालिब तक पहुंचती है, कि जब फातिमा बिनत असद की हालत मरज में खराब हुई और पैगम्बर खुदा स० को इसका इल्म हुआ तो फरमाया कि इन्तिकाल हो जाये तो फौरन मुझे इत्तला देना चुनानच: जब वफात हो गई तो हज़रत स० को इत्तेला दी गयी, फौरन हज़रत तशरीफ लाये और उनकी कब्र खोदने का हुक्म

दिया उस मस्जिद के अन्दर की जमीन पर जिसे अब “कब्रे फातिमा कहा जाता है।”

समहूदी कहते हैं कि यह कहना जनाब मुहम्मद हनीफा का कि “उस मस्जिद के अन्दर की जगह में” बतला रहा है कि उस वक्त उनकी कब्र पर मस्जिद थी जिस में कब्र का आमतौर पर लोगों को इल्म था, मुहम्मद हनीफा की वफात 81 हि० में है। इसलिए जनाब मुहम्मद हनीफा की यह रवायत बता रही है कि पहली ही सदी में जनाब फातिमा बिनत असद की कब्र की तामीर हो गयी थी।

(9)

जनाब हमजा रजी० की कब्र पर इमारत

वफा उल वफा में है कि अब्दुल अजीज ने कहा कि ज़्यादा गुमान हमारे यहाँ यह है कि मसअब बिन उमैर और अब्दुल्लाह बिन हजश दफन हुए हैं उस मस्जिद के नीचे जो हमजा रजी० की कब्र पर बनी हुई थी।”

और यह अब्दुल आजीज दूसरी सदी के शख्स है जिसकी सराहत समहूदी ने इसके पहले की है और लिखा है कि आइन्दा फसल में हमजा की कब्र के जिक्र में अब्दुल अजीज बिन मरवान की जबानी आएगा कि कदीम जमाने से हमजा की कब्र पर मस्जिद थी और यह दूसरी हिजरी का जिक्र है।

(10)

जनाब अब्बास रजी० और इमाम हसन अलै० की कब्र का कुब्बा उल्लामा इब्न हज़र मक्की ने सवायक महरका में इमाम मुहम्मद बाकिर

अलै0 के हाल में लिखा है कि:

“आप की वफात 117 हि0 में 58 बरस की उमर में मिस्ल अपने वालिद बुजुर्गवार के ज़हर से हुई थी, और आपकी वालिदा उनके वालिद के चचा इमाम हसन की बेटी थी और आप बाप और माँ दोनों तरफ से हजरत रसूल स0 की औलाद में है और आप भी अपने वालिद के पास इमाम हसन अलै0 और जनाब अब्बास के कुब्बे में जो जन्नतुल बकीय में था दफन हुए” इससे जाहिर है कि अब्बास की कब्र पर कुब्बा 117 हि0 में मौजूद था और मुहद्दिस ख्वाजा पारसा बुखारी ने अपनी किताब “फजलुल खिताब” में इमाम जैनुल आबिदीन के हाल में लिखा है कि:

“आप की वफात मदीने में 95 हि0 में हुई और आपकी उम्र 54 बरस की थी और आप इस कुब्बे में दफन हुए जिसमें अब्बास और आपके चचा हसन दफन थे। फिर इसमें आपके फरज़न्द मुहम्मद बाकिर अलै0 और उनके फरज़न्द जाफर सादिक अलै0 दफन हुए।”

और इब्न खल्कान ने आपके हाल में लिखा है कि:

“आपकी वफात 94 हि0 में हुई और आपके चचा इमाम हसन अलै0 के मकबरे में इस कुब्बे में दफन हुए जिसमें अब्बास की कब्र थी।”

इसी तरह इमाम मुहम्मद बाकिर अलै0 के हाल में लिखा है। इससे मालूम होता है कि पहली सदी के आखिर में अब्बास की कब्र पर कुब्बा मौजूद था।

इसके बाद यह कहना कि “यह बिदअत ताबईन के बाद पैदा हुई है” हकीकत अमर से बेखबरी या तजाहुल का नतीजा है बल्कि नजद के काजी कुजा अब्दुल्लाह इब्न सुलेमान बिन वलहीद ने इस पर तुरा कर दिया है कि अपने मजमून में जो “उम्मुलकुरा।” के शुमारा रोजजुमा 4 जमादी अस्सानी 1345 हि0 में शाय हुआ है लिखा है कि:

खैरुलकुरुन में सुन्ने में नहीं आया कि यह बिदअत पैदा हुई हो बल्कि बिदअत पाँच सदियों के बाद वजूद में आयी है।”

यह निहायत अजीब इददआ है जिसे तारीख बिल्कुल झूठ साबित करती है क्योंकि तारीख से पाँच सदी के बहुत कबल से कुब्बे का वजूद आपके सामने आ चुका है और सहमूदी ने वफा उलवफा में लिखा है कि:

“पैगम्बर खुदा स0 की कब्र मुतहर की इमारत की दीवारें नीची थीं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने निहायत इस्तेहकाम के साथ उन्हें ऊँचा करवा दिया। फिर अबुल बखतरी” ने जो हारून रशीद की तरफ से मदीने का गवरनर था 193 हि0 में उस हुजरे की छत तामीर करवायी, फिर मुतवक्किल ने हरमैन के गवरनर इस्हाक बिन सल्मह को 242 हि0 में हुक्म दिया कि वह इस हुजरे को संगमरमर से मजबूत बनवा दे।

और इब्न खल्कान ने इमाम मूसा काज़िम अलै0 के हालात में खतीब बगदादी से नकल किया है जो 392 हि0 में पैदा हुए है कि।

“मूसा काज़िम अलै0 मकाबिर कुरैश में कुब्बे से बाहर दफन हुए और उनकी कब्र वहाँ मशहूर है ओर ज़्यारत गाहे खल्क है। और इस पर रौज़ा बना हुआ है ओर कन्दीले वहाँ आवेज़ा है और तरह-तरह के सामान और बे इन्तिहा फर्श फुरोश है।”

इसमें यह अल्फाज़ कि “कुब्बे से बाहर दफन हुए” यह बताते हैं कि एक कुब्बा वहाँ आपके दफन होने से पहले मौजूद था और इमाम मूसा काज़िम अलै0 की वफात 183 हि0 में हुई है और इस वक़्त मकाबिर कुरैश में कुब्बा मौजूद था, और फिर मूसा काज़िम अलै0 का रौज़ा खतीब के ज़माने से पहले बन चुका था तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे चौथी सदी हिजरी के दरमियान में मानना पड़ेगा।

और जमालुद्दीन इब्न अनीया ने "उम्दतुततालित" में लिखा है कि "हारून रशीद ने हजरत अमीरुल मोमिनीन अलीबिन अबीतालिब अलै0 की कवर पर कुब्बा तामीर कराया था।"

और ऐसा ही "हबीब अलसीर और कामिल इब्न असीर वगैराह में है और हुसैनबिन हज्जाज शायर जिनकी वफात 327 हि0 में है उनके एक कसीदे का मतला इस मज़मून का है।"

"ऐ नजफ में चमकते हुए कुब्बे वाले। जो आपकी कब्र की ज़ारत करे और शिफा तलब करे, वह शिफा पाएगा। और इब्न खल्कान ने अबुतमाम हबीब बिन ओस ताई (शायेर) के हालात में लिखा है कि "उनकी वफात 230 हि0 में हुई और उनकी कब्र पर नहशल बिन हमीद तूसी ने कुब्बा तामीर किया।"

इसी तरह बोरान बिन हसन बिन सुहैल के कुब्बे का जिक्र किया है जिनकी वफात 271 हि0 में हुई है। इसी तरह गुसदुलदौला दैलमी के हाल में लिखा है जिनकी वफात 271 हि0 में हुई है कि!

"वह पहले अपने घर में दफन हुए, फिर इमाम मूसा काज़िम अलै0 के हरम की तरफ मुन्तकिल किए गए जो मकाबिर कुरैश में है।"

इब्न वकीय शायेर के हाल में लिखा है जिनकी वफात 393 हि0 में हुई कि "वह बड़े कब्रस्तान में दफन हुए उस कुब्बे में जिसकी तामीर वहाँ उनके लिए हुई।"

और उसमान बिन मद्दूख शाफई ने अपनी किताब "अलअदलुराशाहिदफी तहकीकिलमुशाहिद" में सैय्यद इब्राहीम हुसैन के रौजे के बारे में लिखा है कि:

"यह रौज़ा काहिरा से बाहर खन्दक के करीब है उसके और मतरिया के बीच में और मस्जिद तबराला खशीदी के नाम से मशहूर है

इसलिए कि उन्होंने उसे सैय्यद इब्राहीम मज़कूर की कब्र पर बनवाया है फिर लिखा है कि तबरा खशीदी की वफात 360 हि0 में हुई"

रौजतुससफा से पता चलता है कि मामून खलीफा अब्बासी ने अपने बाप हारून रशीद की कब्र पर कुब्बा बनवाया था और यह 203 हि0 के कबल की बात है। चुनान्चे इमाम रज़ा अलै0 के हाल में अबुस्सल्लात हरवी की रवायत दर्ज है, उनका बयान है कि :-

"मैं एक दिन इमाम रजा अलै0 के पास था, आपने फरमाया उस कुब्बे की तरफ जाओ जिसमें हारून रशीद की कब्र है और थोड़ी सी मिट्टी वहाँ की ले आओ, उन का बयान है कि मैं गया और ले आया तो आपने उसे सूँघा और फिर फेंक दिया फरमाया। बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है कि मेरे लिए वहीं कबर खोदी जाय।"

सबको मालूम है कि यह खलीफा मामून अल्अब्बासी खुद अहले इल्म में से था जैसा कि सुयूती की तारीख अलखुल्फा में है कि मामून अदल व इन्साफ का पाबन्द, इल्म फिका का माहिर और बड़े उल्मा में इस का शुमार था, फिर दूसरे उल्मा भी इस ज़माने में बकसरत मौजूद थे जिन में इमाम शाफयी, अहमद बिन हंबल और सुफयान बिन अनीया ऐसे लोग थे मगर किसी ने कुब्बे की तामीर में इज़हार इख़िलाफ नहीं किया है।

इस मुख्तसिर किताब में इतने शवाहिद का दर्ज करना काफी है जो शख्स पूरे तौर पर तलाश करे उसको मजीद शवाहिद इसके बकसरत मिलेंगे।

'इजमा', यहाँ हम उस इसतिलाह के मुताबिक उसे देखेंगे जो अहले सुन्नत की है यानी मुसलमानों की एक कसीर जमाआत का इत्तिफाक राय। यह कुबूर की तामीर की मवाफिकत और मुसलमानों की

राय आम इन इमारतों के बका और एहतिराम पर मुत्तफिक रही इसका सुबूत इससे मिलता है जिसे हाफिज़ जलालुद्दीन सुयूती ने तारीख अलखुल्फा में लिखा है कि जब मुतवक्किल ने इमाम हुसैन अलै० के रौजे को मुनहदिम कराया और इससे भी यह ज़ाहिर है कि तीसरी सदी में आप की कब्र पर इमारत थी और इसके गिर्द और भी इमारतें थी जिन्हें मुतवक्किल ने मुनहदिम कराके खेती करा दी और लोगों को ज़्यारत से रोक दिया और मुतवक्किल का नासबी यानी दुशमन अहले बैत होना आम तौर पर मशहूर था तो मुसलमानों को इससे बड़ा सदमा पहुँचा और बगदाद के बाशिन्दों ने उसके खिलाफ नारे दीवारों पर लिख दिए और शुअरा ने उसकी मज़मूत में अशआर कहे जिनमें से बाज़ सुयूती ने नकल भी किए हैं। इससे ज़ाहिर है कि आम मुसलमान जिन्हें “जमहूरेउम्मत” कहना चाहिए, इस इमारत के एहतिराम पर मुत्तफिक थे और अक्सर उल्मा ने इसके मुताबिक तसरीह की है चुनान्चे, साहब दर्रे मुख्तार ने लिखा है कि:

“इमारत बनाने में एखतिलाफ है। हमारा मुखतार यह है कि इसे कोई मुजायका और मुल्ला अली कारी ने शरह मिशकात में लिखा है कि:”

“सल्फ सालिहिन ने मुस्तहसन समझा है इमारत बनाने को मशायेख और मशहूर उल्मा की कब्रों पर ताकि लोग इनकी ज़्यारत को जायें और इन इमारतों में ठहरकर आराम पायें।”

और ऐसा ही मुहदिदस मुहम्मद ताहिर फितनी ने मजमा अलबहार में लिखा है और दूसरे उल्मा के अकवाल भी इसी के मुताबिक है।

इसके बाद उल्माये मदीना का यह कौल गलत हो जाता है कि

कुबूर पर इमारत बनाना इज्माअन ममनू है इसलिए कि वह अहादीस जो उसे रोकते हैं सहीहुस्सनद नहीं मगर मालूम हो गया कि इज्मा और उन अहादीस का अददआ बिल्कुल बेबुन्याद है।

उनका यह कहना कि अकसर उल्मा ने फत्वा दिया है कि इन इमारतों को मुन्हदिम करना वाजिब है। हजरत अली अलै० की हदीस की बिना पर कि आपने अबुललहयाज से यू फरमाया, हम जहाँ तक किताबों पर नजर डालते हैं, हमें यह उल्मा नजर नहीं आते, मालूम होता है कि यह तमाम उल्मा सिर्फ नजद की सरज़मीन से तअल्लुक रखते हैं। बाकी हर जमाने के उल्मा तो तमाम तेरह सदीयों में इन इमारतों को देखते रहे और कभी उनके मुन्हदिम करने का फतवा नहीं दिया, सिवा इब्न तौमिया और इब्न कैथिम के जो जमहूर उल्मा की मुख़ालिफत का निशाना रहे और रुसवाए ज़माना हुए। इसके बरख़िलाफ तमाम उल्मा के सुकूत और तार्ईद के साथ तमाम मुसलमान इन इमारतों की तजदीद ओर इसतेहकाम की तरफ मुतवज्जा रहे। अबुललहाज वाली हदीस से जो यह लोग इस्तनाद करते हैं, वह बातिल है कई वजूह से।

1. अब्वल यह कि यह हदीस कुफ़ार व मुशरिकीन के कुबूर से मुत्आल्लिक है जिनके वजूद से कोई दीनी फायदा नहीं बल्कि मुज़रत का अंदेशा है, लेकिन अंबिया व सालिहीन के कुबूर की बका में दीनी फ़वायद है जो पसन्दीदा खालिक है। जैसे ज़्यारत इन कुबूर की जिसके लिए हुक्म भी हुआ है कि कब्रों की जाकर ज़्यारत करो कि उनसे आख़िरत की याद तरो ताज़ा होती है और फिर उन कारनामों की याद ताज़ा होती है जो इन हज़रात ने इशाअते दीन और खुदा की राह में किये थे और कुबूर कुफ़ार से इस हदीस के तअल्लुक होने का करीना खुद हदीस में मौजूद है, इसलिए कि एक साथ दो चीजों के महव करने

का हुक्म हुआ, एक मूर्तियाँ और दूसरी ऊँची कब्रें और ज़ाहिर है कि यह मूर्तियां मुसलमानों की तामीर करदा नहीं थी बल्कि मुशरिकीन की बिना करदा थी, तो यह कब्रें भी उन्हीं की होंगी और यह दरायतन भी ज़ाहिर है क्योंकि मुसलमान उस दौर में माली हैसियत से कहाँ इतने मुतमइन थे कि वह कब्रों पर इमारतें तामीर कराते और सहाबा शर्फ सुहबत के लिहाज से सब बराबर की हैसियत रखते थे। लिहाजा उनमें कुछ अफराद को ऐसी इम्तियाजी खुसूसियत हासिल न थी कि इनकी कब्रों पर इमारत तामीर होती लिहाजा वह कुबूर जिनके मिटाने का हुक्म हुआ था हरगिज मुसलमानों की कब्रें न थी वरना उन पर साबिक खुल्फा के दौर में इमारतें क्यों तामीर होती जो अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को उनके मुन्हदिम कराने की जरूरत होती और फिर रसूल खुदा स० के हुक्म का आपने हवाला दिया कि मुझे इस मुहिम के लिए भेजा था तो रसूल अल्लाह स० के दौर में मोमिनीन के कुबूर पर यह इमारते क्यों कर बन गयी और खुद हजरत स० को बवक्त तामीर खबर न हुई जो बाद में उनके गिराने के लिए हजरत अली अलै० को भेजा?

अब यह कि वह अंबिया सल्फ की कब्रें हों तो ऐसा भी नहीं था। एक तो वह मदीना और उसके अतराफ में न थीं बल्कि शाम व फिलस्तीन में थी या ईराक में थी और फिर अगर उन कब्रों के इन्हिदाम को भेजा था तो वह बाद में बाकी क्योंकर रहा जो तमाम अतराफे अर्ज में मुनतशिर है जैसे जनाब दानियाल अलै० की कब्र शोसतर में और जनाब हूद अलै० और सालेह और जनाब यूनुस और जिलकफल और यूशा के कुबूर नजफ और सरज़मीन बाबुल में और बहुत से अंबिया के कुबूर शाम और फिलस्तीन में।

और सुनीए!

रसूल अल्लाह स० की मादरे गिरामी जनाब आमना बिनत वहब की वफात कब हुई थी? जब हजरत स० की उमर मुबारक 6 बरस की थी और चालीस बरस की उम्र में हजरत स० मबउस बरिसालत हुए यह चौतीस हो गए, फिर तेरह बरस के बाद हिजरत हुई। अब हुए सैतालीस (47) बरस, फिर 8 हि० में फतह मक्का हुई। यह पचपन 55 बरस यानी आधी सदी का ज़माना गुज़र गया और उस वक्त तक जनाब आमना की कब्र नुमायां थी, मगर रसूल खुदा स० ने उसे गिराने या मिटाने का हुक्म नहीं दिया बल्कि खालिक से उनकी कब्र की ज़्यारत के लिए इजाज़त हासिल फरमायी और खुदावन्द आलम ने हज़रत स० को इसकी इजाज़त दी और आप कुछ सहाबा की मयीयत में वहाँ ज़्यारत के लिए तशरीफ़ ले गए, सरहाने बैठे और सरमुबारक को इस तरह जुम्बिश दे रहे थे जैसे कुछ बातें कर रहे हो और फिर गिरिया फरमाया जिस पर तमाम हाज़िर वक्त मुसलमान जो सब सहाबा थे गिरिया करने लगे। इसका ज़िक्र सहीह मुस्लिम में भी है।

फिर इसका भी ज़िक्र पहले हो चुका है कि आप स० के फरज़न्द जनाब इब्राहीम की कब्र भी मकान के अन्दर थी और वह कब्र खुद हजरत स० न बनवायी थी। यह मकान भी हज़रत स० के दौर में और इसके बाद बराबर बाकी रहा।

इसके बाद खुद हज़रत स० की कब्र मुबारक इमारत के अन्दर हुई जिसे खुद हज़रत अली बिन अबी तालिब और दीगर अहले बैत और सहाबा ने बनवाया और वह इमारत भी बराबर बाकी रही बल्कि उसके स्तेहकाम और इमारत की शान में इज़ाफा किया जाता रहा और इसके बाद जनाब अब्बास अम्मे रसूल स० की कब्र पर कुब्बे की तामीर भी इसी दौर में हुई जो हज़रत अमीर अलै० के दौर हुक्मत के कबल का था और

यह कुब्बा भी इसके पहले और इसके बाद बराबर कायम रहा।

इस सबसे ज़ाहिर है यह मुन्हदिम करने का हुक्म अगर था तो वह कतअन कुपफार व मुशरिकीन के कुबूर से मुताअल्लिक था और मुकर्रबीन व सालिहीन के कुबूर में इम्तियाज खास का होना मरतकजात नुफूस अहले इस्लाम में से था चुनानचा असाबा हाफिज़ इब्न हजर में मुहम्मद बिन शरजील के हाल में है कि खुद उनका बयान है कि :-

“मैंने साअद बिन मआज़ की कब्र की थोड़ी सी ख़ाक मुट्ठी में लेकर सूँधी तो इसमें से मुशक की खुशबू महसूस की।”

अब जबकि वह हुक्म इन्हिदाम दर सूरत यह कि उस हदीस के माने यही हो, कुपफार और मुशरिकीन के कुबूर से मुताअल्लिक था तो उससे अइम्मा दीन और मोमिनीन सालिहीन के कुबूर के इन्हिदाम पर इस्तदलाल करना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि “जो कब्र ऊँची देखो उसे बराबर कर दो” इसके माने यह निकलते हैं कि खुद कब्र ऊँची है जैसे इसाइयों की कब्रें होती हैं या खुद मुसलमानों के एक तबके में कोहाने शुतर की तरह ऊपर उठी हुई कब्रें बनायी जाती है तो उन कब्रों को ऊपर से मुन्हदिम करके बराबर कर देने का हुक्म हो लिहाज़ा इस हुक्म की ज़द उन पर नहीं पड़ती जो मुसतह बनायी गयी हों लेकिन इनके गिर्द इमारत बना दी गयी हो या कुब्बे की तामिर की गयी हो जैसा कि अइम्मा दीन और सालिहीन व मुकर्रबीन के कुबूर होते हैं। हदीस का तअल्लुक उन कुबूर से नहीं है।

हकीकत यह है कि खुद कुबूर की साख़्त में इख़िलाफ़ है। अहले सुन्नत की अक्सरीयत कोहान शुतर की तरह ऊँची बनाती है लेकिन फिका इमामिया में जिसकी बिना अइम्मा अहले बैत अलै0 के तालीमात पर कायम है जो अपने जद्दे बुजुर्गवार हज़रत पैगम्बर खुदा

स0 के पहुंचाए हुए शरह इलाही के अहकाम से ज्यादा वाकिफ़ थे और नेज फिका शाफयी में कब्र को मुसतह बनाना चाहिए। यह हदीस इससे मुताअल्लिक है। इसलिए हमारे एक बड़े मुहदिदस शेख़ हुर आमली अलै0 ने हदीस की अपनी बड़ी मबसूत किताब “वसायेलुशशिया” में उसे “तसतीहकब्र” के बाब में दर्ज किया है और मुहदिदस नबी ने भी जो बड़े उल्मा अहले सुन्नत में से हैं यही मतलब समझा है। चुनानचे शरह सहीह मुस्लिम में इस हदीस की शरह में लिखा है कि:

“सुन्नत यह है कि कब्र ज़मीन से ज़्यादा ऊँची न हो और उसे कोहान शुतर की तरह का न बनाया जाय बल्कि बस एक बालिशत ऊँची रखी जाय और यही शाफयी और उनके हम खयाल उल्मा का मसलक है।”

और किस्तलानी ने भी शरह सही बुखारी में उसे कब्रों के मुसतह बनाने के दलायल में दर्ज किया है और कहा है कि उस हदीस में कुबूर के बराबर करने के मायने यह नहीं है कि उन्हें ज़मीन के बराबर कर दिया जाय बल्कि उसका मतलब यही है कि उन्हें मुसतह कर दिया जाय।

हकीकत यह है कि सव्वतिया की लफ़ज़ जो तसव्वयता से है, इसके साथ अगर किसी चीज़ का नाम लिया जाय तो मायने उस शैय से बराबर करने के होंगे लेकिन जब किसी दूसरी चीज़ का नाम न लिया जाय तो उसके मायने यह होंगे कि बस अपनी जगह उस शैय को मोतदिल और मुसतह बना दिया चुनानचः फ़ैयतोमी ने मिस बाहुलमुनिर में लिखा है कि इस्तवलमकान के माने यह है कि यह जगह मोतदिल व मुतवाजिन हो गयी और सव्वयता के माने है कि मैंने उसे मोतदिल व मुतवाजिन बना दिया इस तरह कामूस में है, अगर वह माने होते तो

सत्वयता बिल अर्ज कहा जाता जैसे कामूस ने कहा है कि सत्वयता बिही तसरियता और सत्वयता बैन हुमा और सावैयता अवसरीयता बिही, इस सबके माने यह है कि मैंने उसको दूसरे के बराबर कर दिया, यहा सिर्फ सवय्यता है तो इसके माने वही है कि जो उल्मा ने समझे हैं कि कबर की बीच वाली ऊँचाई को खत्म करके उसे मुसत्तह कर दिया जाय।

अगर कब्र को ज़मीन के बिल्कुल बराबर करने का हुक्म होता तो पैगम्बरे खुदा स0 ने उसमान बिन मस्उन की कब्र को ज़मीन से ज़रा ऊँचा क्यों रखा जिसकी सराहत हदीस में मौजूद है और एक हदीस अभी आएगी जिसमें है कि रसूल खूदा स0 ने एक शख्स को देखा कि कब्र से तकिया लगाए बैठा है और तकिया लगना मुमकिन ही नहीं जब तक कि कब्र ज़मीन से कुछ न कुछ ऊँची न हो।

इस तामीर के शोअबे से मुतअल्लिक एक चीज है कब्र पर साया करना जिस की मुमानियत भी कुछ वहाबी अफराद की ज़बानी गोश ज़द हुई है हालांकि इसका भी वकू उसी दौर में जो खैरुलकुरुन था नजर आया है। चुनान्चे असाबा हाफिज़ इब्न हजर में सालबा बिन मालिक की रवायत है कि:

“हकम बिन अबील आस की दौरे खिलाफते उसमान में मौत हो गयी और गर्मी उस दिन शिददत से थी तो कब्र पर एक खेमा नसब किया गया कुछ लोगों ने इस पर “चेमेगोई” करना शुरू की तो जनाब उसमान ने कहा कि उमर के जमाने में जैनब बिनत हजश की कब्र पर खेमा लगाया तो उस वक़्त किसी ने ऐतराज नहीं किया।”

हकम की मौत 32 हि0 में हुई थी।

इसके अलावा तफसीर रूहलमआनी में है कि जनाब मुहम्मद हनफ़िया रजी0 ने जनाब इब्न अब्बास रजी0 की कब्र पर खेमा लगावाया

और सहीह बुखारी में है कि जब हसन बिन हसन अलै0 की वफात हुई तो उनकी जौजा मुर्करमा (फातिमा बिनत हुसैन) ने उनकी कबर पर खेमा नसब किया और वहाँ एक साल कयाम किया।

यह कहना कि “कबरो को मस्जिद बनाना और उनमें नमाज़, यह भी ममनू है” इसका मुस्तनद शायद रसूलखुदा स0की यह हदीस हो कि अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत करे कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बनाया मगर इस हदीस का सहीह मतलब वह है जिसे मुहदिदस ताहिर फितनी ने मज़मा अलबहार में लिखा है कि:

“वह लोग इन कब्रों को क़िबला बनाकर उनकी तरफ हर नमाज़ में मिस्ल बुतों को सजदा करते थे।”

और हाफिज़ सयूती ने अपनी किताब “जहर्करबा में इस हदीस की शरह में लिखा है कि!

“जब इनमें कोई नेक आदमी मरता था तो इसकी कब्र पर मस्जिद बनाते थे”

बैजावी ने लिखा है कि:

“चूँकि यहूद व नसारा अपने पैगम्बरों की कब्रों का सजदा करते थे और उन्हें क़िबला बना कर उनकी तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते थे और उन्हें बुत बना लिया था इसलिए उन पर लानत की गयी और मुसलमानों को रोका गया कि वह ऐसा न करे लेकिन अगर कोई शख्स किसी नेक आदमी की कब्र के पास मस्जिद बनाए सिर्फ़ हुसूल बरकत के लिए और इसकी तरफ रुख़ करके नमाज़ न पढ़े तो इसमें दाख़िल न होगा।”

अल्लामा सनदी मदनी हाशिया सुनन निसई में लिखते हैं कि:

“हज़रत स0 का मकसूद यह था कि अपनी उम्मत को डराए

उस से जो यहूदी व नसारा ने अपने पैगम्बरों की कब्रों के साथ किया था कि उन्हें मस्जिद बना लिया तो इस तरह कि उन्हीं को सज्दा करने लगे या उन्हें किब्ला बना लिया कि नमाज़ वगैराह में उन्हीं की तरफ रुख करने लगे लेकिन अगर जवारे कब्र में हुसूल कब्र के लिए मस्जिद बनाए तो वह ममनू नहीं है।”

पहले इसी किताब में कब्र पर मस्जिद की तामीर के शवाहिद दर्ज हो चुके हैं जैसे असहाबे कहेफ़ पर मस्जिद की तामीर और फातिमा बिनत असद की कब्र पर मस्जिद का जनाब मोहम्मद हनफिया के सामने वजूद और दूसरी सदी में जनाब हमज़ा की कब्र पर मस्जिद का मौजूद होना और यहाँ मजीद इज़ाफा इस पर यह है कि “कुनजूल हकायेक मनादी” में दैयलमीकी रवायत है कि :-

“मस्जिद खैफ में सत्तर नबी दफन है।”

और एक मुकाम पर इसकी रवायत तिबरानी से है। इससे इब्न कैथिम के इस दावे की रद हो जाती है कि दीन इस्लाम में मस्जिद और कब्र एकजा नहीं हो सकते बल्कि जो बाद में हो, उसे रोक दिया जाय और पहले वाले को बाकी रखा जाय और सबसे बड़ी मिसाल दोनों के एकजा हो जाने की मस्जिद-ए-हराम की है अन्दर हुजरे इस्माईल में जनाब इस्माईल और हाजरा की कब्र का वजूद है।

एक और मायने उस हदीस के यहूद और नसारा ने अपने अंबिया के कुबूर को मस्जिद बना लिया वह है जो इमाम बुखारी ने समझे हैं, वह यह कि यहूद और नसारा ने अपने अंबिया की कुबूर को खोद डाला और उनकी जगह पर मस्जिदें बना दी तो रसूल स० ने उन पर लानत की है। पैगम्बरों की तौहीन की वजह से चुनान्चे उन्होंने अपनी सहीह में उन्वान कायम किया है कि मुशरिकीन जाहिलियत की कब्रों

को खोद डाला जाय और उनकी जगह पर मस्जिदें बना दी जायें। इसके सबूत में उन्होंने यह हदीस दर्ज की है कि रसूल स० ने यहूद व नसारा पर लानत की इस बात पर कि उन्होंने पैगम्बरों की कब्रों को मस्जिद बनाया, साहब कतहुलबारी ने इसकी शरह में लिखा है कि :-

“इस हदीस से कुफ़ार के कुबूर को मस्जिद बनाने पर इस्तदलाल इस बिना पर है कि रसूल स० ने उन पर लानत फरमायी जिन्होंने अंबिया के कुबूर को मस्जिद बनाया और अंबिया के साथ इस हुक्म में उनके ताबईन शरीक हैं जो मोमिनिन सालिहीन हैं लेकिन दूसरे लोग यानी मुशरिकीन, उनके कब्रस्तानों को खोद कर मस्जिद बनाया जा सकता है।”

हदीस का मफहूम यह हो तो वह वहाबी नुक्तये नज़र के बिल्कुल खिलाफ़ है इसलिए अंबिया के कब्रस्तानों को खोदकर मस्जिद बनाने पर लानत जब अंबिया की तौहीन की बिना पर हुई है तो बगैर मस्जिद बनाए हुए बिला वजह बतौर जुल्म व फसाद उन के मकब्रों का खोदना जो यकीनन उनकी तौहीन है, क्यों कर मूरिदे लानत न होगा। मकब्रों में नमाज, इसके हराम होने पर कोई दलील नहीं है। जम्हूर उल्मा कराहत के कायल हैं। वहाबियों का जो नुक्तये नज़र हैं। उसके खिलाफ़ अहले बैत कराम और सहाबा का अमल मौजूद है चुनान्चे गज़ाली ने अहया उलउलूम में इमाम जाफर सादिक अलैहहिस्सलाम की रवायत लिखी है कि हज़रत फातिमा ज़हरा अलै० जनाब हमजा रजी० की कब्र की ज़्यारत को जाती थी और वहाँ नमाज पढ़ती थी और रोती थीं। इसके अलावा हुजरे इस्माईल में जनाब इस्माईल और हाजरा की कब्रों के होते हुए, वहाँ नमाज़ की फज़ीलत वारिद हुई और इब्न असीर ने निहाया में लिखा है कि :-

“मकब्रों में नमाज़ की मुमानियत इसलिए हुई है कि वहाँ की खाक में अक्सर मुर्दों के जिल्द से निकली हुई रतूबते मिली हुई होती हैं, वरना अगर किसी पाक साफ जगह नमाज़ पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं।”

ऐसा ही मुहदिदस फिल्नी ने “मजमअलबहार” में लिखा है और इतना इज़ाफा किया है कि:

“यह मुमानियत मखसूस है उन कब्रों से जो खुदी हुई हों।”

इसके अलावा कब्रों के पास नमाज़ की मुमानियत में अगर इस हदीस से इस्तदलाल किया जाय कि कब्रों को मस्जिद नहीं बनाना चाहिए तो इसके मफहूम पर काफी बहस हो चुकी है और इसका सबूत इब्ने हबान की सहीह से भी होता है कि उसमें यह है कि रसूल स० ने कब्रों की तरफ नमाज़ पढ़ने से मुमानियत फरमायी है और इमाम अहमद बिन हंबल ने पैगम्बरे खुदा स० से रवायत की है कि आपने फरमाया कब्रों पर बैठो नहीं और कब्रों की तरफ नमाज़ न पढ़ो।

इसके बाद उन अहादीस के मफहूम में शक व शुबह बाकी नहीं रहता और नेक आमाल अफराद की कब्रों के पास नमाज़ हुसूल बर्कत के लिए बराबर सल्फ सालिहीन के जारी व सारी रही जिसकी तकवीयत इस हुक्म कुर्आनी से होती है कि :-

“इब्राहीम के खड़े होने की जगह को अपनी नमाज़ का महल बनाओ।” और अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत पैगम्बर खुदा स० के आसार की जुस्तुजू करते थे और वहाँ नमाज़े पढ़ते थे और इब्न तैमिया हंबली ने ‘सिराते मुस्तकीम’ में लिखा है जैसा कि “अवराकि बगदादिया” में नकल हुआ है कि सनदी खवारजमी का ब्यान है कि :-

“हमने इमाम अहमद बिन हंबल से दरयाफ्त किया कि कोई शख्स इन मुतबरिक मुकामात पर जो बने हुए हैं जाए, इस बाब में आप

क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा इब्न उम्मे मकतूम की हदीस है उन्होंने पैगम्बर खुदा स० से दरयाफ्त किया कि वह अपने घर में नमाज़ पढ़ा करें कि वह एक मरकज नमाज़ का हो जाए और इब्न उमर का अमल कि वह पैगम्बर खुदा स० के ठहरने के मकामात पर जाकर नमाज़ें पढ़ते थे, इन दोनों रवायतों की बिना पर इन मुतबरिक मकामात पर भी जाकर नमाज़ पढ़ने में कोई मुजायका नहीं है मगर लोगों ने इसमें इफरात से बहुत काम लिया है और इसमें बहुत ज़्यादाती कर दी है।”

इसी तरह अहमद बिन कासिम ने उनसे नकल किया है कि उनसे पूछा गया इन मकामात मुतबरिका पर जाने के मुतअल्लिक जो मदीना तैय्यबा में है तो उन्होंने कहा कि “इब्न मकतून की हदीस और अब्दुल्ला बिन उमर के अमल की बिना पर जो वह रसूल अल्लाह स० के तशरीफ ले जाने के मकामात पर नमाज़ें पढ़ते थे। इसमें कोई हर्ज नहीं है और उसकी इजाजत है।”

किताब “अलआलाम ला अलाम बैतुललाहिल हराम” में जनाब खदीजा रजी० के मकान का जिक्र करने के बाद लिखा है कि उसे अकील बिन अबी तालिब ने ले लिया, फिर उनसे मावीया बिन अबी सुफयान ने खरीदा और उसे मस्जिद बना दिया कि इसमें नमाज़ पढ़ी जाए।

मालूम हुआ कि अंबिया और सालिहीन के रौजों पर नमाज़ पढ़ना शर्न जायज़ हैं और इसकी हुमत पर कोई दलील नहीं है बल्कि सीरत इस्लाफे सालिहीन उसके इस्तेहसान का पता देती है।

यह कहना कि चराग जलाना कब्रों पर ममनू है इब्न अब्बास की रवायत की बिना पर कि रसूल खुदा स० ने लानत की कब्रों की ज़ारत करने वालियों और उन्हें मस्जिद बनाने वालों और चराग जलाने वालों

पर, इसके मुतअल्लिक अर्ज है कि चराग जलाना अगर बगैर किसी सही मक़सद के हो तो इसकी मुमानियत हो सकती है। लेकिन अगर वह जायरीन की सहूलियत और तिलावते कुर्आन करने वालों, अदिया व ज़्यारात पढ़ने वालों के लिए है तो वह अआनत अलल ख़ैर है। इन पर हरगिज़ रसूल खुदा स० की लानत मुतवज्जा नहीं हो सकती, और ज़्यारत कुबूर वाली मुमानियत के मुतअल्लिक तोहफतुल बारी और इरशादीएसारी वगैराह में है कि वह बाद में मंसूख हो गयी और कुबूर के मस्जिद बनाने के मफहूम पर बहस पहले हो चुकी है। तमस्सुह और दुआ के बारे में शवाहिद भी पहले आ चुके हैं, मजीद बर्राँ यह है कि इब्न तैमिया ने "सिराते मुस्तकीम" में लिखा है कि अबुबक्र असरम ने रवायत की है कि :-

मैंने अहद बिन हंबल की कब्रे रसूल स० के साथ तमस्सुह के बारे में पूछा उन्होंने कहा मुझे इसके मुतअल्लिक कोई इल्म नहीं फिर मिम्बर के लिए दरयाफ्त किया, उन्होंने कहा इसके लिए रवायत आयी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर मिम्बर से तमसह करते थे और सईद बिन मुसय्यब का अमल भी बयान हुआ है।

इससे ज़ाहिर है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने भी कब्रे रसूल के लिए यह जुरात नहीं की कि उससे तमस्सुह को हराम करार दें। बस अपनी लाइल्मी का इजहार किया हालांकि हर शख्स समझ सकता है कि जब मिम्बर से तमस्सुह का शाहिद मिल गया तो कब्रे रसूल स० तो मिम्बर से ज्यादा काबिले एहतियाम है और कब्र के बारे में जो इनका कौल बयान किया गया है कि मुझे उसके मुतअल्लिक इल्म नहीं है। यह बज़ाहिर इस रावी का सहू है या यह कि यह शख्स कबिले ऐतमाद न था, इसलिए इमाम अहमद ने उससे खुलकर गुफ्तगू नहीं की इसलिए कि

जैसा अल्लामा सैय्यद हसन सदर ताब सराह ने अपने रिसाले में नकल किया है इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे अब्दुल्लाह बिन अहमद ने जिनका कौल ज़ाहिर है कि अपने वालिद के बारे में ज्यादा मोतबर है "किताबुल अलल वस्सुआलात" में लिखा है कि :-

"मैंने अपने वालिद से इस शख्स के मुतअल्लिक पूछा जो मिम्बरे रसूल को तबर्कन छुए और उसका बोसा ले और ऐसा ही कब्र मुबारक के साथ करे इस उम्मीद में कि उसे सवाब मिलेगा, उन्होंने फरमाया कोई हर्ज नहीं है।"

नेज इब्न तैमिया ने यहया बिन सईद की रिवायत दर्ज की है कि जब वह इराक की तरफ जाने लगे तो मिम्बर रसूल की तरफ आए और उसे हाथ से छुआ और दुआ मांगी, और इमाम मालिक से नकल हुआ है कि वह मिम्बर रसूल० स० से बरकत हासिल करते थे और सबकी ने कहा है कि कब्रे रसूल स० से तमस्सुह से मुमानियत पर कोई इजमा नहीं है और इस रवायत से इस्तदलाल किया है कि मरवान बिन हकम ने देखा कि एक शख्स कब्रे रसूल से लिपटा हुआ है तो मरवान ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा कि यह तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा कि मैं पत्थरों और इंटों की तरफ नहीं आया हूँ, मैं रसूल स० की खिदमत में आया हूँ और यह शख्स जनाब अबु अय्युब अंसारी थे और ऐसा ही बिलाल मुअज्जिने रसूल स० के मुतअल्लिक आया है कि उन्होंने अपना मुँह कबर रसूल स० की मिट्टी से मला और यह अमल सदरे इस्लाम से बराबर मुसलमानों में रायेज रहा। ज़िबह और नज़र बेशक अगर खुदा का नाम लेकर न हो और कसद कुर्बत इलाही से न हो तो हम भी उस ज़िबह को हलाल नहीं समझेंगे। और न नज़र को दुरुस्त समझेंगे लेकिन अगर अल्लाह का नाम लेकर किसी रौज़े के जायरो पर तक्सीम करें तो

इसमें कोई खराबी मालूम नहीं होती और इसी तरह अगर अल्लाह से नजर करे उसे रौजे के जायरीन की कुछ खिदमत के मुतअल्लिक तो इसके भी हराम होने की वजह कोई नहीं है।

यह कहना कि दुआ के वक्त रौजे रसूल स0 की तरफ रुख करने को रोकना बेहतर है और तमाम सिम्तों में सबसे अफज़ल सिम्त किबला है। यह पैगम्बर खुदा स0 के मरतबे से नावाक़ियत या चश्मपोशी का नतीजा है।

रसूले खुदा स0 के बारे में जो सहीहुल अकीदा उल्मा है जैसे अली बिन बुरहानुद्दीन शाफ़ई "इन्सानुल उयून" और हाफिज जलालुद्दीन सुयूती "खसायेसे कुबरा" में सराहतन लिखते हैं कि:

"कबरे रसूल स0 की सरजमीन इजमाअन तमाम कतआत अर्ज यहां तक कि काबे की जमीन से भी अफज़ल है और बाज़ ने कहा है कि आसमान के भी हर मकाम यहाँ तक अर्श से भी अफज़ल है।"

और तवस्सुल की बहस में काज़ी अयाज़ की रवायत आ चुकी है कि मंसूर दवानिकी ने इमाम मालिक से पूछा कि मैं किबला रुख़ दुआ मांगो कि कब्रे रसूल स0 की तरफ़ रुख़ करके? तो उन्होंने कहा कि :-

अपना चहरा आप रसूल खुदा स0 की तरफ़ से क्यों मोड़िये हालांकि वह आपका भी वसीला है और आपके बाप हज़रत आदम का भी वसीला है।

और अल्लामा इब्न हजर मक्की ने "जौहरे मुनज्जम" में इस पर यह दलील कायम की है हम सब मुत्तफिक है। इस अमर पर कि :-

हज़रत स0 अपनी कब्र में ज़िन्दा हैं, और हज़रत स0 अगर हमारी आँखों के सामने ज़िन्दा बैठे होते तो आपके पास मुलाकात के लिए आने वाला लाज़मन आपकी तरफ़ रुख़ और किव्ले की तरफ़ पुश्त

करता तो ऐसा ही हज़रत स0 की कब्र की ज़्यारत के वक्त होना चाहिए।

तवाफ़ और तमस्सुह और बोसा लेने के लिए जो कुछ कहा गया है। उस पर बहस पहले आ चुकी है और अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल की ज़बानी खुद इमाम अहमद बिन हंबल जिनकी तरफ़ इब्न अब्दुल वहाब और तमाम नजदी हजरात और उनके मुकतदायान इब्न तौमिया और इब्न कैय्थिम सबका इंतिसाब है उनका इरशाद आ चुका है कि कबरे रसूलका बोसा लेने में हरज नहीं है और जाहिर है कि मौत के बाद कबर का बोसा लेना वैसा है जैसे जिन्दगी में हाथों या पैरों का बोसा लेना क्योंकि मेयार दोनों का एक ही है और वह इज़्ज़त व एहतियाम है। और सुनन अबुदाऊद में अब्दुल्लाह बिन उमर की जुबानी है कि हम लोग रसूल स0 के पास गये और आपके हाथों का बोसा लिया और उम्मे अबान बिना वाजय बिन ज़राए की रवायत है अपने दादा ज़राए से जो कबीला अब्दुल कैस के वफ़द में आए थे जब हम पहुँचे तो अपने मरकबों से जल्दी-जल्दी उतर के रसूल स0 के हाथों और पैरों के बोसे ले रहे थे। इसके अलावा ताज़ीम रसूल स0 के सिलसिले में बोसा लेने के दूसरे शवाहिद पहले आ चुके हैं।

अब बहम्दुलिल्लाह

उल्माये मदीना की तरफ़ मंसूब शुदा फतवे के तमाम अजजा के पड़ाखचे उड़ चुके हैं और साबित हो गया है कि कुबूर पर कुब्बों की तामीर और उनकी ताज़ीम व तौकीर के हराम या शिक होने की कोई वजह नहीं है बल्कि सीरत रसूल, सीरत सहाबा व ताबईन और तमाम मुसलमानों के अमल दरआमद से जो शुरू से अब तक रहा, जो इन इमारतों को मुंहदिम करे या इस इनहिदाम का हामी हो, वह बइस्तिलाह अहले सुन्नत ख़ारिज अज जमाअत होने से ख़ारिज अज दीन है।

कुछ अहादीस और अख़बार जो अहले नजद के बारे में हैं

मिंजुमला उनके सहीह बुखारी ने हजरत पैगम्बरे खुदा स० के लिए वारिद है कि "हज़रत स० मिम्बर के पहलू में खड़े हुए और फरमाया उधर से फितना होगा जहाँ से शैतान का सींघ बरामद होगा।"

या फरमाया कि "सूरज की शुआबरआमद होती है।"

दूसरे लफज़ों में तो बिल्कुल साफ है कि हजरत स० का इरशाद मिम्बर ही की तरफ था, हाँ पहली सूरत में अल्फाज हदीस के मुबहम है। पता नहीं चलता कि हज़रत स० का इशारा किस तरफ था? मगर इसकी तशरीह दूसरी हदीस से हो जाती है जो अब्दुल्लाह बिन उमर से है कि उन्होंने रसूल खुदा स० को सुना जबकि आप मशरिक की तरफ रुख किए हुए थे कि आप फरमा रहे थे मालूम होना चाहिए कि फितना उधर से उठेगा जिधर शैतान का सींघ है। इससे पता चल गया कि हज़रत स० का इरशाद मशरिक की तरफ था और यह सबको मालूम है कि मदीने से मशरिक की तरफ सरज़मीन नजद है।

दूसरी हदीस सहीह मुस्लिम में है कि :

"दिलों की सख़्ती और बेवफ़ाई मशरिक में है और ईमान अहले हिजाज में है।" हजरत स० ने इन हदीसों में साफ बता दिया कि अहले हिजाज निसबतन साहिबे इमान होते हैं और नजद के लोग सख़्त दिल और बेरहम होते हैं मगर इन वहाबियों ने उल्टा हुक्म लगा दिया है कि नजदी ही सिर्फ साहिबे इमान है और तमाम दुनिया के मुसलमान काफ़िर व मुशरिक हैं। फिर अगर किसी को शक रहे इस में कि मशरिक से मुराद नजद है बल्कि ख्याल करता हो कि कोई और मुल्क मुराद है। हाँ

एक और हदीस में जो सहीह बुखारी में है इस इजमाल को बिल्कुल दूर कर दिया गया है। यह इब्न उमर की रिवायत है कि:

"हजरत पैगम्बर खुदा स० ने कहा परवरदिगार हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। लोगों ने कहा यह भी फरमा दीजिए कि हमारे नजद में बरकत अता फरमा। हज़रत स० ने फिर वही दोनों जुमले कहे कि हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में बरकत अता फरमा लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह स० और हमारे नजद में भी। रावी का बयान है कि मुझे ख्याल है कि तीसरी मरतबा हजरत स० ने जवाब दिया कि वहाँ तो जलजले हैं और फितने और वहाँ से शैतान का सींघ बरआमद होगा।"

इस हदीस से जहाँ यह साबित होता है कि सरज़मीन नजद शैतान के गलबे का मरकज है। वहाँ यह साफ जाहिर है कि वह खुदा और रसूल को नापसंद है। इसलिए कि रसूल खुदा स० ने बावजूद इसरार के उसे अपनी दुआए ख़ैर में शरीक नहीं किया और इससे मालूम होता है कि रहमते खुदा इस सरज़मीन से हमेशा के लिए दूर है। यह हदीस कुतुबे अहले सुन्नत में भी है जैसा कि हवाला आपके सामने आया और हमारे उल्मा में से अल्लामा नूरी ने भी मुसतदरिकुल वसायेल में उसे दर्ज किया है।

इन अहादीस में कर्निशशैतान की लफज़ है जिसके लफज़ी मायने तो वही हुए जो हमने तरजुमे में लिखे हैं, यानी "शैतान का सींघ" इसके लिए "कामूस" में है कि कर्निशशैतान और कर्निशशैतान यानी "शैतान का सींघ" और शैतान के दोनों सींघ इसके माने हैं उसका गिरोह और इसकी राय के पैरू या इस की ताकत और उसका गलबा व तसल्लुत, गोया अहले नजद शैतान के हत्यारों की हैसियत रखते हैं कि

उन्हीं के ज़रिए से वह हमलावर होता है और अपने मक़ासिद हासिल करता है।

फिर एक हदीस पैगम्बरे खुदा स० की है कि :-

“इमान मदीने की तरफ पनाह लेता है।”

इसे इब्न असीर जर्ज़री ने नहाया में दर्ज किया है और हज़रत स० का यह भी इरशाद है कि:

“शैतान ना उम्मीद हो चुका है कि अब जज़ीरतुल अरब में उसकी इबादत नहीं होगी।”

जिससे मक्के और मदीने का मुराद होना कदरे मुत्तकीन की हैसियत रखता है बल्कि इब्न असीर ने नहाया में इमाम मालिक का कौल दर्ज है कि यहां “जाज़िरतुल अरब” से खुद मदीना मुनव्वरा मुराद है। तो इसके बाद कितना तअजजुबखेज यह तसव्वुर है कि जिस सर ज़मीन को रसूले खुदा स० ने शैतान का मरकज़ कहा हो, वहाँ के लोग दावेदार हो कि हम मोमिनीन हैं और सच्चे मुसलमान और जिन शहरों के लिए फरमाया हो कि वह इमान का मरकज है और वहां शैतानी पैरवी अब नहीं हो सकती, उन्हें समझा जाय कि वह सब काफिर व मुशरिक है।

हैरत अंगेज सुखन परवरी का करिश्मा यह है कि नजदी हज़रात आयाते कुर्आन और बाज़ अहादीस की तावील से जो माकूल वजूह पर भी मंबनी हो, शिददत के साथ इन्कार रखते हैं और उन्हें इस पर इसरार है कि अल्फाज को उनके जाहिरी मफहूम पर महमूल करना चाहिए लेकिन जब यह हदीसे पेश की जाती है तो वह इन्तिहाई दूर दराज तावीलो से काम लेकर धान्धली करके बताते हैं कि इससे सर जमीन नजद मुराद नहीं बल्कि सर जमीन इराक़ मुराद है इसलिए कि वह हिजाज से ऊँची सतह पर वाकय है। लेकिन लुग़त और जुगराफिया

और अशआरे अरब सब पर नजर करने से यह बात बईद अज हकीकत मालूम होती है और पता चलता है कि नजद की लफज़ जब बिला किसी कैद के बोली जाये तो उसके यही सरज़मीन मुराद होती है जो हिजाज के पास उससे ऊँची है। इसलिए नजद कहलाती है और इसके मुकाबिल में तिहामा है इसलिए कि वह उससे नीचे है और उसे गौर भी कहते हैं। जो मुकाबिल नजद होता है।

फ़ीरोज़ आबादी कामूस में नजद के मायने और उसके हुदूद में लिखते हैं कि उसके आगे तिहामा और यमन है और उसके इधर उधर इराक और शाम है और हिजाज की तरफ से वह जात अर्क से शुरू हो जाता है और जौहरी ने सिहाह में लिखा है कि नजद अरब के शहरों में से है और वह गौर के मुकाबिल है और गौर से मुराद तिहामा होता है और तिहामा से इराक तक बीच में जितना ऊँचा हिस्सा है वह नजद है और फयूमी ने ‘मिसबाहुल मुनीर’ में लफज़ नजद की तशरीह में लिखा है कि नजद मशहूर मुल्क है सर जमीन अरब में से इराक से मिला हुआ और वह हिजाज का जुज नहीं है। अगरचा जज़ीरतुलअरब में दाखिल है। तहजीब में है कि जो खन्दक कसरा ने इराक की सरहद पर खुदवायी थी, उस खन्दक के आगे जितना हिस्सा है वह नजद है। जहाँ तक कि हर्रह की तरफ मुड़ो, जब उस तरफ मुड़ जाओ तो हिजाज में दाखिल हो गए।

और महमूद शकुरी आलूसी ने तारीख़ नजद में तकरीबन दस कौल नजद की हद बन्दी में दर्ज किए हैं जो सबके सब इस बात के शाहिद हैं कि सरज़मीन इराक नजद से खारिज है।

शोअराये अरब ने भी नजद की लफज़ से इसी सरज़मीन को मुराद लिया है ना के सरज़मीन इराक को, बल्कि इराक का नाम नजद

के मुकाबले में लिया है वह अशआर हमने अपनी अरबी किताब में दर्ज किए हैं। इस उर्दु किताब में उनके नकल करने से कोई फायदा नहीं है।

“कामूसुल अलमुकन्नता वल बका” में है कि नजद के शहर, हिजाज़ के मशरिक में वाकय है और उनके दो हिस्से हैं। नजद हिजाज़ और नजद आरिज और इस सरजमीन से करामता ने खरूज किया और मुसलिमा कज्जाब वहीं से उठा और वहाबी लोग वहीं से बरामद हुए और उनका पायेतख्त शहर “रियाज” है जिसकी मरदुम शुमारी तीस हजार की है। इससे साफ ज़ाहिर है कि नजद की सरजमीन वही है जो वहाबियों का मरकज़ है और यह हिजाज़ के मशरिक में है जिसके बाद उन अहादीस के मतलब पर कोई परदा नहीं रहता।

मिन जुमला उन अहादीस के एक वह है जिसे अहमद बिन जैन दालान ने “खुलासातुल कलाम” में दर्ज किया है कि:

हजरत पैगम्बर खुदा स० ने फरमाया नजद से एक शैतान जाहिर होगा जिसके फितने से जजीरतुल अरब में तहलका पड़ जाएगा।

एक और हदीस उन्होंने यह दर्ज की है कि:

“मशरिक की तरफ से निकलेंगे ऐसे जो कुर्आन इस सूरत से पढ़ेंगे कि वह उनके गले से आगे नहीं बढ़ेगा, वह दीन से इस तरह निकल जायेंगे जैसे तीर कमान से निकलता है। वह दीन में फिर वापस नहीं आएंगे जब तक कि तीर कमान में वापस नहीं आता, उनकी खास अलामत सर का मुड़ाए हुए होना है। और ऐसे ही मजमून की दूसरी रवायते भी हैं।

खुलासातुल कलाम में इन तमाम रवायतों के नकल करने के बाद लिखा है कि यह जो हज़रत स० ने इरशाद फरमाया कि इनकी खास अलामत सर का घुटवाना है। यह सराहतन उस जमाअत को

ज़ाहिर कर रहा है जो मशरिक से निकली और वह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की पैरू है। और इब्न अब्दुल वहाब की ताकीद थी कि वह सर को इस तरह घुटवाये कि ज़रा सा निशान भी बाल का न रह जाये और कोई आ जाता तो उसे उठकर जाने नहीं दिया जाता था जब तक कि उसका सर मुन्ड न जाये और इतनी पाबन्दी इस की इस जमाअत से पहले किसी भी गिरोह में देखी नहीं गयी और अब्दुररहमान मुफ्ती जुबैद का कौल था कि इब्न अब्दुल वहाब की रद में किसी किताब के लिखने की जरूरत नहीं, बस हज़रत स० का यह इरशाद काफी है कि इस जमाअत की अलामत सर का मुड़वाना है। इसलिए कि किसी बिदअती गिरोह ने भी कभी इस पर इतना ज़ोर नहीं दिया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ से इसकी ऐसी पाबन्दी थी कि वह औरतें भी जो इस मसलक की पैरू हो, उन्हें भी सर मुंडवाने की हिदायत होती थी।

मिन्जुम्ला उनकी एक हदीस हमारे बुलन्द पाया मुहद्दिस अल्लामा मजालिसी ने बहारुल अनवार की जिल्द फतन में अबु सईद खुदरी रज़ी की रिवायत से दर्ज है।

“हजरत अली अलै० ने जबकि वह यमन में थे तो हजरत पैगम्बरे खुदा स० के पास काफी मिकदार में कीमती सामान भेजा तो हजरत स० ने उसे चार आदमियों पर तकसीम कर दिया इकरा बिन हानिस और ऐनिया बिन बदर फजारी और अलकमा बिन अलका आमरी और जैदबिन खैल ताई तो कुरैश और अन्सार को इस पर गुस्सा आया और कहने लगे कि यह नजद के बड़े-बड़े आदमियों को देते हैं और हमें छोड़ देते हैं। आप स० ने फरमाया कि उन्हें मैं तो तालीफ कल्ब के लिए देता हूँ। इसके बाद एक शख्स आया जिसकी आखें धंसी हुई थी और पेशानी की दोनों तरफ की हड्डियाँ ऊँची थी। दाढ़ी घनी थी और रुख़सार फूले

हुए थे और सर मुंडा हुआ था। इसने हजरत स० का नाम लेकर पुकारा और कहा अल्लाह से डरिये। आप स० ने फरमाया मैं अल्लाह की ना फरमानी करूँगा तो उसकी इताअत करने वाला कौन होगा? वह मुझ पर तमाम दुनिया जहाँ के लोगों के बारे में भरोसा किए हुए है और तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, मुसलमानों में से एक शख्स ने जो मेरा ख्याल है ख़ालिद बिन वलीद थे, हजरत स० से उसे कत्ल करने की इजाज़त माँगी तो आप स० ने इजाज़त नहीं दी और जब वह चला गया तो आपने फरमाया कि उसकी अस्ल नस्ल से एक गिरोह वह होगा कि कुर्आन पढ़ेगा इस तरह कि उनके गलों से नीचे नहीं उतरेगा, वह इस्लाम से यूँ निकल जायेंगे जैसे तीर कमान से निकलता है। वह मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़े रहेंगे। मैं अगर उनको पाऊँ तो कत्ल करूँ इस तरह जैसे कबीला आद के किसी आदमी को कत्ल होना चाहिए।

दूसरी रवायत में है कि किसी ने पूछा कि उनकी अलामत क्या है? फरमाया

“उनकी अलामत सर का मुंडवाना है। इसके लिए ‘तहलीक’ की लफ्ज़ फरमायी या ‘तसमीद’ की तो जब उन्हें देखना तो उन्हें ख़ाबे मर्ग का मज़ा चखाना।”

‘नहाया’ में इस हदीस के बाज अजज़ा के हललुतलुगात में लिखा है कि ‘जुजियू’ के माने ‘अस्ल नस्ल’ के है। और ‘तसमीद’ उनमें आम होगी। ‘तसमीद’ के माने सर मुंडवाने के है। इस तरह कि बाल बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाय एक रवायत में है कि यह शख्स जविलखो ससीरा तैमी था। इस हदीस से दो बातें साबित हैं एक यह कि नजद वाले ऐसे मुख़ालिफ़ीन इस्लाम में थे कि उनमें से जो दायरा इस्लाम में

दाख़िल हो, उनके लिए उस तरह तालीफ़ कल्ब की जरूरत होती थी जैसे अबु सुफयान वगैरह की जो “मुअल्लाफतिल कुलूब” कहलाते थे।

दूसरे अबुल खब येसीरा तैमी के लिए यह फरमाया कि इसकी अस्ल नस्ल से ऐसे लोग होंगे और इब्न अब्दुल वहाब का तैमी होना पहले मालूम हो चुका है। इसलिए यह साबित हुआ कि सब अलामात इस जमाअत में वही है जिनका रसूल खुदा स० ने पता दिया था। मुसलमानों का खून बहाना, गैर मुस्लिम बुत परस्तों के खिलाफ़ कभी तलवार न उठाना, सरों का घुटा रखना, यह सब उमूर मुशाहिदे से तअल्लुक रखते हैं। इन्हीं से आदमी उन औसाफ़ को समझ सकता है जो आँख से देखने के नहीं है। जैसे कुर्आन का गले के नीचे न उतरना और इस्लाम से इस तरह ख़ारिज होना जैसे तीर कमान से निकलता है। ऐसी ही और हदीस तलाश से मिल सकती है जो बिल्कुल नजदी हज़रात पर मुंतबिक है और जिन्हें हज़रत पैगम्बर स० का एक मोजिज़ा भी समझना चाहिए।

वहाबियों का करतूत इब्तिदा से दौरे हाजिर तक

मालूम होना चाहिए कि यह लोग 1160 हि० में जाहिर हुए और जब से सामने आये मुसलमानों की खूँ रेजी इनका शिआर रही और उनके उस वक्त के हाकिम मुहम्मद बिन मसऊद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से बैअत इसी पर की थी कि वह इस मस्लक के मुखालिफीन से जंग करेगें। और "राहे खुदा में जिहाद" के नाम से उनका खून बहायेगा। तो अब ऐसी जमाअत का पूछना क्या जिसके मज़हब की बुनियाद ही मुसलमानों के खून बहाने पर हो तो जितना इनका इक्तिदार मज़बूत होता जाय, उन्हें इस अमर से कोई चीज मानेय नहीं हो सकती थी। इसलिए जितनी-जितनी उनके इक्तिदार में मज़बूती पैदा हुई। इनकी खूनरेजी में इज़ाफा होता गया अलावा खून बहाने के कितने ही नामूसों की बेहुरमती हुई, कितनी औरतों को कैद किया और उन्हें कनीज बनाया कितने ही बच्चों को कत्ल किया और यह तमाम मज़ालिम मुसलमानों पर हुए और अपने इख़्तदार की पूरी उम्र में उन्होंने गैर मुस्लिम आदमियों में से किसी का खून नहीं बहाया।

जब नजद के जाहिलों में उनका सिक्का बैठ गया तो उनके जुल्म व तआदी का कदम आगे बढ़ा और सऊद बिन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन मसूद के दौर में कई मरतबा इराक पर हमला किया। चुनान्चे बुजुर्ग मरतबा शिया आलिम सैय्यद मोहम्मद जव्वाद आमली ने अपनी किताब "मिफताहुल कराम" में जिमान और शिफाआ और वकालता कई जिल्दों के आखिर में इन मज़ालिम का चश्मदीद तज़किरह किया है।

और इसी ज़माने में यह हरमैन शरीफैन में दाखिल हुए और शरीफे मक्का और उन में 1205 हि० से 1220 हि० तक मुसलसल जंग हुई जिसमें शरीफे मक्का को शिकस्त हुई और उन्होंने हरमैन शरीफैन को "दारुल हर्ब" करार देकर वहाँ कत्ल व गारत का बाज़ार गरम किया और हुजरये नबवी में जितने अम्वाल और जवाहिरात को उन्हें लूटकर अपनी मर्जी से सर्फ कर डाला। इसका तफसीली ज़िक्र तारीख़ "अजायबुल असर" जबरती में है। हालांकि, मुख़लिफ मकामात से ज़ाहिर होता है कि यह मुसन्निफ खुद वहाबियत की तरफ मैलान रखता था और मुसलमानों को हज से रोक दिया और मौसम हज में ऐलान किया गया कि ऐ साहिबान इमान मुशिरकीन नजिस है। तो वह इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब न आए, यह नतीजा हुआ कि 1221 हि० से शाम व मिस्र के हाजियों का आना बन्द हो गया जिसका ज़िक्र खुलासतुल कलाम अहमद बिन जैनी दहलान में मौजूद है।

और 1223 हि० में उस वक्त के इब्ने सऊद ने मक्के वालों से कहा कि कुब्बे जितने हैं वह गिरा दिए जायेगें और इन बुतों को ख़त्म किया जाये ताकि सिवा अल्लाह के कोई माबूद न रहे चुनान्चे दूसरे दिन लोग फावड़े लिए हुए इधर उधर मुतबर्रिक आसार और कुबों को गिराने के लिए रवाना हो गये। चुनान्चे सबसे पहले जन्नतुलमुअल्ला के कुब्बे गिराये जो बड़ी तादाद में थे। फिर मोलिदे पैगम्बर खुदा स० और मकाम विलादत अबु-बक्र और मज़ार जनाब खदीजा रजी० के कुब्बे गिराये और तमाम उन मकामात को मिस्मार किया जो आसार मुकदिदसा की हैसियत रखते थे। और वह गिराते वक्त रजज़ पढ़ रहे थे। और ढोल बजा रहे थे और गा रहे थे और अहले कुबूर को गालिया दे रहे थे और कह रहे थे कि यह सब वह माबूद है जो लोगों ने तराशे है। इस सब का

ज़िक्र अल्लामा इब्न दहलान ने अपनी तारीख़ "खुलासतुलकलाम" में किया है।

इसी तरह मदीने की कब्रों को मुन्हदिम किया गया सिवा कुब्बा नबवी के इसके अलावा तमाम कुबूर मुकदिदसा और आसार मुतबरिका को खुसूसियत के साथ जन्नतुल बकी के मजारात को मुन्हदिम किया यह उनके हरकात बराबर जारी रहे। यहा तक कि मिस्र की फौजें आयी और उन्होंने उनको यहाँ से निकलने पर मजबूर किया और इस सिलसिले में जंग बड़ी शिद्दत से जारी रही यहाँ तक कि बिला आखिर नजदी फौज को शिकस्त हुई और मुसलमानों का लश्कर फतहयाब हुआ और शाबान 1234 हि0 में मुहम्मद अली पाशा हाकिम मिस्र का हुक्म नजद में मिस्र फौज के सालार इब्राहीम पाशा के पास पहुँचा, जो दरइया तक पहुँच चुके थे। कि शहर दरइय्या को मिसमार कर दो चुनान्चे मिस्री फौज ने तेज़ी के साथ इस शहर को मिसमार कर दिया और आग लगा दी और वहाँ के बाशिन्दे सब इधर उधर मुँताशिर हो गये लेकिन हज़रत अमीरुल मोमिनिन अली बिन अबी तालिब अलै0 ने खवारिज के लिए पहले खबर दी थी यह बिल्कुल ख़त्म कभी नहीं होंगे। जब एक शाख़ इनकी क़ता होगी, दूसरी शाख़ बर आमद हो जाएगी, चुनान्चे कुछ मुद्दत गुज़रने के बाद फिर उन्होंने सर उठाया।

फिर इराक आए ओर करबलाये मुअल्ला में शहर के अन्दर दाख़िल हो कर हज़ारो मोमिनीन को तहेतेग किया और हरम अकदस की तौहीन की। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुस्लिम बिन उकबा यजीदी फौज के अफसर ने मारकए हुरह के बाद हरम मदीने के अन्दर किया था कि वहा नजासतो का अंबार कर दिया गया इसके अलावा जरीह अकदस को उखाड़ डाला और जो कुछ हरम अक़दस का खज़ाना था

सब लूट लिया। बस नजफ अशरफ में दाख़िल नहीं हो सके हालांकि कई दिन तक वहा मुहासिरह रखा मगर कुदरत की तरफ से उन्हे नकामी का सामना करना पड़ा और बहुत से आदमियों के इतलाफे जान के बाद वह नामुराद वापस हुए।

इसके बाद तकरीबन एक सदी तक वह ज्यादा सर नहीं उठा सके। बस अपने नजद के शहरों में महदूद रहे। यहाँ तक कि अब आखिर में अंग्रेजों की बदौलत उन्हें आगे बढ़ने का ऐसा मौका मिला कि नजद का हाकिम सुलतान नजद व हिजाज और वाली हरमैन हो गया। और अब उन्होंने वह जुल्म सितम किया और शआरेइलाही की बेहुरमती की जिससे इस्लाम और मुसलमानों के दिलों में घाव पड़ गए है। इस वक़्त के अब्दुल अजीज आल सऊद ने बरसर इकतिदार आकर पहले तो तायेफ में कत्ल आम किया और तर्जुमानु कुर्आन, इमामुलमुफससिरीन, खैरुल इमामा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी0 के कुब्बे को मुन्हदिम किया फिर मक्का मुअज्जमा में जितने कुब्बे थे सबको गिरा दिया जिनमें पैगम्बर खुदा के जददे अमजद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का कुब्बा था और आप स0 के अम्म नामुराद जनाब अबुतालिब का कुब्बा और आपकी जौजा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा का कुब्बा और आपकी मादर गिरामी जनाब आमना बिनत वहब का कुब्बा, इन सबको मिसमार कर दिया।

इन हज़रात के जाती फज़ायेल व मरातिब के अलावा इस हैसियत से देखा जाय कि उनमें अकसर सरबर आवरदह कबीला कुरैश के अफराद थे जिनके बारे में खुद इन नजदियों के पेशवा इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्तनद में हदीस है कि:

"हज़रत रसूल खुदा स0 ने फरमाया कि जिसने कुरैश की

तौहीन की, उसकी खुदा तौहीन करेगा।”

और इस में कुछ शक नहीं हो सकता कि कब्र का मिसमार करना साहिबे कब्र की तौहीन है, और हज़रत पैगम्बर खुदा स० ने एक शख्स को देखा कि वह एक कब्र से तकिया लगाये बैठा है। हज़रत स० ने फरमाया साहब कब्र को अज़ीअत न पहुँचाओ और इब्न अबी शैबा ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नकल किया है कि उन्होंने कहा मोमिन को अज़ीयत देना उनकी मौत के बाद मिस्ल अज़ीअत देने के है। उसकी ज़िन्दगी में और हमें उन्होंने मोमिन को अज़ीअत पहुँचाने से मुमानियत की हैं अब हर शख्स अन्दाज़ा कर सकता है कि किसी का घर गिरा दिया जाय तो ज़िन्दगी में उसे अज़ीअत होगी या नहीं? तो इसी सूरत से कब्र पर फावड़े चलाए जाय तो यकीनन उस मैय्यत को इजा होगी जिसकी वह कब्र है और जब यह आयत पढ़िए कि :-

“जो लोग मोमिनीन और मोमिनात को बिला जुर्म व ख़ता ईजा पहुँचाये उन्होंने बड़े गुनाह का बोझ उठाया।”

तायेफ और मक्का मुअज्जमा में उनके यह अफआल मुसलमानाने आलम में बेचैनी पैदा करने के लिए काफी ही थे कि फिर मदीना मुनव्वरा के तमाम माआसर व आसारे मुकददसा को मुन्हदिम किया और जन्नतुल बकीय के तमाम कुब्बो को मिसमार किया जिनमें अज़वाजे रसूल, अकरबाये रसूल और असहाबे रसूल की कब्रे थी जैसे उसमान बिन मज़ऊन जिन्हें खुद रसूल खुदा स० ने दफन किया था और उनकी कबर के नुमाया करने में एहतिमाम फरमाया था जिसका ज़िक्र इस किताब में पहले हो चुका है और पैगम्बरे खुदा स० के वालिद बुजुर्गवार जनाब अब्दुल्लाह और हज़रत स० के फरज़न्द जनाब इब्राहीम और आप स० के चचा अब्बास बिन अब्दुलमुत्तलिब और चचाजादभाई

जनाब अकील और सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अब्दुरहमान बिन औफ वगैरा और सबसे बढ़कर हज़रत खातून जन्नत जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मुबारक जहाँ बहुत से उल्माए अहले सुन्नत जैसे मोमिन सुबलन्जी “नूरलअबसार” में और मुहम्मद बिन सबान “अस आफुरीगिबीन” में और अबुल अब्बास अहमद बिन यूसुफ दमिशकी “अखबारददौल” और “आसारुलेअव्वल” में और अली बिन बुर्हानुददीन शाफई “इन्सानुलउयून” में और इब्न अब्दुलबर “किताबुल इसते आब” में और दूसरे मुसन्निफीन हज़रत सैय्यदा की कबर होने के कायेल है जिनके लिए पैगम्बरे खुदा स० की साफ हदीस सहीह बुखारी में मौजूद है कि

“जिसने इनको अज़ीअत पहुँचाई उसने मुझे ईजा पहुँचाई”

और यह हदीस पहले आ चुकी है कि:

जो बाद मौत ईजा पहुँचाए, वह ऐसा ही है जैसे ज़िन्दगी में ईजा पहुँचाये। तो इसके बाद कुर्आन की यह आयत पढ़ना चाहिए जिसका मजमून यह है कि जो अल्लाहा और उसके रसूल स० को ईजा पहुँचाये, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है इस सबके अलावा उस कुब्बे को मुन्हदिम किया जिसमें अइम्मा अहले बैत अलै० में से से चार हस्तियाँ

1. सिब्वे अकबर हज़रत इमाम हसन अलै०
2. जैनुल आबदीन इमाम अली बिन अल हुसैन अलै०
3. बाकिरुल उलूम अव्वलीन वल आखिरीन इमाम मुहम्मदबिन अली अलै०।
4. सादिक् आले मुहम्मद इमाम जाफर बिन मुहम्मद अलै०

यह सब हज़रात मदफून थे जिनके मनाकिब व फज़ायेल मोतबर

कुतुब अहले सुन्नत में भी मौजूद है और यह कुबबा जिसमें यह हजरत दफन थे, तमाम मुसलमानों के नज़दीक ख़ास एहतिराम व तकद्दुस रखता था। चुनान्चे अल्लामा इब्न हजर मक्की सवायेक मुहररिका में लिखते हैं इमाम जाफर सादिक अलै० के हाल में कि:

“आप भी उस कुबबे में दफन हुए तो क्या कहना उस कुबबे का कितना बुजुर्ग मर्तबा और मुतबर्रिक और शरीफ है।”

और मोहदिस मुहम्मद पारसा बुखारी ने “फसलुलखिताब” में इमाम जैनुल आबदीन अलै० के हाल में लिखा है कि:

“आप उस कुबबे में दफन हुए जिसमें इससे पहले रसूल के चचा अब्बास और खुद आपके चचा इमाम हसन दफन हो चुके थे। और आपके बाद इसमें आपके फरज़न्द मोहम्मद बाकिर और फिर उनके बेटे जाफर सादिक दफन हुए तो क्या कहना इस कुबबे का कि कितना बुर्जुग और साहबे शराफत यह कुबबा है।”

ऐसे ही और उल्मा के कल्मात भी है।

और इस कुबबे के इन्हिदाम से बिला तफरीक शिया व सुन्नी मुसलमानों को कितना रंज पहुँचा, उसका अन्दाज़ा ख़ाजा हसन सानी निजामी के हसब जेल तासुरात से हो सकता है। जो उन्होंने माहनामा “मनादी” नई देहली के दिसम्बर 1968 हि० के शुमारे में “इरान व इराक के ज्यारात नामे” में रौजे इमाम रजा अलै० के हालात दर्ज करने के बाद लिखे है।

“यहाँ के कैफियात के साथ मदीना मुनौववरा का तस्ववुर बंध जाता है। आँखों के सामने वकीय का कबरस्तान आ जाता है। सब शिकसता सब बे साया न गुंबद, न कबर पोश, न फूल, न किसी दरख्त की छाँव, न घास की दो पत्तियाँ।”

मेरी अक्ल हैरान है कि जब रसूल स० हुजरे में आराम फरमा सकते हैं जब रसूल स० की आरामगाह पर गुम्बद बन सकता है, जब हजरत अबु बकर और हजरत उमर हुजरे में मदफून हो सकते हैं और उनको वहा दफन करने वाले सहाबा, वह सहाबा जिन्होंने रसूल की आखें देखी, जिन्होंने इस्लाम को इस्लाम लाने वाले से बराहरास्त सीखा इनमें से कोई भी हुजरो के अन्दर, इमारतों के नीचे, दफन होने में कोई बुराई नहीं देखता तो फिर आज मकबरो को ढाने और मिस्मार करने का हक किसी को कैसे पहुँच जाता है? क्या यह कबर शिकन सहाबा से ज्यादा दीन को समझ सकते थे? खाकिम बदहन क्या सहाबा किराम इन लोगों के मुकाबले में कम दीनदार थे? नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक

बात असल में यह है कि खैर व शर और हक और न हक का मुकाबला कभी हल नहीं होता। मक्का और तायेफ़ की इज़ा रसानिया बदर उहद की चढ़ाईयाँ।

सिफ़फ़ीन व करबला के मआरके,

सिलसिला दर सिलसिला आज भी मौजूद है। मुहम्मद और मुहम्मद वालों को (अलै०) दुनिया की आजमाइश गाहों में हर तरह सब्र व सबात का नमूना दिखाना है। जब भी दिखाया, अब भी दिखा रहे हैं।

अल्लाह मदीने के सब्ज गुम्बद को सलामत रखे, अगर इस का बनना और सलामत रहना जाएज है। तो क्या इस दुख का कोई अन्दाजा कर सकता है जो इस सब्ज गुंबद के मकीन को अपनी लाडली बेटे फातिमा और अपने चहीते नवासे हसन और दूसरे कितने ही प्यारो की शिकस्ता कबरो और बेसाया मजारो पर होता होगा।

अल्लाह ताला उस दिन की सुबह किसी मुसलमान को नसीब न करे जिस दिन उस के कौल व फेल से रसूल स० को दुख पहुँचे।

तमामशुद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
बिस्मिल्लाह-हिर-रहमानिर-रहीम

अर्जहाल

इदारा यादगार हुसैनी की यह दूसरी पेश कश है। इस दौर में जब मज़हबी इन्तिहापसन्दी के नतीजे में अजादारी के जुलूसो, उर्स के इज्जतमाआत, ज़ायरीन के काफलो पर हमले किए जा रहे हो यह जानना ज़रूरी है कि ऐसी हरकतों की फिकरी ख़बरें कहाँ फैली हुई है।

सरकार सैय्यदुल उल्मा की यह मारकुत आरा तसनीफ़ हकीकत की पर्दा कुशाई करती है।

इस किताब के अशाअत में हमारे बहुत से मोमिनीन ने तआउन दिया है मगर उन्होंने अपना नाम 'सीगए राज में रखने की ख्वाहिश की है कायरीन से गुजारिश है कि तमाम हक गो और हक नवाज मोमिनीन की अरवाह के लिए सूरये-फातिहा की तिलावत फरमाए, फकत।

मुहम्मद अब्बास(सदर)

0522-2404714

अजीज हैदर(जनरल सेकरेट्री)

0091-9565772492

मीसम नकवी (ख़ाज़िन)

9918577502

सय्यद हामिद हुसैन तवातवाई

0935353554

हसन यूसुफ (नायेब सदर)

9956739935

शादाब आब्दी (सेकरेट्री नशर व इशात)

9532432488

राब्ता कायम करें :-

सादिक अब्बास (मुम्बई)

91-7505438285

दफ़तर:- शरियत कदा मौलाना हसन नकवी मरहूम

मस्जिद ममोला पुल फिरंगी महल, विक्टोरिया स्ट्रीट, लखनऊ।

नोट: इदारह का अकाउन्ट इलाहाबाद बैंक चौक लखनऊ में है। चेक यादगारे हुसैनी के नाम से दी जा सकती है।

इलतिमास सूरये-फातिहा

बराए इसाले सवाब

आप हज़रात से गुज़ारिश है कि हुसैनियत के मक़सद को फरोग देने की इस मुहिम में शिरकत के सबब एक मरतबा सूरये हम्द और तीन मरतबा सूरये तौहीद की तिलावत फ़रमायें।

1. सैय्यद हबीब असगर नकवी मरहूम
2. बेगम व हकीम सैय्यद मुहम्मद यूसुफ
व सैय्यद मोहम्मद यामीन मरहूम
3. मिर्जा हैदर हुसैन व मिर्जा गज़नफर हुसैन मरहूम
4. सैय्यद ज़व्वार हुसैन मरहूम
5. मिर्जा इफ़तिख़ार हुसैन मरहूम व मरहूमा आज़म जहां बेग़म
व जुमला मोमनीन व मोमिनात
6. मिर्जा राहत हुसैन व मिर्जा सईद इफ़तिकार मरहूम
7. अलहाज ज़फ़र हुसैन मरहूम (अलीको इन्जीनियर)
8. सय्यद अबुल हसन व हादिया बेग़म मरहूमा
9. अतिया अब्बास तवातवाई